उच्चतर मुद्रा तथा बैंकिंग

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ग्यारहवीं कक्षा के लिये)

*

लेखक

डॉ० हरिश्चन्द्र शर्मा

एम ए, एम कॉम, पीएच, डी,

कॉलिज ग्राफ कामर्स

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

तथा

गोपाललाल भार्गव

एम कॉम, बी एड

प्रधानाध्यापक,

पोद्दार उ० म० बहुउद्देशीय विद्यालय,

रींगस

*

प्रकाशक



कल्याणमल एण्ड सन्स

त्रिपोलिया बाजार जयपुर

1965

मूल्य रु० 1.75 मात्र

प्रकाशक
प्रकाशन-विभाग
कल्याणमल एण्ड सन्स
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

मुद्रक
श्री अजमेरा प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर

दो शब्द

आधुनिक वाणिज्य मे बैंकिंग का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सम्भवत इसी दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ के वाणिज्य के विद्यार्थियो के पाठ्यक्रम मे बैंकिंग के अध्ययन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रस्तुत पुस्तक वाणिज्य की ग्यारहवी कक्षाओ के विद्यार्थियो के लिए लिखी गयी है। इसमे न केवल उनके पाठ्यक्रमानुसार सभी समस्याओ का विवेचन किया गया है बल्कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि इसे पढकर विद्यार्थी देश के बैंकिंग विकास की कठिनाइयो तथा सरकार एव अन्य संस्थाओ द्वारा किये गये प्रयत्नो का उचित मूल्याकन कर सके।

पुस्तक मे आरम्भ मे अति सरल एव प्रचलित भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राय प्रत्येक समस्या अथवा महत्त्वपूर्ण तथ्यो को उदाहरण देकर स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। सभी अध्यायो के पीछे अभ्यास के प्रश्न दे दिये गये हैं ताकि विद्यार्थियो को उचित मार्गदर्शन मिल सके।

प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियो में बैंकिंग का ज्ञान एव रुचिवर्द्धन की दृष्टि से लिखी गई है। यदि इससे उनको यथेष्ट लाभ हो सका तो लेखक अपना परिश्रम सफल समझेंगे। अध्यापक बन्धुओ से सविनय निवेदन है कि वह पुस्तक की यत्किञ्चित् त्रुटियो की ओर सकेत करने की कृपा करें जिसके लिये हम अग्रिम आभार प्रदर्शन करते हैं।

—लेखक द्वय

अनुक्रमणिका

अध्याय 1

भारतीय मुद्रा बाजार

(Indian Money Market)

बाजार का अर्थ एक सामान्य नागरिक बाजार शब्द से भली प्रकार परिचित होता है। यदि उससे बाजार के बारे म पूछा जाए तो उसका साधारण उत्तर यही होगा कि बाजार किसी स्थान का नाम है जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं जिन पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ मिलती हैं। अत बाजार से तात्पर्य वह स्थान है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है।

अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार शब्द का अर्थ कुछ विस्तृत रूप मे लिया जाता है। इस रूप म बाजार कोई निश्चित स्थान नहीं बल्कि एक क्षेत्र होता है जिसमे विभिन्न वस्तुओ के खरीदने और बेचने वाले रहते हैं तथा उनमे आपसी स्पर्द्धा होती है। इस स्पर्द्धा के फलस्वरूप एक ही प्रकार की वस्तुओं के मूल्य विभिन्न स्थानों पर समान होने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार एक सम्पूर्ण या व्यवस्थित बाजार मे प्राय समान वस्तुओ का सब जगह समान मूल्य होता है। यहाँ केवल इस बात का विशेष महत्त्व है कि बाजार का सम्बन्ध वस्तुओ के खरीदने बेचने से होता है।

मुद्रा बाजार से क्या तात्पर्य है? बाजार का सम्बन्ध वस्तुओं के खरीदने बेचने से है तो क्या मुद्रा बाजार म मुद्रा खरीदी और बेची जाती है? यह एक अनोखा प्रश्न है परन्तु इसका उत्तर यही है कि मुद्रा बाजार म मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा का क्रय विक्रय वस्तुओं के क्रय विक्रय से कुछ भिन्न होता है क्योंकि वस्तुओं की भाँति मुद्रा का सीधा उपभोग (खा, पी या पहन कर) नहीं किया जाता। यह थोड़े समय के वास्ते ली जाती है और काम

निकलने पर लौटा दी जाती है। इस प्रकार मुद्रा बाजार म मुद्रा उधार ली और दी जाती है। इस दृष्टि स मुद्रा बाजार ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहा मुद्रा उधार लेने तथा उधार देने का व्यवसाय होता है और उधार लने और देन वाला म सामाय स्पर्धा रहती है। उधार देने वालो को याज मिलना है जिसे मुद्रा की कीमत (Price of Money) कहत हैं। मुद्रा बाजार म उधार देन वालो म प्राय साहूकार, यापारिक बक, सहकारी बक, बीमा कम्पनियाँ तथा अय सस्थाएँ होती हैं और उधार लेने वालो मे सामाय नागरिक यापारी उद्योगपति तथा अन्य यापारिक एव राजकीय सगठन रहते हैं।

मुद्रा बाजार और पू जी बाजार मे भेद मुद्रा बाजार और पू जी बाजार दोना म ही मुद्रा उधार लेन अथवा देन के सौदे होत हैं परन्तु प्रचलित परम्परा के अनुसार मुद्रा बाजार वह है जिसमे केवल अल्पकालीन उधार का लेन देन होता है। इसके विपरीत पू जी बाजार मे दीघकालीन ऋण दिये जाते हैं अथवा पू जी विनियोग होता है। कभी कभी उधार दन वाला एक वप का अर्थात् अल्पकालीन ऋण दना है परतु प्रतिवप उसकी अवधि मे वृद्धि कर दी जाती है। ऐसे ऋण दीघकालीन बन जाते हैं। अत अनक बार दीघकालीन अथवा अल्पकालीन ऋणो म भेद करना कठिन होता है। इसलिए मुद्रा बाजार और पू जी बाजार म भेद करना भी कठिन हो जाता है। इसीलिए प्रचलित अथ म पू जी बाजार को भी मुद्रा बाजार का एक अङ्ग ही मान लिया जाता है।

भारतीय मुद्रा बाजार के अग भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागा म विभाजित करने की प्रथा रही है।

यूरोपियन भाग	भारतीय भाग
1 रिजव बक आफ इडिया	1 साहूकार और महाजन
2 स्टेट बक आफ इडिया	2 देशी बकर
3 विदेशी विनिमय बक	3 भारतीय व्यापारिक बक

इन दोनो भागा म तथाकथित यूरोपियन भाग को सरकारी सहयोग तथा प्रोत्साहन मिलता रहा है जब कि भारतीय भाग अपने आप विकसित हुआ है। सरकार ने उसकी यवस्था अथवा विकास के लिए विशेष प्रयत्न नही किये।

यह वर्गीकरण उचित नहीं है वर्तमान में समय भारतीय मुद्रा बाजार को यूरोपियन तथा भारतीय वर्गों में बाँटना उचित नहीं है क्योंकि स्वाधीनता के पश्चात् रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक राष्ट्रीय बैंकों के रूप में काम कर रहे हैं और उनके कर्मचारी भी भारतीय हैं। इसके अतिरिक्त भारत में विदेशी बैंकों की जितनी शाखाएँ हैं वे भी बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के द्वारा 1949 से रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में आगई है। इसलिए भारत के बैंकिंग संगठन में अब यूरोपियन भाग अथवा भाग जैसा अलग संगठन नहीं है।

संगठित तथा असंगठित मुद्रा बाजार उपरोक्त कथन को ध्यान में रखकर भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अङ्गों का अन्य आधार पर बाँटना उचित प्रतीत होता है जिनमें एक संगठित भाग है तथा दूसरा असंगठित। भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अङ्ग निम्नलिखित हैं

1 रिजर्व बैंक आफ इंडिया
2 स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3 भारतीय व्यापारिक बैंक
4 विदेशी विनिमय बैंक
5 सहकारी तथा भूमिबन्धक बैंक
} संगठित भाग

6 साहूकार अथवा महाजन
7 देशी बैंकर
} असंगठित भाग

संगठित भाग में सम्मिलित संस्थाएँ प्राय किसी कानून द्वारा नियन्त्रित हैं और उन्हें अपने वार्षिक खाते एक निश्चित अवधि तक तयार कर उनकी जाँच करवानी पड़ती है और उन्हें प्रकाशित करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त इनके काम भी पारस्परिक विचार विमर्श तथा निश्चित परम्पराओं के अनुसार होते हैं। साहूकार महाजन तथा देशी बैंकर रिजर्व बैंक के नियन्त्रण से मुक्त हैं तथा इनका कार्य अपनी इच्छा के अनुसार होता है। इनमें पारस्परिक **संगठन** तथा

आधुनिक प्रकार के प्रबंध का अभाव है। अत यह भाग असगठित भाग कहलाता है।

ऋण दाता और ऋण लेने वाला भारतीय मुद्रा बाजार मे ऊपर बतलाए गए सातो अङ्ग उधार देन का काम करत हैं। इनमे रिजव वक के अतिरिक्त शेष सभी वर्ग उधार अथवा जमा प्राप्त भी करते हैं। उधार लेने वाले वर्गों म मुख्यत जनता कृषक, व्यापारी उद्योगपति तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार है जो आवश्यकतानुसार ऊपर दिये गय वर्गों म ऋण प्राप्त करते हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष भारतीय मुद्रा बाजार म निम्नलिखित दोष हैं

1 सहयोग की कमी भारत म मुद्रा बाजार के जितने अङ्ग है उनमे पारस्परिक सगठन अथवा सहयोग का सवथा अभाव हैं। व्यापारिक बको का एक सगठन है किन्तु उसके कवल 38 बक सदस्य हैं (भारत मे कुल बको की सख्या लगभग 200 है) अत उनकी जमा करने, ऋण देने तथा अन्य कार्यों सम्बन्धी नीतिया म बहुत अन्तर रहता है। सभी सस्थाए एक दूसरी से प्रतियोगिता करती हैं। महाजन और साहूकार, सहकारी बक तथा व्यापारिक बक आपस मे सहयोग स काम करने के स्थान पर स्पर्द्धा करते हैं। इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप कभी-कभी अनुचित नीतिया अपना ली जाती है जिससे बको के बद होन का भय रहता है।

2 साहूकारों से सम्बन्ध किसी देश के मुद्रा बाजार को शक्तिशाली तथा कायशील बनाने के लिये यह आवश्यक है कि देश की साख तथा मुद्रा व्यवस्था पर केन्द्रीय बक का पूरा नियन्त्रण हो तथा मुद्रा बाजार के सभी अग सहायता के लिये मुद्रा बाजार पर निभर हो। भारत मे यह स्थिति नही है क्योंकि साहूकार तथा महाजन रिजव बक के नियन्त्रण मे नही है। यह लोग भारत के किसानों तथा छोटे कारीगरों की उधार सम्बन्धी लगभग 70 प्रतिशत आवश्यकताओ की पूर्ति करते हैं। अत इनके रिजव बक के नियन्त्रण म न होने के कारण उसकी साख नीति म सफलता नही मिल सकती।

3 बकों का न्यून विकास भारत म बकिंग सुविधाओ का विकास

अभी केवल नगरा तथा कस्बो तक सीमित है। देश मे बको की केवल 5800 शाखाएँ हैं इनम से अधिकांश शाखाएँ कलकत्ता बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा अन्य बडे नगरो मे है। अत ग्रामीण क्षेत्रो म पूजी निर्माण अथवा जनता की बचतो को प्रोत्साहित करने वाला कोई तत्व नही है। अमेरिका जस देश मे जहाँ की जनसख्या भारत की जनसख्या का लगभग 40 प्रतिशत है बको के लगभग 20 000 कार्यालय हैं। इगलड म भी (जो क्षेत्रफल म राजस्थान से छोटा है) बका की लगभग 14000 शाखाएँ हैं। बका की शाखाएँ फैलने के कारण उन देशो मे बको में खाता खोलने की प्रथा का विकास हो गया है तथा बका की जमा तथा व्यवसाय बहुत बढ गया है जिससे मुद्रा बाजार म लेन-देन म प्रगति हुई है। भारत म बका का विकास कम होने से मुद्रा बाजार म शिथिलता रहती है।

4 ब्याज दरों में भिन्नता मुद्रा बाजार के विभिन्न अङ्गो मे परस्पर समन्वय न होने के कारण देश के विभिन्न भागो म ब्याज की दरें सवथा भिन्न रहती हैं। यहाँ तक कि स्टेट बक तथा अन्य बड बैंका की ब्याज दरों म भी प्राय अन्तर मिलता है। इसके अतिरिक्त फसलें आने के समय ब्याज की दरो म प्राय बहुत वृद्धि हो जाती है और मसन्न बाजार मे आने पर दरें बहुत गिर जाती हैं। उदाहरणत जनवरी फरवरी मे जबकि मुद्रा बाजार म पूजी की अत्यधिक माँग रहती है याचना राशि (Call money) पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत या उसस भी अधिक हो जाती है जबकि जुलाई, अगस्त मे वह गिर कर 2 प्रतिशत या उससे भी कम हो जाती है।

ब्याज दरा म अत्यधिक उतार चढाव से व्यापारियो तथा सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पडता है क्योंकि उन्हें समय पर आवश्यक पूजी उधार नहीं मिलती और मिलती है तो बहुत महगी दरो पर।

5 साधनों की कमी बैंको मे न्यून विकास तथा असगठन के कारण मुद्रा बाजार में माग के अनुसार धन मिलना प्राय कठिन रहता है। इस न्यूनता के कारणो म जनता की कम आमदनी तथा महगाई भी उत्तरदायी है जिनके कारण लोग बहुत थोडी रकम बचा कर बकों म जमा करने म समय होते हैं।

6 लोच एवं स्थायित्व की कमी भारतीय मुद्रा बाजार में कार्यशील संस्थाएँ (बैंक सहकारी बैंक तथा साहूकार आदि) प्राय रूढ़िवादी हैं वे समय तथा आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती अत देश में चैक द्वारा भुगतान करने की पद्धति अथवा बैंकों में नियमित व्यवहार रखने की क्रियाओं का यथोचित प्रचार नहीं हुआ है। फलत भारतीय मुद्रा बाजार अविकसित एवं जड़ रह गया है।

7 मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भारत में नवम्बर से अप्रैल मास तक का समय व्यस्त काल माना जाता है क्योंकि इस बीच बहुत सी महत्त्वपूर्ण फसलों (चावल गन्ना रुई) को खरीदने के लिये व्यापारियों और उद्योगपतियों को बहुत रकम की आवश्यकता पड़ती है। फलत इस काल में पूंजी की माग बहुत बढ़ जाती है। अनेक बार इस माग को पूरा करने में बैंकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गत वर्षों में रिजर्व बैंक ने इस कठिनाई को दूर करने में सक्रिय कदम उठाये हैं।

8 बिल बाजार का अभाव विदेशों में बैंक प्राय अपनी पूंजी का एक महत्त्वपूर्ण भाग व्यापारिक बिलों में लगाते हैं क्योंकि व्यापारिक बिलों में पूंजी लगाना कई दृष्टिकोणों से लाभदायक है

(क) व्यापारिक बिल प्राय तीन महीने के लिये लिखे जाते हैं अत बैंकों की रकम लम्बी अवधि के लिये बन्द नहीं होती।

(ख) व्यापारिक बिल किसी व्यापारिक लेन देन से सम्बन्धित होते हैं अत निश्चित तिथि पर उनका भुगतान होने में सदेह नहीं रहता क्योंकि बिल स्वीकार करने वाला व्यक्ति भुगतान तिथि आने तक माल बेच कर रकम चुकाने की स्थिति में हो जाता है।

(ग) व्यापारिक बिलों की केन्द्रीय बैंक से पुनर्कटौती कराई जा सकती है। यदि बैंक एक तीन मास के बिल में रकम लगा दे और उसे एक मास पश्चात् ही धन की आवश्यकता पड़ जाय तो बैंक केन्द्रीय बैंक से उस बिल की जमानत पर रकम ले सकता है या उसकी पुनर्कटौती करवा सकता है।

(घ) व्यापारिक बिलों में रकम लगाने से देश के व्यापार को प्रोत्साहन

मिलता है।

भारत म बक व्यापारिक बिलों म बहुत रकम नही लगाते क्योकि देश म एक सुव्यवस्थित बिल बाजार का विकास नही हो पाया है। उदाहरणत 19 मार्च 1965 को भारत म कार्यशील बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणा म लगभग 2042 करोड रुपये की पूजी लगाई हुई थी जिसम से केवल 337 करोड रुपये अर्थात् लगभग 17 प्रतिशत राशि व्यापारिक बिलों के खरीदन अथवा कटौती करन मे लगाई हुई थी।

भारत म बिल बाजार विकसित न होने क निम्नलिखित कारण हैं

(1) सरकारी प्रतिभूतियों मे विनियोग भारत के बक सरकारी प्रतिभूतिया म बहुत राशि विनियोग करते है। उनकी पूजी का प्राय 40 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों म विनियोजित रहता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ भी ऐसा विनियोजन है जिन्हें सरलतापूवक किसी भी समय बचा जा सकता है अथवा रिजर्व बक स उनकी धरोहर पर रकम उधार ली जा सकती है। बत भारत के बकों के पास व्यापारिक बिला म विनियोजन करने के लिय यथेष्ट पूजी नही होती।

(2) बिल की किस्म भारत म व्यापारिक बिला के अतिरिक्त बहुत स बिल अनुग्रह बिल (Accommodation Bills) हात हैं जिनका किसी व्यापारिक सौदे स सम्बन्ध नही होता। बका के लिय केवल व्यापारिक बिला म विनियाग करना ही उचित होता है क्योंकि अनुग्रह बिलो की रकम के यथा समय भुगतान की सम्भावना कम होती है। अत बिलों म पूजी इसलिय भी कम लगाई जाती हैं कि यह ज्ञात करना कठिन है कि अमुक बिल व्यापारिक है अथवा अनुग्रहित बिल है।

(3) स्वीकृत गृहों की कमी इङ्गलैड तथा अमेरिका म एसी विशेष सस्याएँ हैं जो बिला की स्वीकृति का काम करती हैं, वह सस्थाएँ स्वीकृतिगृह (Acceptance Houses) कहलाती हैं। इन सस्थाओ को इस बात का पूरा ज्ञान रहता है कि अमुक बिल व्यापारिक है अथवा अनुग्रह बिल है। अत इनके द्वारा स्वीकार किय गय बिला को सरीदन या कटौती करने म बैंका को किसी

प्रकार का संदेह नहीं रहता। भारत में स्वीकृति गृह बिल्कुल नहीं है अत बैंक बिल खरीदने म सकोच का अनुभव करते हैं।

(4) कटौती गृहा का अभाव पाश्चात्य देशों म बिलों को स्वीकार करन वाली संस्थाओं के अतिरिक्त ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो बिलों की नियमित कटौती का काम करती हैं। ये संस्थाएँ भी बिल व्यवसाय म विशेष ज्ञान रखती हैं अत इन्हें धन की आवश्यकता होन पर बैंक इनके बिलों को रख कर सहुप रकम दे देते हैं। भारत म इस प्रकार की संस्थाएँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भारत का रिजर्व बैंक भी बिलों का कटौती करने म विशेष उत्साह नहीं है।

(5) बिलों की विविधता भारत म लिखे गये बिल प्राय एक प्रकार के नहीं होते । अत एक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दूसरे क्षेत्र के बिल खरीदने या उनकी कटौती करने म कठिनाई होती है।

(6) बिलों की भाषा भारत म अन्तर्देशीय बिल प्राय अपने-अपने क्षेत्र की भाषा मे लिखे जाते हैं अत उनके विस्तृत क्षेत्र म लेन-देन म अनेक बाधाएँ रहती हैं। विदेशी बिल तो सब अंग्रेजी भाषा म लिखे जाते है। अत उनमे धन विनियोग कर दिया जाता है किन्तु विदेशी बिल का आसामियों के सम्बन्ध म सूचना या गारंटी सम्बन्धी कठिनाई आती है।

(7) नकद ऋण भारत मे प्राय नकद ऋण देने की प्रथा है क्योंकि देश म चैक तथा अन्य साख पत्रों का प्रचार अधिक नहीं है। इसके साथ ही नकद साख का यह लाभ है कि वह किसी भी मात्रा मे प्राप्त की जा सकती है तथा आवश्यकता न होने पर रद्द की जा सकती है जिससे बैंक तथा ग्राहक दोनों को लाभ है। फलत बिलों का प्रचार बहुत नहीं बढ़ सका है।

(8) भारी मुद्रांक भारत म सावधि बिलों पर काफी टिकट (Stamp) लगाने पड़ते हैं अत लोग बिल लिखना पसंद नहीं करते। गत वर्षों मे इस दर म कुछ कमी तो हुई है परन्तु फिर भी वह काफी ऊंची है।

(9) लाइसेंस प्राप्त गोदामों की कमी विदेशों म जब व्यापारी एक दूसरे को माल बेचते हैं तो वह उसे लाइसेंस प्राप्त गोदाम म रख देते हैं और बिल के साथ उस गोदाम की रसीद लगा देते हैं। इससे बैंक का यह विश्वास

हो जाता है कि अमुक बिल वास्तव मे किसी व्यापारिक सौदे के कारण लिखा गया है और वह उन्हे निःसकोच खरीद लेते हैं। भारत मे इस प्रकार के गोदामो का अभाव है अत बिलो का प्रचार भी विशेष नही बढा है।

मुद्रा बाजार मे सुधार के सुझाव भारतीय मुद्रा बाजार के दोषो को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए

(1) **शक्तिशाली बैंक सगठन** भारत मे बैंको का एक सघ है परन्तु उसके केवल बडे बडे बैंक सदस्य हैं और उसमे उन्ही बैंको का प्रभुत्व है। अत बैंकों द्वारा जो निर्णय किये जाते हैं उन्हे सब बैंक स्वीकार नहीं करते। बैंको मे पारस्परिक सहयोग तथा उनकी नीतियो मे समानता लाने की दृष्टि से सब बैंको को भारतीय बैंक सघ (Indian Banks Association) का सदस्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

(2) **विशेष गृहो की स्थापना** भारतीय मुद्रा बाजार को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वीकृति गृहो तथा कटौती गृहो की स्थापना करनी चाहिए ताकि बिलो का प्रचार अधिक हो सके।

(3) **बैंकिंग विकास** देश मे बैंको का ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास किया जाना चाहिए ताकि जनता को धन बचाने एव विनियोग करने की सुविधा मिल सके। इससे मुद्रा बाजार मे धन की कमी दूर हो सकती है।

(4) **रिजर्व बैंक की नीति** मुद्रा बाजार मे कार्यशील सस्थाओ का रिजर्व बैंक द्वारा उचित रूप मे नियमन करना चाहिए तथा व्यस्तकाल मे यथेष्ट मात्रा मे साख प्रदान की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि व्यापार और उद्योग को आवश्यक वित्त प्राप्त करने मे कठिनाई नही हो।

(5) **देशी बैंकों पर नियन्त्रण** भारतीय मुद्रा बाजार का उचित विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि साहूकारो तथा देशी बैंकरो को रिजर्व बैंक के नियन्त्रण मे नहीं लाया जाएगा अत साहूकारो तथा देशी बैंकरो की क्रियाओ का नियमन करना आवश्यक है।

(6) **समाशोधन गृहों का विकास** समाशोधन गृह ऐसी सस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से बैंको के एक दूसरे पर प्राप्त चैको का शोधन अर्थात् भुगतान

होता है। भारत मे कुल 76 समाशोधन गृह हैं जो देश के विस्तार को देखते हुए कम हैं। प्रत्येक व्यापारिक नगर म जहाँ बको की पाच शाखाएँ हैं एक समाशोधन गृह की स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चको के समाशोधन की पद्धति म भी ऐसे परिवर्तन किये जाने चाहिए कि जिससे उनका समाशोधन सरलता एव शीघ्रतापूर्वक हो सके।

उपरोक्त काय करने स भारतीय मुद्रा बाजार अधिक कायशील एव उपयोगी हो सकेगा।

बिल बाजार के विकास के उपाय जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है भारत म एक व्यवस्थित बिल बाजार का विकास नही हो पाया है। इसके लिए निम्न उपाय करना उचित होगा।

(1) बिलो म एकरूपता लाई जानी चाहिए।

(2) व्यापारियो की आर्थिक स्थिति की पुष्टि करने के लिए स्वीकृति गृहो की स्थापना करनी चाहिए।

(3) लाइसेंस प्राप्त गोदामो का विकास किया जाना चाहिए।

(4) बिलो के भुनाने अथवा कटौती करने वाली सस्थाओ की स्थापना की जानी चाहिए।

(5) देशी बको की हुडियो को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए परन्तु हुडियो का रूप कानून द्वारा निश्चित करना आवश्यक है।

(6) मुद्रांक कर म कमी की जानी चाहिए।

(7) अधिक समाशोधन गृहो की स्थापना की जानी चाहिए।

(8) रिजर्व बक की बिलो की पुनर्कटौती सम्बन्धी नीति उदार होनी चाहिए।

रिजर्व बक की बिल बाजार योजना

भारत के केन्द्रीय बक (जिसका नाम रिजर्व बक है) ने उपरोक्त सब बातों पर विचार कर जनवरी 1952 म एक बिल बाजार योजना लागू की जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित थी

(1) रिजर्व बैंक ऐसे अनुसूचित बैंकों को बिलों की जमानत पर ऋण देगा जिनकी जमा रकम 10 करोड़ रुपये या अधिक है। यह बिल भारत में लिखे हुए होने चाहिए।

(2) बिल व्यापारिक होने चाहिए तथा उन पर दो अच्छे व्यक्तियों या संस्थाओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। इनमें से एक संस्था कोई अनुसूचित बैंक होनी चाहिए।

(3) ऐसे बिलों पर दिए गए ऋणों पर बैंक दर से आधा प्रतिशत कम ब्याज लिया जायगा।

(4) बिलों पर लगने वाले मुद्रांक कर का आधा रिजर्व बैंक देगा।

(5) प्रत्येक बिल कम से कम एक लाख रुपये का होना चाहिए।

(6) इस योजना के अन्तर्गत किसी बैंक को 25 लाख रुपये से कम उधार नहीं दिया जा सकता था।

छोटे बैंकों के लिये संशोधन प्रस्तुत योजना का लाभ केवल बड़े-बड़े बैंक ही उठा सकते थे क्योंकि भारत में उस समय ऐसे बैंकों की संख्या 15 से अधिक नहीं थी जिनके निक्षेप 10 करोड़ रुपये से अधिक हों। अतः 5 जून 1953 से इस योजना का लाभ ऐसे बैंकों को भी देने का निश्चय किया गया जिनकी जमा रकम 5 करोड़ रुपये हो और 1954 में यह योजना सब लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित बैंकों के लिए लागू कर दी गई। 1957 से एक बिल की न्यूनतम राशि भी एक लाख रुपये से घटाकर 50 000 रुपये तथा एक ऋण की राशि 25 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। फलतः छोटे बैंकों को योजना से लाभ उठाने का अच्छा अवसर मिल गया।

अन्य सुविधाएं सन् 1962 में बिल बाजार योजना को विदेशी बिलों पर भी लागू कर दिया गया है जिससे भारत के विदेशी व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिल सकेगा।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना के द्वारा देश में बिलों का प्रचार बढ़ा है परन्तु 1956 से बैंक द्वारा आधा प्रतिशत ब्याज कम लेने की छूट समाप्त कर दी गई और बिलों पर लगने वाला टिकट (Stamp) का आधा व्यय स्वयं

दने की मुविधा का भी अ त कर दिया गया। इन दोना सुविधाओ के हटाने स बिल बाजार योजना को कुछ धक्का पहुचा है। अत रिजव बक द्वारा इन सुविधाओ को फिर स लागू करन पर पुर्नविचार करना चाहिए।

उपसहार भारतीय मुद्रा बाजार का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है क्याकि योजनाओ क अन्तगत व्यापार तथा उद्योग की वित्तीय आवश्यक्ताएँ बढ रही हैं। अत रिजव बक तथा भारतीय बक सघ द्वारा मुद्रा बाजार की कठिनाइयाँ तथा दोष दूर करक उसे अधिक व्यवस्थित एव लोचदार बनाना चाहिए जिसस कि देश की आर्थिक प्रगति अबाधित गति से होती रह।

अभ्यास के प्रश्न

1 मुद्रा बाजार स क्या तात्पय है ? मुद्रा और पू जी बाजार म क्या अ तर है ?
2 भारतीय मुद्रा बाजार के अगो का उचित वर्गीकरण कीजिए तथा कारण दीजिए।
3 भारतीय मुद्रा बाजार क असगठित भाग म कौन-कौन सी सस्थाएँ हैं ? इन्ह असगठित क्यो कहते हैं ?
4 भारतीय मुद्रा बाजार क सगठित भाग म कौन कौन सी सस्थाए हैं ?
5 निम्नलिखित म अ तर लिखिए
मुद्रा बाजार, बिल बाजार अनाज मण्डी।
6 भारतीय मुद्रा बाजार क क्या दोष है ? सक्षेप म लिखिए।
7 भारत मे बिल बाजार क अविकसित होने क क्या कारण है ?
8 भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिये उचित सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
9 भारतीय मुद्रा बाजार के विकास के लिए निम्नलिखित गृहो की आवश्यक्ता है।

(क) गृह
(ख) गृह
(ग) गृह   [उत्तर (क) स्वीकृति
(ख) कटौती
(ग) समाशोधन

अध्याय 2

साहूकार एवं देशी बैंकर

(Money lenders and Indigenous Bankers)

भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि की दशा अत्यन्त गिरी हुई है। ग्रामीण जनता की आय बहुत कम है। कृषि सुधारों के लिए धन जुटाना उनके लिए बहुत कठिन समस्या है। हम देखते हैं कि जिस समय भारतीय किसान की फसल पक कर तैयार होती है उस समय तो उसके पास धन होता है परन्तु उसके पश्चात् प्रायः वह निर्धन सा ही रहता है। उसे अपनी फसल की बिक्री के पूर्व तथा पश्चात् ऋण लेना ही पड़ता है। बीज, हल-बैल इत्यादि तथा कृषि-हेतु यन्त्र खरीदने के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए, लगान जमा करने के लिए, यहाँ तक फसल उगाने के लिए, खाने पीने के लिए, शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सव मनाने के लिए तथा अन्य बहुत से कार्यों के लिए किसान को समय-समय पर धन की आवश्यकता होती है। साधारणतः साहूकार एवं देशी बैंकर गाँवों में किसानों को तथा छोटे छोटे कारीगरों को ऋण देने का कार्य करते हैं इन्हें अधिक ब्याज की दर पर ऋण देते हैं। हमारे देश में सहकारी साख समितियों की संख्या बहुत कम है और उनके पास पूँजी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। फलस्वरूप किसानों को भारी ब्याज पर भी साहूकारों एवं देशी बैंकरों से ऋण लेना पड़ता है।

साहूकार

(Money Lender)

साहूकार भारतवर्ष में प्राचीनकाल से चले आते हैं और भिन्न भिन्न

स्थानो पर भिन्न भिन्न नामो से प्रसिद्ध हैं। बगाल मे इन्हें महाजन कहा जाता है उत्तर प्रदेश मे साहूकार पजाब मे खत्री बम्बई मे शर्राफ मारवाडी तथा सेठ मद्रास मे चेट्टी आदि। बनिया तथा नानावती भी साहूकार के अन्य नाम है। प्राय यह लोग ऋण देने के काय के साथ-साथ खेती या काय तथा व्यापार करते हैं। ये लोग ग्रामीणजनो को अल्पकाल के लिए विशेषत उपभोग के लिए ऋण दते हैं और जमा पर धन नही लेते। आधुनिक युग मे सभी प्रकार के परिवतन हो जाने पर भी देश के आर्थिक जीवन मे इनका बहुत अधिक महत्त्व है।

साहूकारों के काय

(Functions of Money Lenders)

साहूकार प्राय व्यापार करते हैं तथा खेती करते हैं और अपने व्यापार के साथ साथ ग्रामीण जनो को ऋण देते हैं। ये ग्रामीणो को थोडे समय के लिए जब कि रकम थोडी होती है व्यक्तिगत जमानत पर ही ऋण देते हैं। जब ऋण की राशि बडी होती है तब खेत मकान, जेवर बधक रखकर अथवा बाण्ड लिखाकर ऋण दते हैं। किसानो का उनकी फसल की बिक्री कराने मे तथा मडियो तक पहुचाने मे सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक साहूकार सट्टे बाजार मे रूई, चान्दी व सोने का सट्टा भी करते है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को मुद्रा भेजने का भी काय करते हैं। इनका ग्रामीण अथ व्यवस्था मे एक महत्त्वपूण स्थान है। आज भी ये ग्रामीण जीवन के एक अनिवाय तथा उपयोगी अग बने हुए हैं। इनकी काय प्रणाली बहुत सरल है। अनपढ किसान आसानी से इनसे ऋण प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्तिगत जमानत पर ही अल्पकाल अथवा दीघकाल के लिए उत्पादक तथा अनुत्पादक सभी कार्यों के लिए ऋण देते हैं और किसानों के लिए अनिवाय बने हुए हैं।

ग्रामीण जनता के लिए साहूकारो का इतना महत्त्वपूण स्थान होते हुए भी उनकी काय प्रणाली मे अनेक दोष हैं। ये लोग उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेने वाले किसान की आवश्यकताओ को बिना

जाच पडताल किये ही ऋण दे देते हैं । खाली कागज पर ही ऋण लेने वाले के अगूठे की निशानी करवा लेते हैं और वास्तविक धन से अधिक राशि लिख देते हैं । ऋणी पर दबाव डाल कर अनेक काय मुफ्त करा लेते हैं, उनकी फसल ऋण के भुगतान में सस्ते भाव पर खरीद लेते हैं तथा ऋण वसूली में बहुत सख्ती से काम लेते हैं। ये लोग बहुत ही ऊची दर से ब्याज लगाते हैं और खाता खोलते समय भी भेंट के रूप में रुपये काट लेते हैं । विभिन्न जाँच समितियो के अनुसार ये लोग 12 प्रतिशत से $37\frac{1}{2}\%$ तक ब्याज की दर से ऋण देते हैं ।

देशी बैंकर

(Indigenous Bankers)

भारतीय मुद्रा बाजार में साहूकार तथा महाजनो के साथ साथ देशी बैंकरो का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । देशी बैंकरो की ठीक ठीक परिभाषा करना कठिन है क्योकि इनको साहूकार व महाजनो से पृथक करना कठिन होता है । देशी बैंकर वह व्यक्ति या निजी फर्म है जो जनता से जमा पर धन प्राप्त कर हुण्डियो का व्यवसाय करने तथा ऋण देने के काय में लगा हो । इनके काय तथा काय प्रणाली भिन्न भिन्न प्रान्तो में भिन्न भिन्न प्रकार की है और ये उत्पादन तथा उपभोग दोनो के लिए ऋण देते हैं । केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति के अनुसार देशी बैंकर, इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक तथा सरकारी बैंको को छोड कर वे सभी लोग होते हैं जो हुण्डियो का व्यवसाय करते हैं तथा जनता से धन का लेन-देन करते हों ।'

डा० एल सी जैन के अनुसार देशी बैंकर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो ऋण देने के साथ-साथ जमा पर धन स्वीकार करते हो या हुण्डियो का व्यवसाय करते हो अथवा दोनो काय करते हो ' संक्षेप में देशी बैंकर उन्हीं लोगो को कहते हैं जो हुण्डी का व्यवसाय करते हो राशि जमा रखते हों तथा ऋण देते हो साधारणत ये लोग बैंकिंग तथा व्यापार दोनों ही काम करते हैं । उनकी बैंकिंग तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई पूंजी में कोई भेद नहीं होता । ये लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारे जाते

साहूकार तथा देशी बैंकरों में भेद
(Difference between Moneylenders and Indigenous Bankers)

साहूकार तथा देशी बैंकरों में कई महत्वपूर्ण भेद हैं। मुख्य मुख्य भेद इस प्रकार हैं —

साहूकार (Moneylenders)	देशी बैंकर (Indigenous Bankers)
(1) यह केवल ऋण देते हैं धन जमा नहीं करते।	(1) यह ऋण देने के साथ-साथ प्राय जमा पर धन प्राप्त करते हैं।
(2) यह हुण्डियों का व्यवसाय नहीं करते।	(2) यह विशेष रूप से हुण्डियों का व्यवसाय करते हैं।
(3) यह ऋण देने के साथ-साथ अन्य व्यापार भी करते हैं जो उनका प्रमुख काय होता है।	(3) यह मुख्यत बैंकिंग व्यवसाय करते हैं और इस काय का इनके लिए विशेष महत्त्व होता है अन्य व्यापार का नहीं।
(4) यह ऋण देते समय ऋण लेने के उद्देश्य का ज्ञान आवश्यक नहीं समझते अत पूछताछ बहुत कम करते हैं।	(4) यह ऋण देते समय इस बात की अधिक पूछताछ करते हैं कि ऋण किस काम के लिए लिया जा रहा है।
(5) यह अपने निजी धन में से ही ऋण देते हैं।	(5) यह अपने निजी धन में से तथा जमा द्वारा प्राप्त पूंजी में से ऋण देते है।
(6) यह कृषि के लिए तथा उपभोग के लिये भी ऋण देते हैं।	(6) यह मुख्यत व्यापार व उद्योग की अर्थ-सहायता के लिए ऋण देते हैं।

(7) इनकी ब्याज की दर देशी बैंकर की तुलना में अधिक होती है।	(7) इनके द्वारा साहूकार की तुलना में ब्याज की दर कम ली जाती है।
(8) यह बैंकर की अपेक्षा बिना बंधक के अधिक सीमा तक ऋण दे देते हैं।	(8) यह साहूकार की अपेक्षा बिना बंधक के अधिक सीमा तक ऋण नहीं देते।

यह ध्यान रहे कि देशी बैंकरों तथा साहूकारों में उपरोक्त भेद होते हुए भी कभी-कभी इन दोनों में भिन्नता करना कठिन हो जाता है क्योंकि भेद की सीमा बहुत ही संकीर्ण है।

देशी बैंकरो तथा आधुनिक बैंको मे भेद

(Difference between Indigenous Bankers and Modern Banks)

देशी बैंकरों तथा आधुनिक बैंकों में भी अनेक महत्त्वपूर्ण भेद हैं जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं

देशी बैंकर (Indigenous Bankers)	आधुनिक बैंक (Modern Banks)
(1) यह साधारणतया अपनी, अपने परिवार की तथा अपने रिश्तेदारों की पूंजी से व्यवसाय करते हैं।	(1) साधारणतः ये मिश्रित पूंजी वाली कम्पनी (Joint stock Companies) के रूप में होते हैं और जनता को बेचकर धन प्राप्त करते हैं।
(2) इनकी शाखाएँ नहीं होती।	(2) इनकी शाखाएँ दूर दूर तक फैली हुई होती हैं।

(3) यह अपनी कार्यशील पूँजी का एक बहुत छोटा सा भाग ही जमा के रूप में प्राप्त करते हैं और कम पूँजी के रूप में तो कुछ भी धन एकत्रित नहीं करते।

(4) यह बैंक व्यवसाय के साथ अपना निजी व्यापार भी करते रहते हैं। कभी कभी ये स्टाक एक्सचेन्ज बाजारों में सट्टे का भी कार्य करते हैं।

(5) ये प्राय छोटे-छोटे कृषक कारीगरों एवं समीपवर्ती व्यक्तियों को ही ऋण देते हैं।

(6) ये अपने धन का अधिकांश भाग बिना किसी जमानत आदि के ही दे देते हैं। इनके कार्य में जोखम बहुत होती है।

(7) इनकी ब्याज की दर अधिक होती है।

(8) ये अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन दोनों प्रकार के ऋण देते हैं।

(9) ये चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देते हैं और कभी कभी किसी व्यक्ति की जमानत पर ऋण दे देते हैं।

(3) इनका पूर्ण व्यापार कम पूँजी के अतिरिक्त मुख्यत जमा धन (Deposits) पर निर्भर रहता है।

(4) इनका कार्य बैंकिंग व्यवसाय ही है। अन्य कोई व्यवसाय नहीं करते। इनकी सट्टे सम्बन्धी क्रियाओं पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है।

(5) ये प्राय बड़े बड़े व्यवसायियों को ऋण देते हैं। निकट अथवा दूर का कोई विचार नहीं करते।

(6) ये पर्याप्त जमानतों के आधार पर ही ऋण देते हैं। इनकी जोखम कम होती है।

(7) इनकी ब्याज दर देशी बैंकरों की अपेक्षा कम होती है।

(8) मुख्यत यह अल्पकालीन ऋण ही देते हैं और इस तरह अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण में भेद करते हैं।

(9) यह बिना किसी जमानत के ऋण नहीं देते और प्राय यह जमानत भी अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं होती है। ये ऐसी प्रतिभूति (Security)

	के आधार पर ऋण देते हैं जिसे यह किसी भी समय सरलता से बाजार में बेच सकते हैं।
(10) यह अचल सम्पत्ति गिरवी रख कर लम्बी अवधि के लिए ऋण दे देते हैं।	(10) यह प्रायः अल्पकालीन ही ऋण देते हैं और अचल सम्पत्ति की जमानत साधारणतः स्वीकार ही नहीं करते हैं।
(11) इनकी कार्य–प्रणाली नियन्त्रित करने के लिए कोई विधान नहीं है और कार्य प्रणाली बहुत सरल है।	(11) ये पहले भारतीय कंपनी विधान अब भारतीय बैंकिंग कम्पनी विधान, 1949 के अन्तर्गत कार्य करते हैं।
(12) किसी विधान द्वारा नियन्त्रण न होने के कारण ये अपने लेखे तथा हिसाब उचित रीति से नहीं रखते।	(12) इनको अपना हिसाब वैधानिक रूप से रखना पड़ता है तथा विशेष योग्यता प्राप्त निरीक्षकों द्वारा उसकी जाँच करा कर अपना पूरा वार्षिक चिट्ठा (Annual Balance Sheet) जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित करना पड़ता है।
(13) ये विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करते।	(13) ये देश में आयात निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए भी ऋण सुलभ कराते हैं।
(14) इनमें प्रायः नकद धन में ही लेन देन होता है इनके द्वारा चैकों का चलन नहीं होता है। अतः साख पत्रों के प्रयोग को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता।	(14) बैंक से धन चैक द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार ये साख पत्रों के चलन को प्रोत्साहित करके साख की उत्पत्ति करते हैं।

(15) इनका अपने ग्राहकों के साथ वयक्तिक एवं घनिष्ट सम्बन्ध होता है।	(15) इनका अपने ग्राहकों से वयक्तिक तथा घनिष्ट सम्बन्ध का अभाव रहता है।
(16) इनका रिजर्व बैंक से सम्बन्ध लगभग नही के बराबर होता है।	(16) बैंक पूर्णतः रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

देशी बैंकरों के कार्य
(Functions of Indigenous Bankers)

देशी बैंकरों के कार्य हम दो भागों में बाँट सकते हैं अर्थात बैंकिंग व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य तथा अन्य प्रकार के कार्य। बैंकिंग कार्यों में मुख्य मुख्य कार्य इस प्रकार है —

(1) जनता से जमा पर धन प्राप्त करना (Deposits) —यह लोग जनता से धन (Deposits) प्राप्त करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। साधारणतया इनकी ब्याज की दर आधुनिक बैंकों की दर से ऊँची रहती है। (6 % से 12 % तक) यह बैंक अन्य लोगों से अधिक मात्रा में जमा राशि स्वीकार नही करते हैं क्योंकि जमा कराने वालों द्वारा एकाएक धन राशि वापस निकालने पर इनको आर्थिक संकट में पड़ जाना पड़ता है। अतः यह अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से ही धन राशि जमा करते हैं। बम्बई के देशी बैंकरों के अतिरिक्त अन्य बैंकर चैक द्वारा रुपया निकालने की सुविधा नहीं देते हैं।

(2) ऋणों का देना —(Lending of Money) यह देशी बैंकरों तथा साहूकारों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये मुख्यतः व्यापार उद्योग व कृषि कार्यों के लिए ऋण देते हैं। कभी कभी उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण दे देते है। यह व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देते हैं पर रकम बड़ी पर तथा दीर्घकालीन ऋण के लिए यह अच्छे प्रकार की जमानत ही स्वीकार करते हैं। ऋण देते समय यह किसी न किसी प्रकार का बॉण्ड लिखवा लेते हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए ऋण या तो हुण्डियों को खरीद कर अथवा इनकी कटौती करके देते हैं। अच्छी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर 6 % से लेकर 12 % तक होती है। अपर्याप्त प्रतिभूतियों अथवा किन्तु पर चुकाये जाने वाले ऋणों

पर ब्याज की दर कभी कभी 18% से 44% तक होती है। इनकी ब्याज की दर हमेशा भिन्न होती है और यह ऋण लेने वाले व्यक्ति की साख पर तथा जमानत पर निर्भर रहती है। ये भूमि, जेवर फसल आदि की जमानत पर ऋण देते हैं। ऋण, माल तथा वस्तुओं के रूप में भी दिया जाता है किन्तु वसूली माल के रूप में ही करते हैं। कारीगरों को यह कच्चा माल देते हैं रोकड़ी ऋण देते है और उनसे तैयार किया हुआ माल वापस ले लेते हैं। इस प्रकार देशी बैंकर कुटीर उद्योगों की भी अधिक सहायता करते हैं। कभी-कभी देशी बैंकर बड़े बड़े उद्योगों को भी आर्थिक सहायता करते हैं परन्तु गोदामों में रखे हुए माल पर यह ऋण नहीं देते हैं।

(3) हुण्डियों का व्यवसाय करना देशी बैंकर विभिन्न प्रकार की हुण्डियों का क्रय विक्रय करते हैं तथा उनके भुनाने का काम करते हैं।

दूसरे प्रकार के कार्यों में देशी बैंकरों का प्रमुख काम गैर बैंकिंग काम करना है। आजकल इनकी व्यापारिक काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये व्यापार अथवा दुकानदारी करते हैं। व्यापार करने की प्रवृत्ति का उद्देश्य, आधुनिक बैंकों की प्रतियोगिता में समय समय पर जो हानि हुई है, उस हानि की पूर्ति करने का है। कुछ व्यक्ति अनाज, कपास चाँदी तथा सोने का सट्टा करते हैं और कुछ व्यक्ति व्यापारिक फर्मों में एजेन्ट (Agents) के रूप में काम करते हैं।

देशी बैंकरों के उधार देने के तरीके

(Methods of Lending)

देशी बैंकरों की ऋण देने की रीति आधुनिक बैंकों से बिल्कुल भिन्न है। ये ब्याज की दर प्रायः प्रत्येक ऋण लेने वाले के लिए पृथक-पृथक निश्चित करते हैं जिससे अधिक से अधिक ब्याज की रकम वसूल कर सकें। इनके ऋण देने के तरीके निम्न प्रकार हैं।

(1) प्रतिज्ञा पत्र पर ऋण (Promisory Notes) —देशी बैंकर ऋण देते समय ऋणी से एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लेता है जिसमें वह एक निश्चित अवधि के पश्चात् ब्याज और मूलधन लौटाने का वायदा करता

है। इस प्रतिना पत्र पर ऋणी के अतिरिक्त दो और जमानती हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और यह शर्त होती है कि ऋणी द्वारा रुपया न लौटाने पर वह राशि जमानत देने वालों को लौटानी पड़ेगा।

(2) रसीद अथवा टोप (Acknowledgement given) —इस रीति में प्रतिना पत्र के स्थान पर ऋणी से केवल एक रसीद लिखवा ली जाती है। इसमें ब्याज की दर भी लिखवाई जाती है और ऋणी हस्ताक्षर करता है।

(3) दस्तावेज व तमस्सुक (Govt Stamp paper) —ऋणी सरकारी स्टाम्प के कागज पर ऋण का मूलधन, ब्याज की दर और निश्चित अवधि जब वह राशि लौटावेगा लिखता है और अपना वचन देता है। इस प्रकार स्टाम्प कागज पर ऋण का ब्यौरा लिखने को दस्तावेज अथवा तमस्सुक लिखना कहते हैं।

(4) किश्त (Fixed instalment) —इस रीति को बनज अथवा रहती भी कहते हैं। इस प्रणाली में ऋण को किश्तों में चुकाने का वायदा किया जाता है। पहली किश्त ऋण देते समय ही काट ली जाती है।

(5) रुजाही —यह भी एक प्रकार की किश्त प्रणाली है। ऋण की अदायगी किश्तों में की जाती है। पहली किश्त ऋण देते समय ले ली जाती है और शेष निर्धारित किश्तें जब तक रकम अदा न हो जावे प्रत्येक दिन वसूल की जाती है।

(6) टिकट-बही —इसमें ऋण की रकम लिख कर टिकट पर ऋणी के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर नहीं लिखी जाती है। वे जबानी आपसी बातचीत द्वारा तय कर लेते हैं। न्यायालयों में यह बही स्वीकार की जाती है।

(7) हाथ उधार —इस प्रकार ऋण लेने पर किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं की जाती है। बिना किसी लिखावट के रुपया दे दिया जाता है। कभी कभी इस रीति में ऋणी से शपथ लिखा ली जाती है।

(8) गिरवी —इस प्रणाली में सोना चांदी, जेवर व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आड़ पर ही ऋण दिया जाता है। इस प्रकार की आड़ पर वस्तुओं के मूल्य का अधिक से अधिक तीन चौथाई भाग ऋण में दिया जाता है।

(9) रहन (Mortgage)—इस रीति द्वारा सम्पत्ति की आड पर ही ऋण दिया जाता है। रहन तथा गिरवी म केवल यह अतर होता है कि रहन म भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति की आड पर और गिरवी मे चल सम्पति की आड पर ऋण दिया जाता है।

(10) माल के रूप मे ऋण—कृषक को प्राय वस्तुओ के रूप म ऋण दिये जात है। यह ऋण इस शत पर दिया जाता है कि फसल तयार हो जान पर सवाये और ड्योढ़े करके लौटाया जावेगा। कारीगरा को कच्चे माल क रूप म ऋण दिया जाता है और वह निश्चित कीमत पर तयार माल ऋण दाता को बचने का वायदा करता है।

देशी बैंकरो के दोष

(Evil Practices of Indigenous Bankers)

यह बात नि सशय माननी पडेगी कि देशी बकरा का देश के आर्थिक सगठन म विशिष्ट स्थान है। ये अनक महत्त्वपूण काय करते हैं पर समाज के द्वारा य बडी उपेक्षित दृष्टि स दखे जात हैं क्योकि इनकी काय प्रणाली म अनक दोष पाए जात हैं—

(1) ये लोग अपढ भारतीय ग्रामीणो को मनमाने ढग स ठगत हैं। इन का प्रमुख दोष बईमानी का है। इनक व्यवहारों म ऋणी का धोखा दने की प्रवृत्ति अधिकतर पाई जाती है। ठीक ढग स हिसाब नहीं रखना ऋण दते समय ऋण स अधिक रकम लिखा लेना खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लना और उसके पश्चात् उसम मनमानी रकम लिख लेना, ब्याज अथवा ऋण का भाग मिलने पर ऋणी को उस रकम की रसीद न देना, लिखाई का पसा अलग लेना, आदि अनुचित मार्गों स यह लाभ उठाते हैं।

(2) इनकी ब्याज की दर अत्यधिक होती है।

(3) ब्याज और ऋण की मूल रकम बढ़ जाने पर ही ये ऋण वान की

सूचना ऋणी को देते हैं। ऋणी के पास इतनी बड़ी रकम देने के लिए राशि नही होती है और साहूकार द्वारा ऋणी न बधक म रख म जो जेवर मकान भूमि इत्यादि रखा है खरीद लिया जाता है।

(4) य लोग न तो ऋण का हिसाब रखत हैं और न निरीक्षको क द्वारा अपन बही खाता की जाच करवात हैं।

(5) साधारण जनता का पसा जमा नही करत जिसस उनके पास ऋण देन के लिय कम धन रहता है।

(6) कवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दना सवथा उचित रहता है। ऐस दिए हुए ऋण का पैसा वापस मिलन की सभावना रहती है। विवाह जातीय भोज आदि अनुत्पादक कार्यों क लिए जो ऋण दिया जाता है उसस किसानो को अनावश्यक खच करन को पसा मिल जाता है और बुरी आदत पड जाती है। देशी बैंकर ऋण देत समय उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों म भेद नही मानता है।

(7) चक से पसा निकालन का प्रणाली का देशी बकर नही अपनात और पुराने तरीको पर ही काय करत हैं।

(8) ये लोग अपन ढग स काय करत हैं इनम आपसी कोई सगठन नही है। इनके द्वारा ली जान वाली ब्याज की दरो म तथा काय प्रणाली म भिन्नता पाई जाती है।

(9) यह ऋण लन वालो स बगार लते हैं तथा आज काय उनस मुफ्त करवाना चाहत हैं।

(10) ऋणी को अपना माल सस्त भाव म देशी बकरो को बचना पडता है तथा आवश्यकता की वस्तुएँ ऊच भाव म उनस खरीदनी पडती हैं।

देशी बैंकरों की काय प्रणाली मे सुधार तथा इनके विकास के लिए सुझाव

(Suggestions for the improvement of Indigenous Bankers)

देशी बकरो की काय प्रणाली मे अनेक दोष होते हुए भी लगभग सभी बैंकिंग जाँच समितियो ने स्वीकार किया है कि इनका देश की ग्रामीण अथ

व्यवस्था म बहुत महत्त्वपूण स्थान है। यह लगभग 70% ग्रामीण साख की पूर्ति करते हैं। इनका सेवाओ का अन्त कर देना ग्रामीण अथ-व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा। इनका तीन दशाओ मे सुधार हो सकता है —प्रथम इनकी काय विधि म सुधार द्वितीय इनकी आर्थिक स्थिति म सुधार तथा तृतीय इनके अनुचित कार्यों का अ त। इस सम्ब ध म सुझाव निम्न प्रकार हैं —

(1) देशी बकरा को बकिंग कार्यों के अतिरिक्त और अ य व्यवसायिक काय एव सट्टा व्यापार नहीं करना चाहिए। इनका रिजव बक से प्रत्यक्ष सम्ब ध स्थापित होना चाहिए और जिन स्थाना पर रिजव बक तथा स्टट बक की शाखाएँ नहीं हैं वहा पर इ हे उनक एजेन्ट के रूप म नियुक्त करना चाहिए।

(2) रिजव बक को अ य व्यापारिक बका की तरह इन पर भी इनकी पू जी, जमा धन, तथा काय विधि के सम्ब ध म कुछ प्रतिब ध लगान चाहिए और इसके बदले मे इ हे अग्रिम तथा स्वीकृत-पत्रों की पुन कटौती की सुविधाएँ देनी चाहिए। इस सुविधा को प्राप्त करन क लिए उ हे रिजव बक के पास अपने जमा घन के अनुपात म कुछ राशि जमा करनी होगी।

(3) व्यापारिक बका को भी स्वत त्रतापूवक इनकी हुण्डिया की पुन कटौती करनी चाहिए।

(4) इनकी काय विधि म आवश्यक सुधार करके इ हे आधुनिक आधार पर सगठित किया जाव और इनक अकेक्षण (Auditing) तथा निरीक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जावे।

(5) रिजव बक तथा स्टेट बक का इन देशी बकरो को भी राशि स्थाना तर की सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इससे इनका मुद्रा बाजार म महत्त्वपूण स्थान हो जावगा।

(6) देशी बकरा को सरकार से इस काय क लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होना चाहिए। सिफ उ ही को लाइसेंस दिया जावे जो निम्न शर्तों का पालन करना स्वीकार करें —

(1) ब्याज की दर निश्चित सीमा क अनुसार कम लेना।

(2) प्रत्येक ऋण का हिसाब ठीक तरह रखें तथा सरकारी आडिटर द्वारा जाँच करावें।

(3) प्रत्येक ऋण का हिसाब समय समय पर ऋणी के पास भेजें।

(4) ऋण सम्बन्धी प्रत्येक व्यवहार की रसीद ऋणी के पास भेजें। आशा है कि ऐसे लाइसेंस जारी हो जाने पर देशी बंकरों के अनेक दोषों का अन्त हो जावगा और इनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर भी कम हो जावगी।

(5) देशी बंकरों को अपने व्यवसाय का रूपान्तरण बिल्स की दलाली के व्यवसाय में करना चाहिए।

(6) अपनी अड़चनों को दूर करने के लिए इन्हें संगठित (Organised) होना चाहिए।

(7) देशी बंकरों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को इस प्रकार के नियम बनाने चाहिए कि उनके अनुचित व्यवहारों का अन्त हो जाय तथा ब्याज की दर भी कम हो सके। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया भी जा चुका है।

(8) विभिन्न राज्य सरकारों ने ऋणदाताओं की रक्षा के लिए समय समय पर जो नियम बनायें हैं उनका कार्य-वाहन सतोषजनक नहीं है। यह कमी दूर होनी चाहिए। देशी बंकरों के हिसाब किताब की जाँच की भारी आवश्यकता है जिससे उनके अनुचित व्यवहार कम हो जावें।

(9) इनको आधुनिक बंकों के समान नवीन तरीके से बैंकिंग व्यवहार करना चाहिए।

देशी बंकर और रिज़र्व बैंक

(Indigenous Bankers and Reserve Bank)

देशी बंकरों ने सदा से ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग समस्त मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति की है और नगर क्षेत्रों में भी इनका काफी महत्व है।

अत यह आवश्यक है कि देशी बंकरो का आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से समुचित सम्बन्ध रहे। इस समय रिजव बक का इन पर कुछ भी प्रभाव नही है और उसकी किसी नीति का इन पर असर नही पडता है। केद्रीय बकिग जाँच समिति की सिफारिशो के आधार पर सन् 1937 म रिजव बैंक ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके अनुसार कुछ निश्चित शर्तों पर देशी बकर रिजव बक की स्वीकृत सूची म सम्मिलित हो सकते हैं और इनका रिजव बक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। ये शर्तें निम्न हैं —

(1) केवल ऐसे देशी बकरा को रिजव बक की सूची मे सम्मिलित किया जा सकता है जो कम से कम 2 लाख रुपय म व्यवसाय करते हों और 5 वष म अपने व्यापार को 5 लाख रुपय तक बढाने को तयार हो।

(2) व बकिग के अतिरिक्त अय (व्यापार आदि) व्यवसाय छोड दें।

(3) वे अपने हिसाब नियमित रूप स रखें और रिजव बक के द्वारा समय समय पर उनकी जाँच करवाएँ।

(4) अपने हिसाबो को व्यापारिक बको की तरह प्रकाशित करते रहें और समय समय पर व आवश्यक विवरण रिजव बक को भजते रहे।

(5) जो देशी बैंकर उपरोक्त व्यवस्थाओ क अन्तगत रिजव बक स सुविधाएँ प्राप्त करने क अधिकारी नहीं है व भी अपने सघ बनाकर सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

(6) जो जनता से जमा धन (Deposits) प्राप्त करने के लिए तैयार हों तथा अय बैंको की तरह अपने दायित्वो का निश्चित भाग रिजव बक के पास जमा कराने के लिए तयार हों।

(7) इस नियन्त्रण के बदले म उन्हे हुण्डियो को पुन भुनान (Rediscounting of bills) अपना द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा रिजव बक के पास द्रव्य जमा (Deposit) रखने की सुविधाएँ मिल जायेगी।

दनी बकरा ने उक्त सुझाओ एव शर्तों को अनुपयुक्त बताया तथा इनका बहुत विरोध किया परिणामत भारतीय बकिंग के देशी व आधुनिक अङ्गो के बीच आवश्यक सामञ्जस्य स्थापित नही हो पाया है। केवल 7 संस्थाओ ने ही रिजव बक की सुविधाओ का लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। सबसे बडी कठिनाई यह है कि देशी बकर अपने लाभदायक व्यापारिक व्यवसाय को छोडने को तयार नही हैं। सन् 1949 का बकिंग विधान देशी बकरा तथा साहूकारो पर लागू नहा होता है। यदि यह संस्थाए अपने नाम के साथ बक शब्द तथा बकर का प्रयाग नहा करती है, तो यह विधान इनके कार्यों म भी कोई हस्तक्षेप नही कर सकता।

देशी बकरो की वतमान स्थिति

(Present Position of Indigenous Bankers)

वतमान काल म देशी बकर स्टट बक तथा अन्य व्यापारिक बको से निम्न सुविधाएँ प्राप्त करते है।

(1) देशी बकर अपने ग्राहको स हुडियाँ खरीद लेते है तथा इन्हे स्टेट बक एव अन्य बका से भुना सकते हैं। इस सम्बन्ध म इन बको के पास देशी बकरो की एक सूची रहती है जिसम प्रत्येक बकर के नाम के आगे एक रकम लिखी रहती है जिससे अधिक मूल्य की हुण्डियाँ भुनाने की सुविधा देशी बकरा का नही दी जाती।

(2) प्रतिज्ञा-पत्रो की जमानत पर जिन पर कम स कम दो व्यक्तियो के हस्ताक्षर हो, ये नकद साख (Cash Credit) प्राप्त कर सकते है।

(3) देशी बको पर लिखे गए चक अथवा उनके नाम किये गए रेखांकित चक ये बक स्वीकार नही करते है।

(4) देशी बकरो को यह बक एक स्थान से दूसरे स्थानो को धन भिजवाने की सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

रिजव बक ने 31 माच सन् 1953 को एक योजना के अन्तगत कतिपय अनुमोदित (Approved) गैर सदस्य बको अथवा देशी बकरो को एक

स्थान से दूसरे स्थान मे अपेक्षाकृत कम शुल्क पर धन के स्थानान्तरण कराने की सुविधा प्रदान की है।

1957 58 के ग्रामीण साख सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति (Rural Credit Follow up survey) से यह निष्कर्ष निकला है कि जिन 12 जिलो का सर्वेक्षण किया गया उनमे से अधिकाश म साहूकार और देशी बकरो का ग्रामीण साख मे प्रभुत्व है। पाच जिलो म तो साहूकार या देशी बकर कुल ग्रामीण साख के 80 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थे जब कि अन्य चार जिलो म इनका योगदान 60-70 प्रतिशत था। केवल तीन जिलो (सोरठ, क्विलन तथा जालधर) मे साहूकार तथा देशी बकरो द्वारा बहुत कम ऋण दिए गए थे। इनम भी सोरठ तथा क्विलन मे क्रमश 16 तथा 20 प्रतिशत और जालधर म 49 प्रतिशत ग्रामीण साख साहूकार और देशी बकरो द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इससे स्पष्ट है कि साहूकार तथा देशी बकरो का महत्त्व शिक्षित क्षेत्रो (दक्षिण भारत) म कम हो रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रो मे इसम कोई कमी नहीं आई है।

साहूकार तथा देशी बकरों का भविष्य स्वतन्त्रता के पश्चात् विशेषत जब से भारत सरकार ने देश म समाजवादी समाज की स्थापना करने का निश्चय किया है पचायत राज, सहकारी सगठन तथा सामुदायिक विकास योजनाओ के त्रिमुखी कार्यक्रम द्वारा जन-जागृति और आर्थिक विकास की प्रगति हुई है। ग्रामो म इन कार्यक्रमों से चेतना की जो लहर उठी है उसके कारण साहूकार तथा देशी बकरो का आसन डोल गया है और वह नये ढग के व्यवसाय तथा धधे अपनाने के लिए बाध्य हो गए हैं। बको के विकास के कारण देशी बकरो की हुडियो का महत्त्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और मुद्दती हुडियाँ तो प्राय समाप्त हो गई हैं। इन बातो को ध्यान म रखते हुए ही कुछ समय पूर्व बम्बई सर्राफ सघ के अध्यक्ष बाबूभाई चिनाय (जो लोकसभा के सदस्य भी हैं) ने यह सुझाव दिया था कि देशी बकरो को रिजर्व बक की छत्र मान कर रिजर्व बक के अनुशासन म आ जाना चाहिए। समय एव परिस्थितियों की यही माग है। आने वाले वर्षों म साहूकारो तथा देशी

बैंकरों की क्रियाओं पर नियन्त्रणों का जाल घना होता जायगा अतः समय रहते चेत जाना ही उनके लिये श्रेयस्कर होगा।

अभ्यास के प्रश्न

1 भारतीय साहूकार के कारोबार का वर्णन कीजिए। आपके विचार मे इनका सुधार अधिक उचित है या उन्मूलन।
2 भारत में देशी बैंकरों का महत्त्व समझाइये।
3 देशी बैंकर और आधुनिक बैंक का भेद बतलाइए।
4 देशी बैंकर और साहूकार का भेद बताइए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में देशी बैंकर का स्थान बताइये।
5 भारतीय देशी बैंकरों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। उनके दोष समझाइये और उन्हें दूर करने के उपाय भी लिखिए।
6 अनेक दोषों के होते भी 'साहूकार' आज भी क्यों जीवित है ? इनके क्या दोष हैं और उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?
7 देशी बैंकरों से आप क्या समझते हैं ? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?
8 देशी बैंकरों का भविष्य अधिक उज्ज्वल कैसे बनाया जा सकता है ?

अध्याय 3

सहकारी साख आन्दोलन

(Co operative Credit Movement)

ससार म दो प्रकार की अथ व्यवस्थाओ का विशेष प्रचलन है। पहली व्यवस्था पू जीवादी है जिसम प्रत्येक व्यक्ति को उद्योग अथवा व्यवसाय करने की छूट होती है और सरकारी हस्तक्षेप नाम मात्र को होता है। पू जीवाद म पू जीपति लोग लाभ कमाने म स्वतन्त्र होते हैं अत वह धन सग्रह करने मे सफल हो जाते हैं जिससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ जाती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी कहलाती है जिसम उत्पादन तथा व्यवसाय के अधिकाश साधनो पर राज्य का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति मे सरकार को मनमानी करने का अवसर मिल जाता है और अनेक बार आवश्यकता की वस्तुए मिलनी कठिन हो जाती हैं या बहुत मँहगी मिलती हैं।

सहकारिता मध्यम माग पू जीवादी और समाजवादी अथ व्यवस्था के बीच का रास्ता सहकारिता है। सहकारिता के अतगत निधन अथवा सामान्य वग के व्यक्ति मिलकर एक सस्था का निर्माण कर लेते हैं। यह सस्था उन व्यक्तियो की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उन्हें उचित काय करने की सलाह देती रहती है। इस प्रकार सहकारिता का अथ आपसी सहयोग द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना तथा पू जीवाद और सरकारी शोषण से बचाना है।

सहकारी साख का उदय सहकारी आन्दोलन का आरम्भ इगलैड मे हुआ जहाँ राबट ओवन ने सबसे पहले सहकारी भण्डारों की स्थापना की। इन भंडारो म प्रत्यक वस्तु अच्छी किस्म की तथा कम मूल्य पर मिलती थी। जमनी म फ्रेडरिक विलयम रैफेजन और हरमन शुल्ज डेलिश न सहकारी साख समितियाँ

स्थापित करने पर बल दिया। इन समितियों का उद्देश्य किसानों तथा नगर के सामान्य व्यक्तियों को कम ब्याज पर ऋण देना था। इनको क्रमश रैफेज़न समितियाँ या ग्रामीण साख समितियाँ और शुल्ज डेलिश या नागरिक सहकारी साख समितियाँ कहा जाता है।

ग्रामीण साख समितियों और नागरिक सहकारी साख समितियों में अन्तर

ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ	नागरिक सहकारी साख समितियाँ
1 इनका कार्य क्षेत्र एक गाँव या दो तीन ग्रामों तक सीमित होता है।	1 इनका क्षेत्र एक बड़ा नगर तथा कभी कभी उसके पास के उपनगर होते हैं।
2 इनके एक अंश का मूल्य बहुत कम रखा जाता है ताकि प्रत्येक ग्रामवासी कम से कम एक अंश खरीद सके। भारत में इन समितियों के अंश का मूल्य प्राय २ रुपये से पाँच रुपये होता है।	2 नागरिक समितियों के अंश कुछ बड़े मूल्य के होते हैं। भारत में इनके अंशों का मूल्य प्राय 10 रुपये से 100 रुपये तक होता है।
3 ग्रामीण समितियों की सदस्य संख्या तथा पूंजी कम होती है।	3 शुल्ज समितियों की सदस्य संख्या तथा पूंजी अधिक होती है।
4 रैफेज़न समितियों के सदस्यों का दायित्व प्राय असीमित होता है। गत वर्षों में यह समितियाँ भी सीमित दायित्व रखने लग गई हैं।	4 नागरिक समितियों के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

5 ग्रामीण समितियों में प्राय अवैतनिक व्यक्ति काम करते हैं। अब एक सचिव को कुछ वेतन या भत्ता देने की व्यवस्था हो गई है।	5 नागरिक समितियाँ बड़ी होती हैं अत उनके अधिकतर कार्यकर्ता वैतनिक होते हैं।
6 ग्रामीण समितियाँ केवल सदस्यों को ऋण देती हैं।	6 नागरिक समितियाँ गैर सदस्यों को भी ऋण देती हैं।
7 रैफेजन समितियाँ केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं तथा ऋण देने के पश्चात् उसकी राशि के उपयोग का ध्यान रखती हैं।	7 नागरिक समितियाँ उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण दे देती है और ऋण देन के पश्चात् वह उसके प्रयोग के सम्बन्ध म विशेष ध्यान नही देती।
8 रैफेजन समितियाँ प्राय अल्पकालीन ऋण देती हैं और ऋण मुख्यत व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं।	8 नागरिक साख समितियाँ मध्यकालीन तथा कभी-कभी लम्बी अवधि के ऋण भी दे देती हैं। वह ऋण देत समय पूरी धरोहर लेती हैं।
9 ग्रामीण समितियाँ लाभ वितरित नही करती, सम्पूर्ण लाभ, कोष निधि में डाल दिया जाता है।	9 नागरिक साख समितियाँ केवल २५ प्रतिशत लाभ कोष निधि म रखती हैं शेष लाभ सदस्यों को लाभांश के रूप में बाँट दिया जाता है।

भारत में सहकारी साख आंदोलन भारत म सहकारी साख आदोलन की नीव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी। उन्होंने सन् 1895 म मद्रास म कृषि बक स्थापित करने का सुझाव दिया था और सरकार पर यह जोर दिया कि भारत म सहकारी साख समितियो की स्थापना की जानी चाहिए। तन्नुसार भारत म सन् 1904 म सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया।

सहकारी समिति अधिनियम के अन्तगत केवल प्राथमिक साख समितियाँ बनाने की व्यवस्था थी। अत 1912 म नया सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया जिसम दो महत्त्वपूण व्यवस्थाएँ की गई।

1 साख समितियो के अतिरिक्त क्रय विक्रय उपभोक्ता तथा अन्य प्रकार की समितियाँ स्थापित करना।

2 सहकारी केन्द्रीय बको तथा प्रान्तीय सहकारी बको की स्थापना करना।

तदनुसार सहकारी साख समितियो तथा अन्य समितियों का विकास तेजी से होने लगा। 1915 म मेक्लेगन समिति ने देश की सहकारी समितियो का पुनगठन करने का सुझाव दिया। सन् 1919 म प्रान्तीय सरकारों को सहकारिता सम्बन्धी अलग कानून बनाने का अधिकार मिल गया जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रातो तथा देशी राज्यो मे अलग-अलग सहकारिता कानून बनने आरम्भ हो गये। बम्बई प्रात ने अपना प्रथम सहकारी समिति अधिनियम 1925 म पास किया तत्पश्चात् मद्रास ने 1932 बिहार और उडीसा ने 1935 तथा कुग ने 1937 में अपने अपने सहकारी कानून पास किए और बगाल में 1940-41 मे सहकारी कानून बनाया गया।

अतर्राष्ट्रीय मदी और विश्व युद्ध सन् 1929 तक सहकारी आदोलन निरन्तर प्रगति करता रहा किन्तु 1930-34 मे विश्वव्यापी मन्दी के कारण सभी वस्तुओ के मूल्यो म कमी आ गई जिससे किसानों को बहुत हानि हुई और वह अपने ऋण समय पर न चुका सके जिससे अनेक साख समितियों को बन्द होना पडा। कुछ समय पश्चात् मूल्यो की स्थिति मे सुधार हुआ जिससे सहकारी आदोलन मे पुन गति आने लगी।

द्वितीय युद्धकाल (1939-45) में भी सहकारी आंदोलन निरन्तर गतिशील रहा और उपभोक्ता सहकारी भंडारों ने विशेष प्रगति की क्योंकि चीनी वस्त्र, अनाज, तेल आदि वितरण के काम में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई।

1946 में सहकारी आयोजन समिति (Co-operative Planning Committee) ने यह सुझाव दिया कि सहकारी साख के साथ-साथ कृषि पदार्थों के क्रय विक्रय तथा माल सवारने की क्रियाओं का भी समन्वय और सहयोग किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति और आयोजन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सहकारी आन्दोलन को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य में सहकारिता कानून पास कर दिए गए हैं और विभिन्न समितियों (ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, मेहता समिति आदि) की सिफारिश पर राज्य सरकारों ने सहकारी साख समितियों में प्रत्यक्ष पूंजी लगाना आरम्भ कर दिया है।

सहकारी साख का संगठन भारत में सहकारी साख आंदोलन स्तूपाकार (Pyramidical) है। इसका अर्थ यह है कि ग्राम तथा नगर स्तर पर प्राथमिक साख समितियाँ हैं जिनका सम्बन्ध जिलास्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों से है। केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रत्येक जिले में एक है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऊपर राज्य सहकारी बैंक हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक है और सब केन्द्रीय सहकारी बैंक उसके सदस्य हैं।

प्राथमिक साख समितियां

(1) स्थापना एक ग्राम अथवा किसी क्षेत्र के कोई दस व्यक्ति मिल कर एक प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। समिति की रजिस्ट्री करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसके सदस्य एक जैसा ही व्यवसाय करते या व्यक्ति हों तथा सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित हों।

(2) क्षेत्र जो समितियाँ ग्रामों में बनाई जाती हैं उनका क्षेत्र प्रायः एक ग्राम पंचायत के समान होता है अर्थात् एक पंचायत क्षेत्र में एक

प्राथमिक सहकारी समिति निर्मित की जाती है। नगरो मे स्थापित होने वाली साख समितियो का क्षेत्र प्राय बड़ा होता है।

(3) पूजी प्राथमिक साख समितिया की पूजी तीन साधनो से प्राप्त की जाती है। (क) अश बेचकर, (ख) केन्द्रीय सहकारी बक स ऋण लेकर तथा (ग) जनता से जमा रकम प्राप्त कर। अश पूजी म यदि समिति के सदस्य 2000 रुपय सग्रह करते हैं तो उतनी ही राशि सरकार लगा देती है।

(4) मताधिकार सहकारी समितियो म कोई व्यक्ति कितने ही अशो का मालिक हो उसे एक मत से अधिक देने का अधिकार नही होता।

(5) प्रबध प्राथमिक समिति का प्रबध एक प्रबधक मण्डल द्वारा किया जाता है। समिति के सारे सदस्य अपनी वार्षिक सभा म प्रबधक मण्डल के सदस्या का चुनाव कर लते हैं। यह मण्डल समिति के सारे काय का सचालन करता है। *सहकारी समिति के कार्यालय का भार प्राय एक सचिव(secretary) के आधीन होता है जो अवतनिक काम करता है या कुछ भत्ता प्राप्त करता है। नगरो म स्थापित साख समितिया के सचिव तथा अन्य कमचारियो को वेतन देने की व्यवस्था होती है।*

(6) व्यवसाय प्राथमिक साख समितियाँ केवल अपने सदस्या को ऋण देती हैं। ऋण की मात्रा प्राय सदस्य की पूजी तथा जमा रकम पर निभर करती है परतु विशेष परिस्थितियो म अधिक ऋण देने की व्यवस्था भी हो जाती है। *ऋण केवल व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं और एक वष से अधिक के लिए नहीं होते।*

साख समितियाँ केवल उत्पादक कार्यों के लिये ऋण देती हैं और उन पर ब्याज की दर 8 से 12 प्रतिशत तक होती है। ऋण देने के पश्चात् उनकी रकम के सदुपयोग का ध्यान रखा जाता है।

(7) कोष *प्राथमिक साख समितियाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती अत उनका खच निकालने के पश्चात् जो बचत होती है वह प्राय एक कोष निधि म डाल दी जाती है। नगरों म स्थापित समितियाँ*

दस प्रतिशत तक लाभाश बाँट सकती हैं परन्तु लाभाश बाँटने से पहले बचत का 25 प्रतिशत भाग रोप निधि म डालना अनिवाय है।

(8) अङ्केक्षण सहकारी समितिया के खाता तथा हिसाब की जाँच सहकारी विभाग के कमचारियो द्वारा की जाती हैं और यह हिसाब 30 जून तक की तिथि के लिए तयार किये जाते हैं।

(9) सदस्यता मुक्ति यदि कोई व्यक्ति साख समिति की सदस्यता का त्याग करना चाहे तो वह एक लिखित आवेदन कर देता है और उसकी अश पूजी लौटा दी जाती है। सहकारी साख समितिया के अशधारी अपने अश केवल समिति का अनुमति स ही बच सकते हैं। एसा इसलिए किया जाता है कि साख समितिया की सदस्यता अवाछनीय व्यक्ति प्राप्त न कर सकें।

भारत मे प्राथमिक सहकारी साख समितियो की प्रगति

(रकम लाख रुपयों मे)

मद	1950-51	1960-61	1962-63
1 सख्या (लाखो म)	1 15	2 24	2 24
2 सदस्य (,)	51 54	216 14	272 37
3 प्रन्त पूजी	840	9072	12161
4 कोष	886	3086	3834
5 निक्षेप	448	1096	—

भारत म प्रथम दो पचवर्षीय योजनाओ की अवधि म प्राथमिक सहकारी साख समितियो की सख्या 1 15 लाख से बढ़ कर 2 24 लाख हो गई है। इनके सदस्या की सख्या 52 लाख से बढ़ कर 216 लाख हो गई है। इस प्रकार समितिया की सख्या लगभग दुगुनी तथा सदस्या की सख्या लगभग चार गुनी हुई है। इस अवधि म समितिया की चालू पूजी 22 करोड रुपये से बढ़कर 132 करोड रुपये अर्थात् छ गुनी हो गई है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक

भारत म प्रत्येक राज्य क प्रत्येक जिले म एक एक केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया गया है। 1962 63 म ऐसे बकों की कुल सख्या 386 थी।

दो प्रकार केन्द्रीय सहकारी बक दो प्रकार क होते ह प्रथम एस बक जिनकी सदस्यता केवल प्राथमिक सहकारी समितियो को प्राप्त है। दूसरे एस बक जिनम व्यक्ति एव समितियाँ दोनो प्रकार क सदस्य ह।

स्थापना केन्द्रीय बकों की स्थापना भी प्राथमिक समितियो की भाँति ही होती है। इनकी सदस्यता मुख्यत प्राथमिक सहकारी समितियाँ ही प्राप्त करती ह और वह इन बकों की पूजी खरीदती ह।

प्रबन्ध केन्द्रीय सहकारी बकों का एक सचालक मडल होता है जिसके सदस्यों का चुनाव साधारण सभा म किया जाता है। यह मडल बक की नीति निर्धारित करता है और उसका पालन बक क मनेजर तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यह सभी कमचारी वेतन भोगी होते ह।

साधन पूजी क अतिरिक्त इन बकों के साधन राज्य सहकारी बक से प्राप्त ऋणों तथा जनता की जमाओं (Deposits) स प्राप्त होते ह। केन्द्रीय सहकारी बकों का केन्द्रीय कार्यालय किसी नगर (जिले क मुख्य नगर) म होता है अत उन्हें जनता स जमा प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल जाता है।

व्यवसाय केन्द्रीय सहकारी बकों का मुख्य काय तो सदस्यों को ऋण देना होता है परन्तु व्यवहार म वह सभी प्रकार का बकिंग व्यवसाय करते ह और सदस्यों तथा गर सदस्यों को ऋण देते हैं। ऋण देते समय केन्द्रीय सहकारी बक पूरी जमानत रखते हैं और प्राय एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण देते हैं। कृषि ऋण प्राय व्यापारिक बिलों के आधार पर दिये जाते हैं किन्तु शेष ऋण किसी भी प्रकार की धरोहर पर दिये जा सकते हैं। केन्द्रीय सहकारी बकों क ऋणों पर प्राय 6 स 8 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

लाभ तथा कोष प्राथमिक साख समितियों की भांति ही केन्द्रीय सहकारी बैंक भी अपनी शुद्ध बचत का 25 प्रतिशत एक कोष मे स्थानान्तरित करते है तथा शेष लाभांश के रूप म सदस्यो को वितरित कर देते हैं।

अंकेक्षण तथा नियंत्रण केन्द्रीय सहकारी बैंको के लाभ हानि खाते तथा अन्य हिसाब किताब की जांच भी सहकारी विभाग के अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। सहकारी विभाग इन बैंको की ऋण नीति पर भी नियन्त्रण करता है। यह नियन्त्रण राज्य सहकारी बैंक की माफत किया जाता है क्योंकि वह बैंक ही केन्द्रीय बैंको को आवश्यकता के समय ऋण देते हैं।

भारत मे केन्द्रीय सहकारी बैंको की प्रगति

	1951-52	1962-63
1 संख्या	509	386
2 सदस्य (लाखों म)	2 31	3 99
3 प्रदत्त ऋण (लाख रु म)	105,64	292 13
4 चालू पूंजी (लाख रु म)	60,11	400 11

केन्द्रीय सहकारी बैंको की प्रगति योजना के ग्यारह वर्षों म केन्द्रीय सहकारी बैंको की संख्या 509 से घट कर 386 रह गई। (30 जून 1963 को उनकी संख्या 386 थी)। संख्या म कमी का कारण यह है कि जिस जिले में एक से अधिक केन्द्रीय सहकारी बैंक था वहां सबको मिला कर एक ही बैंक स्थापित कर दिया गया। अत कुछ बैंको को बन्द करना पड़ा। योजना के ग्यारह वर्षों म केन्द्रीय सहकारी बैंको की चालू पूंजी की राशि 60 करोड रुपये से बढ़ कर 400 करोड रुपये हो गई है और ऋण शेष 106 करोड रुपये से बढ़कर 292 करोड रुपये। वैसे तो विकासशील देश म बैंको के ऋणों की मात्रा बढ़नी स्वाभाविक है परन्तु उनके उचित उपयोग का ध्यान रखना आवश्यक है।

नागरिक सहकारी बैंक देश के कुछ नगरों में कुछ व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक सहकारी बैंको की रचना कर ली है। यह बैंक विविध व्यापार

रिक बकों की भाँति काम करते है, केवल इनकी रजिस्ट्री सहकारी नियम क अतगत हुई है। नागरिक सहकारी बकों की पूजी, प्रबन्ध तथा व्यवसाय सवथा व्यापारिक बकों की भाँति होता है और यह व्यवसाय तथा सेवाओं म व्यापारिक बकों से स्पर्द्धा करते हैं।

राज्य सहकारी बैंक

भारत क प्रत्यक राज्य म एक राज्य सहकारी बक की स्थापना की गई है। यह बक राज्य के सभी सहकारी बकों का केन्द्र बिन्दु होता है क्योंकि यह उनको आवश्यक राशि उधार देता है तथा उनकी नीतियों का निर्देशन करता है।

सदस्यता राज्य सहकारी बकों की सदस्यता मुख्यत केन्द्रीय सहकारी बक को प्राप्त होनी चाहिये परन्तु इन बकों के प्रबन्ध म अर्थशास्त्रियों तथा सहकारी आन्दोलन म रुचि रखने वाले व्यक्तियों को भी स्थान देना उचित समझा गया है ताकि वह समय-समय पर राज्य सहकारी बकों की नीति निर्धारण करने म उचित योगदान दे सकें। इस कारण स ही सहकारी बकों की सदस्यता केन्द्रीय सहकारी बकों तथा विशेष योग्यता वाले कुछ व्यक्तियों को दी गई है।

पूजी राज्य सहकारी बकों की कुछ पूजी तो अंश बचकर तथा रकम जमा कर प्राप्त की जाती है तथा शेष रिजव बक आफ इण्डिया से ऋण के रूप म प्राप्त जाती है। यह ऋण सरकारी प्रतिभूतियों कृषि बिलों अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

व्यवसाय राज्य सहकारी बकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बकों को ऋण दिये जाते हैं। केन्द्रीय सहकारी बक यह ऋण प्राथमिक समितियों को देते हैं और प्राथमिक साख समितियां इन्हें कृषि तथा लघु उद्योगों को दे देती हैं। राज्य सहकारी बक अपने ऋणों पर प्राय 4 प्रतिशत स 6 प्रतिशत ब्याज लेते हैं।

प्रबन्ध राज्य सहकारी बक का प्रबन्ध एक सचालक मण्डल के हाथ म होता है जिसका चुनाव सदस्यों की वार्षिक सभा म किया जाता है। यह

सचालक मण्डल बैंक की ऋण तथा अन्य नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य सहकारी बक के सभी कर्मचारी वेतनभोगी होते है।

राज्य सहकारी बैंक का कार्यालय प्राय राज्य की राजधानी में होता है अत उसे बडे बडे बैंको से स्पर्धा करनी पड़ती है। इस दृष्टि से यह बैंक प्राय व्यापारिक बैंकों के सभी कार्य करते हैं। सहकारी सस्थाओ का प्राय अपने खाते राज्य सहकारी बैंको अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रखते पडते हैं क्योंकि उनके उपनियमों में ऐसी ही व्यवस्था होती है।

शाखाएँ राज्य सहकारी बैंक प्राय उन स्थानों पर अपनी शाखाएँ खोल देते हैं जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है भारत में यह नीति अपना ली गई है कि जहाँ केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ कुछ समय राज्य सहकारी बैंक की शाखा रहेगी किन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंक खुलने पर वहाँ राज्य बैंक की शाखा बन्द कर दी जायगी।

राज्य सहकारी बैंकों की प्रगति

	1951-52	1962-63
1 सख्या	16	21
2 सदस्यता (हजार)	23	24
3 चालू पूजी (लाख रु म)	36 72	281,51
4 प्रदत्त ऋण	55,27	256 29
5 ऋण शेष	20 01	196,51

प्रगति भारत म 1962-63 म 21 राज्य सहकारी बैंक थे जिनकी प्रदत्त पूजी 21 करोड़ रुपये जमा रकम 81 करोड़ रुपए तथा ऋण शेषों की मात्रा 214 करोड़ रुपए थी।

भूमि बन्धक बैंक

(Land Mortgage Banks)

आवश्यकता प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ अथवा केन्द्रीय और राज्य सहकारी बैंक प्राय अल्पकालीन तथा कभी-कभी मध्यकालीन ऋण दे देते हैं परन्तु किसानों को बहुधा भूमि या बैल खरीदने अथवा भूमि सुधार करने के लिए लम्बी अवधि के ऋणों की आवश्यकता होती है। साख समितियां या सहकारी बैंक ऐसे ऋणों का प्रबन्ध नहीं कर सकते क्योंकि इन संस्थाओं के पास जो रकम जमा की जाती है वह प्राय थोड़े समय के लिए जमा की जाती है। रिज़र्व बैंक भी अल्पकाल के लिये ऋण देता है अतः दीर्घकालीन ऋण देने के लिए विशेष प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करना आवश्यक समझा गया है।

भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना का दूसरा कारण यह है कि व्यापारिक या सहकारी बैंक भूमि की जमानत पर ऋण देना पसन्द नहीं करते क्योंकि भूमि का वास्तविक मूल्य निर्धारित करना कठिन होता है तथा यह निश्चित करने में भी कठिनाई होती है कि जमानत में रखी गई भूमि का असली मालिक कौन है।

अर्थ तथा विशेषताएं ऊपर दिये गये ब्यौरे से स्पष्ट है कि भूमि बन्धक बैंक किसानों को लम्बी अवधि के ऋण देते हैं तथा इन ऋणों के पीछे कृषि भूमि जमानत में रखी जाती है। भूमि बन्धक बैंकों के पास भूमि का स्वामित्व तथा उसका मूल्य आंकने के लिये विशेषज्ञ होते हैं। बहुत बार वह वकीलों अथवा भूमि के बारे में जानने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग भी कर लेते हैं।

ऋण देने की पद्धति सहकारी भूमि बन्धक बैंक प्राय दो प्रकार के होते हैं। एकल बैंक जो एक संस्था के रूप में होते हैं और जो ऋणों के लिए प्रार्थनापत्र स्वयं ही प्राप्त करते हैं स्वयं ही ऋण स्वीकृत करते हैं तथा उनकी वसूली का काम भी उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है।

दूसरी प्रकार के बक सघीय बक होत हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य म एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बक की स्थापना की जाती है और प्रत्येक जिले म एक एक प्राथमिक या प्राइमरी भूमि बन्धक बक स्थापित कर दिया जाता है। प्राथमिक बक अपने जिले के किसानो से ऋण के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करता है और उनकी पूरी तरह जाच करता है। वह जमानत के रूप म प्रस्तुत की गई भूमि का मूल्य तथा उसके मालिक के बारे म भी निश्चय कर लता है। तत्पश्चात् प्राथमिक बक अपनी राय के साथ ऋण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र केन्द्रीय भूमि बन्धक बक के मुख्य कार्यालय को भेज देता है। वहाँ प्रत्येक ऋण प्रार्थना पत्र पर फिर विचार किया जाता है। यह विचार एक केन्द्रीय ऋण समिति द्वारा होता है जिसम भूमि बन्धक बक के चुन हुए विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। यह समिति प्रत्यक प्रार्थना पत्र पर विचार कर अपना निर्णय दे देती है। तत्पश्चात् प्रत्येक ऋण की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना प्राथमिक भूमि बन्धक बको को भेज दी जाती है।

जिन व्यक्तियो को केन्द्रीय भूमिबन्धक बक द्वारा ऋण दने की स्वीकृति की जाती है प्राथमिक बक उन्ह इस बात की सूचना दे देते हैं और उनकी भूमि बन्धक रखने सम्बन्धी कागजो की अदालत से रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तत्पश्चात् उन किसानो को प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण की रकम दे दी जाती है। ऋण की रकम देन के पश्चात् उस पर छ माही ब्याज तथा अवधि बीतने पर उधार की रकम की वसूली भी प्राथमिक बक ही करते हैं।

अवधि तथा ब्याज भूमिबन्धक बक प्राय 7 स 20 वर्ष तक के लिए ऋण दते हैं तथा उनकी ब्याज की दर 8 से 10 प्रतिशत तक होती है। ब्याज प्राय छ मास या एक वर्ष के पश्चात् वसूल किया जाता है।

कार्यशील पूजी के स्रोत भूमि बन्धक बको की मुख्य पूजी तो अश बच कर प्राप्त की जाती है परन्तु उनकी अधिकांश रकम ऋण पत्र (Debentures) बेच कर प्राप्त की जाती है। यह ऋण पत्र 15-20 वर्ष के लिए होत हैं और इन पर 6-7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है।

भारत मे प्रत्येक भूमिबन्धक बक द्वारा बच गय ऋण पत्रों की गारटी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह ऋण पत्र व्यापारिक बैंक, सहकारी

अध्याय 4

स्टेट बैंक आफ इन्डिया

(State Bank of India)

स्टेट बक आफ इडिया का निर्माण इम्पीरियल बक के राष्ट्रीयकरण के द्वारा हुआ अत पहले इम्पीरियल बक का सक्षिप्त ब्यौरा देना उचित होगा।

इम्पीरियल बक आफ इडिया सन् 1913 म भारत सरकार ने भारत की मुद्रा और बक व्यवस्था के सम्बन्ध म सुभाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी जिसे चेम्बरलेन आयोग कहा जाता है। इस आयोग के एक सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर कीन्स थे। कीन्स महोदय ने देश के तीन प्रेसीडेंसी बकों (बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास प्रेसीडेंसी बक) को मिलाकर एक शक्तिशाली बक की स्थापना का सुभाव दिया जो भारत के केन्द्रीय बक का काय कर सके और देश की मुद्रा और बक व्यवस्था का उचित सचालन कर सके।

प्रथम युद्ध काल (1914–18) मे देश के 95 बक बन्द हो गए क्योंकि उनकी व्यवस्था ठीक नही थी और न ही उन पर उचित नियन्त्रण था। अत भारत सरकार ने तीनो प्रेसीडेंसी बकों को मिला कर इम्पीरियल बक आफ इडिया बनाने का निश्चय किया जिसने 27 जनवरी 1921 को काय आरम्भ कर दिया।

उद्देश्य इम्पीरियल बक के तीन मुख्य उद्देश्य थे।

1 भारत की बक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना तथा उस पर उचित नियन्त्रण रखना।

2 विदेशी बकों मे स्पर्द्धा कर भारत के विदेशी व्यापार म वृद्धि करना।

3 ब्रिटिश बकों से सीधा सम्पक स्थापित कर भारतीय लन देन को सरल बनाना।

इन तीनों कार्यों म सफलता प्राप्त करने के लिए एक साधन सम्पन्न तथा शक्तिशाली सस्था की आवश्यकता थी जो देश के बको की सहायता प्रदान कर सके तथा विदेशों स सीधा सम्पक स्थापित कर भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सके।

पू जी तथा प्रबन्ध स्थापित होने के समय इम्पीरियल बक की अधिकृत पू जी 11 25 करोड़ रुपये और प्रदत्त पू जी 5 625 करोड़ रुपय थी। यह निम्न प्रकार विभाजित थी।

7,500 अश जिन पर 500 रुपये प्रति अश चुकना था।

1 25 000 अश जिन पर केवल 125 रुपये प्रति अश चुकता था।

प्रदत्त पू जी के अतिरिक्त बक की कोष-निधि लगभग 4 14 करोड रुपये तथा जमा रकम 6 करोड रुपय थी।

केन्द्रीय बक क्यों नहीं ? आरम्भ से ही इम्पीरियल बैंक को 12 करोड रुपय वार्षिक तक मुद्रा बाजार म डालने का अधिकार था और यह मुद्रा भारत सरकार से प्राप्त की जा सकती थी किन्तु बक को न तो स्वय नोट निकालने का अधिकार दिया गया और न ही उस बकों पर नियन्त्रण के कोई अधिकार दिए गए।

सन् 1925 म हिल्टन यग मुद्रा आयोग न इस बात पर विचार किया कि इम्पीरियल बक को ही देश का केन्द्रीय बक बनाया जाय या किसी नए बक की स्थापना की जाए। आयोग के अधिकतर सदस्यो का यह मत था कि इम्पीरियल बक को केन्द्रीय बक नहीं बनाना चाहिए।

केन्द्रीय बक न बनने के कारण आयोग न इम्पीरियल बक को केन्द्रीय बैंक न बनाने के निम्नलिखित कारण दिए

1 **व्यापारिक बक** इम्पीरियल बक एक व्यापारिक बक था जिसकी उस समय 300 के लगभग शाखाएँ थी। केन्द्रीय बकों के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय बक को व्यापारिक बक का काय नही करना चाहिए अत इम्पीरियल बक को यह शाखाएँ बन्द करनी पडती जिसमे भारत की बक व्यवस्था को हानि पहुचती। इस बात का ध्यान रखते हुए यही उचित समझा गया कि इम्पीरियल बक को केन्द्रीय बक नही बनाना चाहिए।

2 **बक का अविश्वास** केन्द्रीय बक ऐसी सस्था होनी चाहिए जिसमे देश के व्यापारिक बकों का पूण विश्वास हो किन्तु इम्पीरियल बक सदा से भारतीय बैंकों से सौतेला व्यवहार करता था और विदेशी बकों को विशेष सुविधाएँ देता था अत भारतीय बक इम्पीरियल बक को बहुत सदेह की निगाह से देखते थे। ऐसी स्थिति म उसे केन्द्रीय बक बनाना सवथा अनुचित होता।

3 **विदेशियों का प्रभुत्व** इम्पीरियल बक का प्रबन्ध पूणत विदेशियों के हाथ म था क्योंकि इसके अधिकाश अधिकारी विदेशी थे। यह भारतीयों को महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने की दिशा म कोई ध्यान नही देता था। इस प्रकार इम्पीरियल बैंक राष्ट्रीय भावनाओं के सवथा विरुद्ध था अत उसे केन्द्रीय बैंक का दर्जा नहीं दिया गया।

4 **उद्देश्य लाभ-कमाना** एक व्यावहारिक बैंक होने के नाते इस बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था और बैंक के अधिकारी इस उद्देश्य का त्याग करने के लिए तयार नही थे।

1935 के पश्चात ऊपर बतलाये गए कारणों से इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बनाने के स्थान पर रिजव बैंक आफ इडिया की स्थापना की गई जिसने 1 अप्रेल 1935 से अपना काय आरम्भ कर दिया। रिजव बैंक की स्थापना होते ही इम्पीरियल बैंक को रिजव बैंक का एजेंट नियुक्त कर दिया गया और उस पर से निम्नलिखित प्रतिबन्ध हटा लिए गए

1 अब वह इच्छानुसार नई शाखाएँ खोल सकता था।

2 उसे देशी तथा विदेशी बिल खरीदने तथा बेचने की छूट मिल गई थी

किन्तु यह बिल 6 मास से लम्बी अवधि के नहीं हो सकते थे। कृषि बिलों की अवधि 9 मास तक हो सकती थी।

3 इम्पीरियल बैंक को 1935 के पश्चात् विदेशों से उधार लेने तथा जमा प्राप्त करने की अनुमति मिल गई।

4 उसे अच्छे शर्तों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त हो गया।

इस प्रकार इम्पीरियल बैंक एक पूर्णत व्यापारिक बैंक बन गया परन्तु उसे सरकार का सहयोग और संरक्षण प्राप्त था। वह न केवल रिजर्व बैंक का एक मात्र एजेंट था बल्कि वह अब भी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत (Imperial Bank of India Act) कार्य कर रहा था जिससे भारतीय व्यापारी बैंक बहुत अप्रसन्न थे।

इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण
(Nationalisation of Imperial Bank of India)

राष्ट्रीयकरण की माग इम्पीरियल बैंक को सरकारी अधिकार में लेने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना के तत्काल बाद ही आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया था। भारत के व्यापारिक बैंक इस बात के कट्टर विरोधी थे कि इम्पीरियल बैंक को ही रिजर्व बैंक का एक मात्र प्रतिनिधि क्यों बनाया गया इसके विरुद्ध अन्य कई आरोप भी लगाए गए जो निम्नलिखित हैं —

(1) विदेशी बैंक भारतीय बैंकों का कथन था कि इम्पीरियल बैंक एक सर्वथा विदेशी बैंक था और वह भारतीय नागरिकों को नौकरी नहीं देता था जिससे भारतवासियों को उन्नत बैंकिंग पद्धतियों में प्रशिक्षण नहीं मिल पाता था।

(2) पक्षपात इम्पीरियल बैंक भारत स्थित विदेशी बैंकों तथा व्यापारियों, जहाजी तथा बीमा कम्पनियों को अधिक सुविधाएं देता था और उन्हें ब्याज आदि के सम्बन्ध में भी रियायत देता था। इसके विपरीत वह भारतीय बैंकों, व्यापारिक संस्थाओं तथा व्यापारियों को ऋण देने में कड़ी शर्तें लगाता था तथा उनसे अधिक ब्याज वसूल करता था।

(3) खर्चीला इम्पीरियल बैंक के तीन मुख्य कार्यालय थे जिन पर बहुत अधिक राशि खर्च की जाती थी।

(4) ऋण तथा विनियोग नीति इम्पीरियल बैंक प्राय नकद साख देता था जिससे व्यापारिक बिलों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। इसके अतिरिक्त वह ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों से धन प्राप्त कर नगरों में विनियोग करता था जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होने पाता था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया। उसी समय पुन यह माग की गई कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। बैंक के सचालक मडल ने सरकार को एक स्मरण पत्र दिया जिसमें राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये।

(1) कुशलता की हानि राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध यह तर्क दिया गया कि इम्पीरियल बैंक जो इतनी कुशलतापूर्वक काम कर रहा था सरकारी अधिकार में आने से उसमें लालफीताशाही तथा अकुशलता उत्पन्न हो जायगी जिससे जनता को बहुत हानि होगी।

(2) सरकारी एजेंट यह कहा गया कि इम्पीरियल बैंक के सरकारी (रिजर्व बैंक का) एजेंट होने से उसको विशेष लाभ नहीं है और वह इस कार्य का त्याग करने को तैयार है।

(3) बैंकिंग व्यवस्था को हानि सचालक मडल का यह मत था कि इम्पीरियल बैंक को सरकारी अधिकार में लेने से 91 विदेशी शाखाओं को बन्द करना पड़ेगा जिससे देश के विदेशी व्यापार में हानि होगी।

(4) भारतीयों की नियुक्ति स्मरण पत्र में यह मत व्यक्त किया गया कि बैंक द्वारा अधिकाधिक भारतीय नागरिकों की नियुक्ति का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया था और इस पर विदेशियों के प्रभुत्व का आरोप निर्मूल बतलाया गया।

ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति का मत 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति के सामने पुन इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया

गया । समिति ने यह मत व्यक्त किया कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करना तो उचित नहीं होगा परन्तु इस पर अधिक नियन्त्रण रखना बहुत आवश्यक है। समिति ने दूसरा सुझाव यह दिया कि इम्पीरियल बैंक द्वारा देश मे उन 274 स्थानो पर जल्दी से जल्दी शाखाएँ खालनी चाहिए जहाँ कि सरकारी कोषागार (*treasury*) काम कर रह है। समिति का तीसरा सुझाव यह था कि इस बैंक म भारतीयों की नियुक्ति का क्रम तेजी से बढाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकरण का सुझाव और पालन अगस्त 1951 मे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया न भारत मे ग्रामीण साख की समस्याओ पर विचार कर उनके सम्बन्ध में उचित सुझाव देने के लिए एक ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) नियुक्ति की जिसने 1954 म अपनी रिपोट प्रस्तुत कर दी।

समिति न अपनी रिपोट म यह सुझाव दिया कि इम्पीरियल बैंक को सरकारी अधिकार मे ले लेना चाहिए तथा उसे शक्तिशाली बनाने के लिए दस ऐसे बैंकों को उसके साथ मिला दना चाहिए जो पुरान देशी राज्यों मे राजाओ अथवा महाराजाओ क प्रयत्नों से स्थापित हुए थ। उन बैंको के नाम निम्नलिखित थे —

1 बैंक आफ बडौदा	6 बैंक ऑफ मसूर
2 बैंक आफ बीकानेर	7 बैंक आफ पटियाला
3 बैंक ऑफ हैदराबाद	8 बैंक ऑफ राजस्थान
4 बैंक आफ इन्दौर	9 बैंक आफ सौराष्ट्र
5 बैंक ऑफ जयपुर	10 बैंक ऑफ ट्रावनकोर

भारत सरकार न समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1 जुलाई 1955 म इम्पीरियल बैंक का नाम स्टट बैंक ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

1 **पूजी और प्रबध** स्टट बैंक की अधिकृत पूजी 20 करोड़ रुपये है और वह 100-100 रुपय के शेयरों म बटी हुई है। इम्पीरियल बैंक को

स्टेट बैंक म परिवर्तित करते ही रिजव बैंक द्वारा पुराने इम्पीरियल बैंक की 5 625 कराड रुपये की कुल पूजी खरीद ली गई। स्टेट बैंक की प्रन्त पूजी उतनी ही रखी गई है। इस बनाकर 12 5 करोड रुपय किया जा सकता है किन्तु ऐसा करन म पूव भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम म यह व्यवस्था की गई है कि उसकी पूजी का कम स कम 55 प्रतिशत भाग रिजव बैंक के पास रहेगा और शेष पूजी इम्पीरियल बैंक के जो अशधारी लेना चाहेंगे उन्हें बेची जा सकेगी। तदनुसार रिजव बैंक न 1955 म ही इम्पीरियल बैंक की सम्पूण पूजी को खरीद लिया और इम्पीरियल बैंक क जो अशधारी स्टेट बैंक म अश रखना चाहते थे उन्हें आवश्यक अश देने की व्यवस्था कर दी गई। किन्तु इम्पीरियल बैंक के केवल 8 प्रतिशत अशधारियो न स्टेट बैंक मे अश खरीदने की इच्छा प्रकट की जो उन्हे दे दिए गए। शेष 92 प्रतिशत अश रिजव बैंक के अधिकार में हैं। इस प्रकार स्टट बैंक एक पूणत सरकारी सस्था नही है क्योंकि इसम निजी व्यक्तियो क अश भी है।

क्षति पूर्ति इम्पीरियल बैंक क अश खरीदने पर रिजव बैंक ने उसके अशधारियो को निम्नलिखित क्षति पूर्ति देने का निणय किया

पूण प्रदत्त अश (500 रुपए)	1765 रुपए 10 आने प्रति अश
अशत प्रदत्त (125 रुपए)	431 रुपए 12 आने 4 पाई प्रति अश

इम्पीरियल बैंक के अशधारियो को उनके अशो के मूल्य म से 10 000 रु० प्रति व्यक्ति तक नकद देने की व्यवस्था की गई और शेष क बदले मे 3 5 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी ऋण पत्र दे दिए गए जिनका भुगतान 1965 म करने की व्यवस्था है।

अश सीमा स्टट बैंक म रिजव बैंक तथा बीमा कम्पनियो, निगमो धार्मिक ट्रस्टो तथा अन्य सावजनिक सस्थाओ को छोड कर कोई व्यक्ति 200 से अधिक अश नही खरीद सकता। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति अथवा सस्था को भले ही उसके पास कितने ही अश हो एक प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नही है। इस प्रकार स्टेट बैंक की व्यवस्था अत्यन्त प्रजातान्त्रिक है।

प्रबंध स्टेट बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय सचालक मण्डल के हाथ म है जिसम 20 सदस्य होने हैं। इनकी नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है

1 अध्यक्ष
1 उपाध्यक्ष } सरकार द्वारा

2 व्यवस्थापक—सचालक मडल द्वारा किन्तु सरकार के अनुमोदन पर

8 सचालक—सरकार द्वारा। यह व्यक्ति देश के विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिनिधियो के रूप मे लिये जाते हैं तथा इनकी नियुक्ति रिजव बक की सलाह से की जाती है।

6 सचालक—निजी अशधारियो द्वारा

1 सचालक—केंद्रीय सरकार द्वारा

1 सचालक—रिजव बक द्वारा

केंद्रीय सचालक मण्डल के सभी सदस्य 5 वष के लिए नियुक्त किये जाते हैं किन्तु निजी अशधारियो द्वारा चुने गये सचालको की नियुक्ति केवल 4 वष के लिए होती है।

स्थानीय सचालक मण्डल स्टट बक का केंद्रीय कार्यालय बम्बई म है और केंद्रीय सचालक मण्डल वहीं से नीति निर्धारण तथा निर्देशन करता है। केंद्रीय सचालक मण्डल के अतिरिक्त कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, कानपुर तथा अहमदाबाद म छह स्थानीय सचालक मण्डल हैं जिनम निम्न लिखित सदस्य होते हैं

(क) केंद्रीय मण्डल के वह सदस्य जो सम्बन्धित स्थानीय मण्डल के क्षेत्र म रहते हैं।

(ख) एक सदस्य सम्बन्धित क्षेत्र के अशधारियों द्वारा चुना जाता है।

(ग) तीन सदस्य रिजव बैंक की सलाह स भारत सरकार नियुक्त करती है।

2 स्टेट बैंक के उद्देश्य तथा सफलता स्टेट बैंक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित रखे गये हैं

(क) एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना स्टेट बैंक का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश मे एक शक्तिशाली एव समय बैंक की स्थापना की जाय जो भारत स्थित विदेशी बैंको से स्पर्द्धा कर सके और देश मे व्यापारियो के लिए उचित मात्रा मे विदेशी विनियम का प्रबन्ध कर सके। इससे भारत के विदेशी व्यापार म उन्नति की आशा की गई।

स्टेट बैंक अब 20 महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्राओ म लेन देन करता है और प्राय सभी देशो म स्टेट बैंक के प्रतिनिधि हैं जिनके माध्यम स विदेशी भुगतान किय जा सकते हैं।

(ख) बैंकिंग सुविधाओं का ग्रामों में विस्तार स्टेट बैंक की स्थापना का दूसरा उद्देश्य यह था कि देश के विभिन्न भागा-विशेषकर ग्रामा मे-बैंकिंग सुविधाओ का विस्तार किया जाय। तदनुसार यह निश्चित किया गया कि स्टेट बैंक पहले पाँच वर्षों म अर्थात् 30 जून 1960 तक देश के विभिन्न भागो म कम से कम 400 शाखाएँ खोलेगा जिनमे से अधिकतर शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रा मे खोली जाएँगी।

स्टेट बैंक न 400 नई शाखाओं के लक्ष्य को निर्धारित तिथि के एक मास पूर्व ही पूरा कर लिया और एक जून 1960 को कैराना (उत्तर प्रदेश) नामी स्थान पर स्टेट बैंक की 400 वी नई शाखा खोल दी गई।

शाखा प्रगति

वर्ष	नई शाखाएँ
1955	20
1956	46
1957	91
1958	105
1959	97
एक जून 1960 तक	41
	400

प्रगति मे कठिनाइया — ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा प्रारम्भिक काल मे धीरे धीरे शाखाएँ खोली गई। यह कोई विशेष बात नही है क्योंकि प्रत्येक नये काम के प्रारम्भ मे अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। स्टेट बैंक द्वारा यह योजना बनानी आवश्यक थी कि किन किन स्थानों पर शाखाएँ खोली जायें, नई शाखाओं के लिए प्रशिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों की व्यवस्था करनी कठिन थी तथा कई स्थानों पर सड़कें आदि न होने पर फर्नीचर तथा अन्य सामान भेजने मे कठिनाई आई।

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर शाखा खोलने के लिये उचित भवन मिलना भी कठिन था। अतः 2-3 वर्षों मे इन सब समस्याओं पर काबू पाया गया और समय से पूर्व ही लक्ष्य की प्राप्ति की गई। यह अत्यन्त सन्तोष की बात है।

अधिकांश शाखाएँ ग्रामों मे — स्टेट बैंक की शाखाओं के विस्तार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसकी अधिकांश शाखाएं ग्रामों अथवा छोटे कस्बों में खोली गई हैं। उदाहरण रूप में उसकी 400 नई शाखाओं में से 77 ऐसे स्थानों पर खोली गई है जिनकी जनसंख्या 10 000 से कम है। तथा 209 ऐसे स्थानों पर जिनकी जनसंख्या 25 000 से कम है। इस प्रकार कुल शाखाओं की लगभग 72 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। इनमें भी 64 स्थान ऐसे थे जिनमें स्टेट बैंक की शाखा खुलने से पूर्व कोई बैंक नही था।

शाखा विस्तार की नवीन योजना — जून 1960 में स्टेट बैंक का 400 नई शाखाओं का लक्ष्य पूरा हो गया अतः भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सलाह देने की दृष्टि से प्रो० कर्वे (D G Karve) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसने यह सलाह दी कि आगामी पाँच वर्षों में स्टेट बैंक द्वारा 300 नई शाखाएं खोलनी चाहिए। इनमें से 145 शाखाएँ स्टेट बैंक द्वारा तथा 155 शाखाएँ स्टेट के सहायक बैंकों द्वारा खोलने की व्यवस्था की गई है।

प्रगति और वर्तमान स्थिति : स्टेट बैंक द्वारा एक जुलाई 1960 के पश्चात् भी शाखा विस्तार का कार्य चालू रखा गया है। इन वर्षों की प्रगति का ब्योरा निम्नलिखित है

कार्यालयों की संख्या

1 जुलाई	1960	—	871
31 दिसम्बर	1964	—	1147
	वृद्धि		276

इस प्रकार इन 4 वर्षों में स्टेट बैंक ने 276 नए कार्यालयों की स्थापना की है यह स्थिति निश्चय ही बहुत सन्तोषजनक है।

विदेशी शाखाएँ : स्टेट बैंक की विदेशों में भी 7 शाखाएँ हैं। इनमें से एक एक शाखा लन्दन तथा कोलम्बो (श्री लंका) और पाँच शाखाएं पाकिस्तान में हैं। स्टेट बैंक ने फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) तथा न्यूयार्क (अमरीका) में भी शाखाएँ खोलने का निश्चय किया है ताकि भारत के विदेशी व्यापार सम्बन्धी लेन देन में सुविधा हो सके।

(ग) ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहन : गत वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग ग्रामों की ओर जा रहा है अतः ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ी हुई आय को बैंकों के माध्यम से संग्रह करना आवश्यक था ताकि देश में पूंजी निर्माण की मात्रा में वृद्धि हो सके। स्टेट बैंक की स्थापना का एक उद्देश्य यह था कि यह ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आय का संग्रह करने में सहायता करे।

प्रथम पांच वर्षों में स्टेट बैंक ने जो शाखाएँ खोलीं उनकी जमा रकम लगभग 37 करोड़ रुपये थी। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा ग्रामीण बचतों को यथेष्ट प्रोत्साहन दिया गया है। स्टेट बैंक की बहुत सी शाखाएँ अथवा कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनसे ग्रामीण जनता को अपनी बचत जमा करने

का अवसर मिला है। इस प्रकार स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण बचतों को संग्रह करने के लिये महत्वपूर्ण सुविधाएँ दी गई हैं।

(घ) ग्रामीण साख (Rural Credit) स्टेट बैंक की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि देश की सहकारी संस्थाओं को उदारता पूर्वक ऋण दिया जाय ताकि वह कृषि, ग्रामोद्योग तथा अन्य लघु काय उद्योगों को आर्थिक सहायता दे सकें। इस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा उद्योग के लिए स्टेट बैंक द्वारा धन देने का लक्ष्य रखा गया था। स्टेट बैंक ने इस उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण साख के लिये दी जाने वाली सहायता को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

(1) सामान्य सहायता इसके अन्तर्गत स्टेट बैंक राज्य सहकारी बैंकों को सप्ताह में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधा देता था और इस सेवा के लिए कुछ भी शुल्क नहीं लेता था। अब यह सुविधा सप्ताह में तीन बार दी जाने लगी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सप्ताह में एक बार रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा दी जाने लगी है। इस सहायता का अनुमान इस बात से लगता है कि सन् 1964 में स्टेट बैंक द्वारा सहकारी बैंकों की लगभग 445 करोड़ रुपये की राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी गयी।

ऋण रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की निःशुल्क सुविधा के अतिरिक्त स्टेट बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देता है और इन पर सामान्य दर से आधा प्रतिशत कम ब्याज लेता है। बैंक द्वारा माल की धरोहर तथा सरकारी गारंटी पर भी ऋण दिए जाते हैं। 1964 के अन्त तक स्टेट बैंक की सहकारी बैंकों में लगभग 10 करोड़ रुपये की ऋण राशि बाकी थी।

(2) क्रय विक्रय तथा माल सवारने के लिए साख स्टेट बैंक क्रय विक्रय तथा माल सवारने वाली सहकारी समितियों को माल की धरोहर पर ऋण देता है। कभी-कभी इस प्रकार की समितियों को बिना जमानत के ऋण भी दिए जाते हैं। 1964 के अन्त में स्टेट बैंक द्वारा क्रय विक्रय तथा माल

और दीर्घकालीन ऋण देने के लिए वह राज्य वित्त निगमों के प्रतिनिधि का काम करता है। यदि ऋण लेने वाली संस्था कोई सहकारी समिति हो तो ऋण सहकारी बैंक के माध्यम से ही दिए जाते हैं।

मध्यकालीन ऋण सन् 1957 से पूर्व स्टेट बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही दे सकता था किन्तु उसके बाद वह सात वर्ष तक के ऋण देने का अधिकारी बन गया है। यह ऋण उद्योगों की सम्पत्ति की धरोहर पर दिए जाते हैं।

लघु उद्योग निगम का एजेंट सन् 1958 से स्टेट बैंक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रतिनिधि बन गया है और वह उन औद्योगिक इकाइयों को माल बनाने के लिए ऋण देता है जो लघु उद्योग निगम के आदेश पर माल बना कर सरकार को बेचती हैं।

विदेशी ऋण की गारन्टी स्टेट बैंक सीमेंट, रसायन कागज आदि 13 उद्योगों के उन ऋणों की गारंटी करता है जो वह विदेशों से प्राप्त करते हैं। स्टेट बैंक की गारन्टी पर इन उद्योगों को विदेशों से मशीनें तथा औजार आदि उधार मिल जाते हैं और उन्हें उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस योजना के अन्तर्गत 1964 के अन्त में 6 6 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके थे।

केन्द्रीय साख गारंटी योजना भारत सरकार ने 1 जुलाई 1960 में एक योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों को उदारतापूर्वक ऋण दिलाना है। इस योजना का विवरण रिजर्व बैंक नामी अध्याय में दिया गया है। स्टेट बैंक ने इस योजना का सर्वाधिक लाभ उठाया है और वह इसके अन्तर्गत लघु उद्योगों को 15 8 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दे चुका है।

गहन केंद्र सामान्य ऋण योजनाओं के अतिरिक्त स्टेट बैंक लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये समय समय पर कुछ गहन केन्द्र स्थापित करता है। इन केन्द्रों में (जो बैंक की शाखाओं में स्थापित होते हैं) विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जो उस क्षेत्र के लघु उद्योगों की समस्याओं का विशेष अध्ययन करते हैं और लघु इकाइयों को ऋण देने की व्यवस्था करते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या 60 है।

सचालन नीति समान हो जायगी, इनमे सहयोग स्थापित होगा और देश म बैंकिंग सुविधाओ का विकास हो सकेगा ।

(4) हानि की पूर्ति इन आठों बैंकों द्वारा जो भी नई शाखाएँ देश के विभिन्न भागो मे खुलेगी उन पर जो हानि होगी उसकी पूर्ति स्टेट बैंक म निर्मित अनुकूलन एव विकास कोष (Integration and Development Fund) से हो सकेगी ।

दोष कुछ लोगो को यह भय था कि स्टेट बैंक के सहायक बनने से इन बैंकों मे भी निम्नलिखित दोष आ जाए गे ।

1 इन बैंको म सत्ताशाही की भावना का उदय हो जायगा और व्यक्तिगत सम्पर्क की परम्परा समाप्त हो जायगी ।

2 इन बैंकों मे लालफीताशाही के कारण अकुशलता आने का भय रहेगा ।

3 इन बैंको म दूर दूर के क्षेत्रों से कर्मचारी नियुक्त होगे जो स्थानीय समस्याओ से परिचित नहीं होंगे अत विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास तथा व्यापारिक उन्नति म बाधा उत्पन्न होगी ।

सहायक बैंकों का प्रबन्ध स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के नाम के साथ स्टेट बैंक जोड़ दिया गया है । इनके सचालक मण्डल मे सदस्य निम्न प्रकार मनोनीत होते हैं

5 सदस्य–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
1 „ –रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
1 „ –केन्द्रीय सरकार
2 –निजी अशधारियों द्वारा

स्टेट बैंक का अध्यक्ष प्रत्येक बैंक के सचालक मण्डल का अध्यक्ष है । अत प्रत्येक बैंक के सचालक मण्डल में दस सदस्य हैं ।

पूजी स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की पूजी का पुनर्गठन किया गया है और उनके कम से कम 55 प्रतिशत भाग स्टेट बैंक के अधिकार म हैं और शेष जनता को बेच दिए गए हैं ।

स्टेट बैंक के एजेंट सहायक बैंक, उन स्थानों पर जहाँ स्टेट बैंक की शाखाएँ नहीं हैं स्टेट बैंक के प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। यह स्टेट बैंक की शाखा विस्तार नीति में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। इन बैंकों को प्रत्येक नई शाखा खोलने पर होने वाली हानि की पूर्ति के लिए स्टेट बैंक के अनुकूलन एवं विकास कोष से पहले वर्ष कुल हानि का 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 60 प्रतिशत, चौथे वर्ष 40 प्रतिशत और पाँचवें वर्ष 20 प्रतिशत प्राप्त हो सकेगा।

स्टेट बैंक की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अपने कार्यकाल के लगभग 9 वर्षों में निम्नलिखित प्रगति की है

	1 जुलाई 1955	31 दिसम्बर 1964
कार्यालय	471	1147
निक्षेप (जमा रकम)	211 करोड़ रु०	659 करोड़ रु०
ऋण	116 „ „	393 „ „
विनियोग	101 „ „	263 „ „

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के पश्चात् बहुमुखी उन्नति की है। उसकी शाखाओं की संख्या दुगने से अधिक जमा रकम तिगुनी से अधिक, ऋण लगभग तिगुना तथा विनियोग भी लगभग तिगुने हो गये हैं। इससे जनता का स्टेट बैंक में विश्वास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

स्टेट बैंक के अन्य कार्य स्टेट बैंक द्वारा सामान्य बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य कार्य किये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) प्रशिक्षण व्यवस्था स्टेट बैंक ने अपने उच्च पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हैदराबाद में एक प्रशिक्षण विद्यालय (Training College) खोला है जहाँ प्रतिवर्ष 40 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कालिज के अतिरिक्त कुछ बड़ी शाखाओं में अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

(2) विदेशी विनिमय व्यवसाय स्टेट बैंक विदेशो में भुगतान के लिए ड्राफ्ट, साख पत्र आदि लिखता है तथा अपने ग्राहको के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। स्टेट बैंक ससार की 20 मुख्य मुद्राओ मे नियमित लेन देन करता है।

(3) रिजर्व बैंक का एजेन्ट स्टेट बैंक भारत तथा विदेशो में रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य करता है। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो की सम्पूर्ण आय जमा करता है तथा व्यय का भुगतान करता है। इस कार्य के लिए स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक से निश्चित दर पर कमीशन मिलता है।

अनुकूलन एव विकास कोष स्टेट बैंक की स्थापना करते समय यह व्यवस्था की गई थी कि इसमे रिजर्व बैंक के 55 प्रतिशत अंशो पर जो लाभांश मिलेगा वह एक विशेष कोष मे डाल दिया जायगा जिसका नाम अनुकूलन एव विकास कोष होगा। स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंको द्वारा खोली जाने वाली नई शाखाओ पर जो हानि होती है पहले पाच वर्ष तक उसके एक भाग की पूर्ति (जैसा कि पहले लिखा जा चुका है) इस कोष से करने की व्यवस्था है। इस प्रकार स्टेट बैंक द्वारा शाखा विस्तार के काम मे कोई कठिनाई नहीं है।

स्टेट बैंक के वर्जित कार्य

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निम्नलिखित कार्य करने पर प्रतिबन्ध है

1 वह अपने अंशो (Shares) अथवा अचल सम्पत्ति जैसे भूमि, मकान आदि की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता।

2, सामान्यत 6 मास से अधिक के ऋण नहीं दे सकता किन्तु उद्योगो का सात वर्ष तक के ऋण दिये जा सकते हैं।

3 सामान्यत 6 मास से अधिक के बिलों का क्रय नहीं कर सकता और न ही उन्हें भुना सकता है किन्तु कृषि बिलो की अवधि 15 मास तक की हो सकती है और विदेशी (व्यापार से सम्बन्धित निर्यात) बिल भी अधिक अवधि के हो सकते हैं।

4 यह केवल प्रथम श्रेणी के व्यापारिक विलों में लेन देन कर सकता है जिन पर कम से कम दो प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हों।

सहायक बैंकों की स्थिति 1960 में जब कुछ बैंकों को स्टेट बैंक का सहायक बैंक बनाया गया था तो उनकी संख्या 8 थी किंतु एक जनवरी 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिला कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बना दिया गया है। अतः अब सहायक बैंकों की संख्या सात है। इन सातों बैंकों की स्थिति निम्नलिखित है

	(31 दिसम्बर 1964)
शाखाओं की संख्या	612
जमा रकम	183 करोड़ रु०
ऋण	95 ,,
विनियोग	62 ,,

स्टेट बैंक एक शक्तिशाली संगठन उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अब स्टेट बैंक एक शक्तिशाली संगठन बन गया है क्योंकि उसकी तथा उसके सहायक बैंकों की शाखाओं की संख्या 1759, जमा रकम 842 करोड़ रु०, ऋण 488 करोड़ रुपए तथा विनियोग राशि 325 करोड़ रु० है। इस प्रकार स्टेट बैंक संगठन की शक्ति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की लगभग 30 प्रतिशत हो गई है। वास्तव में यह संगठन भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है और भविष्य में भी रखता रहेगा, ऐसी आशा है।

अभ्यास के प्रश्न

1 इम्पीरियल बैंक में क्या दोष थे? उसे केन्द्रीय बैंक का पद क्यों नहीं दिया गया विस्तारपूर्वक लिखिये।
2 इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए कौनसी समिति ने मत प्रकट किया था

(क) ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति

(ङ) सहकारी आयोजन समिति

(ग) गोरवाला समिति

(ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाला थे)

3 स्टेट बैंक आफ इण्डिया के संचालन तथा प्रबंध पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

4 स्टेट बैंक के साथ कौन-कौन से दस बैंकों को विलीन करने का सुझाव दिया गया था और उन्हें विलीन क्यों नहीं किया गया ?

5 स्टेट बैंक में राजस्थान के कौन-कौन से बैंकों को सहयोगी बनाया गया।

(क) बैंक ऑफ राजस्थान

(ख) बैंक ऑफ जोधपुर

(ग) बैंक ऑफ जयपुर

(घ) बैंक ऑफ शाहपुरा

(ङ) बैंक ऑफ बीकानेर

(शुद्ध पर चिह्न अङ्कित कीजिए)

6 (क) स्टेट बैंक के मुख्य उद्देश्य बतलाइए। उनमें से एक की सफलता पर टिप्पणी लिखिए।

7 (क) स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की संख्या है।

(ख) राजस्थान में स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक थे और अब हैं।

(ग) स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय में है और स्थानीय मुख्य कार्यालय

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) में हैं।

8 स्टेट बैंक लघु उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था कैसे करता है स्पष्ट लिखिए।

9 स्टेट बैंक के सहायक बैंक बनने से देश के विभिन्न वर्गों को क्या लाभ हुए ?

10 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए।

अनुसन्धान एवं विकास कोष, गहन केन्द्र तथा सहायक बैंक।

अध्याय 5

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

(Reserve Bank of India)

वर्तमान युग में प्रत्येक देश में बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव किया गया है और प्रायः सभी देशों में एक-एक केन्द्रीय बैंक स्थापित कर लिया गया है। यह बैंक देश की मुद्रा बैंकिंग तथा साख व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने में सहयोग देता है।

रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का विचार 1773 ई० में वारेन हेस्टिंग्स के मस्तिष्क में आया और उन्होंने जनरल बैंक आफ बंगाल एंड बिहार को केन्द्रीय बैंक का रूप देने का विचार प्रकट किया। इसके पश्चात् जब 1809 में प्रेसीडेंसी बैंक आफ बंगाल की स्थापना हुई तो लोगों ने यह समझा कि आखिर में वह बैंक देश का केन्द्रीय बैंक बन जायगा परन्तु 1840 में प्रेसीडेंसी बैंक आफ बम्बई तथा 1843 में प्रेसीडेंसी बैंक आफ मद्रास की स्थापना से यह विचार समाप्त हो गया।

1913 में चम्बरलेन आयोग के एक सदस्य ने भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया और 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई। इम्पीरियल बैंक को भारत सरकार द्वारा न तो मुद्रा निकालने का अधिकार दिया गया और न ही उसे बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करने का दायित्व सौंपा गया। सन् 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया स्थापित करने की सिफारिश की।

1927 में भारत के तत्कालीन वित्त सदस्य श्री बेसिल ब्लकेट ने भारतीय विधायिका सभा में रिजर्व बैंक बिल प्रस्तुत किया। किन्तु रिजर्व बैंक की

पूँजी सरकारी हो या इसका कुछ भाग निजी अंशधारियों को भी बेचा जाय इस प्रश्न पर अत्यधिक मतभेद उत्पन्न हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने बिल पर विचार स्थगित कर दिया।

1933 में जब भारत को स्वायत्त शासन के अधिकार देने का प्रश्न उठा तो ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया और उसमें यह शर्त लगाई गई कि भारत को स्वायत्त शासन तभी दिया जा सकेगा जब वह देश में एक ऐसा केन्द्रीय बैंक स्थापित कर ले जो सब प्रकार के राजनैतिक प्रभाव से मुक्त हो। अत: सितम्बर 1933 में भारत की विधायिका सभा में दोबारा एक विधेयक (बिल) रखा गया और उसे 6 मार्च 1934 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिल गई। तदनुसार 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ने अपना काम आरंभ कर दिया।

प्रारम्भिक स्थिति संसार के अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक भी एक अंशधारियों के बैंक के रूप में स्थापित किया गया। इसकी पूंजी 5 करोड़ रुपये रखी गई जो 100-100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। इसमें से केवल 2 2 लाख रुपये के अंश सरकार के पास थे, बाकी सारी पूंजी निजी अंशधारियों के अधिकार में थी।

संचालक मंडल में भी सरकार केवल गवर्नर तथा दो उप-गवर्नर नियुक्त कर सकती थी, शेष संचालक निजी अंशधारियों द्वारा नियुक्त किये जाते थे। किन्तु सरकार ने अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि यदि सरकार केन्द्रीय संचालक मंडल की नीति से सहमत नहीं हो तो सरकार अपनी नीति लागू कर सकती थी।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से ही इस बात की मांग की जाने लगी थी कि इसे सरकारी अधिकार में ले लिया जाय परन्तु द्वितीय युद्ध के पश्चात् इस मांग में विशेष तेजी आ गई। इसी बीच 1945 में फ्रांस तथा आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 1946 में बैंक आफ इंगलैंड को भी सरकारी अधिकार में ले लिया गया।

भारत के स्वतन्त्र होते ही रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बार बार उठाया गया और इंगलैंड के केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण से इस विचार को बहुत बल मिला।

पक्ष मे तर्क रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्षपातियो ने निम्न लिखित तर्क प्रस्तुत किये।

(1) आर्थिक विकास देश के स्वतन्त्र होने के कारण सरकार को तीव्रगति से आर्थिक विकास करना पडेगा। इसमे सफलता प्राप्त करने के लिये रिजर्व बैंक तथा सरकारी नीति मे पूरा सहयोग होना आवश्यक था। रिजर्व बैंक को सरकारी अधिकार मे लेने से इस समस्या का अपने आप समाधान हो सकता था।

(2) जनभावना भारत की जनता सभी ऐसे तत्वो को सरकारी स्वामित्व मे लाना चाहती थी जिनमे अंग्रेजो का प्रभुत्व था। रिजर्व बैंक मे प्राय अंग्रेज गवर्नर होता था और इसमे विदेशी अधिकारियो की सख्या बहुत थी।

(3) इंगलैंड का उदाहरण तीसरा तर्क यह था कि जब इंगलैंड जसे देश मे जहाँ बैंकिंग परम्पराएँ बहुत दृढ और सुन्दर हैं केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीय करण कर लिया गया है तो भारत जसे देश मे तो राष्ट्रीयकरण अत्यन्त आव श्यक है क्योकि यहाँ तो बैंकिंग का विकास तेजी से करना है।

इन तर्कों के कारण सरकार ने 1948 मे रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी बिल पास कर दिया और 1 जनवरी 1949 से यह बैंक पूर्णत सर कारी अधिकार मे ले लिया गया। सरकार ने बैंक के सभी अंशधारियो को 100 रुपये के अंश के बदले मे 118 रुपये 10 आने देने का निश्चय किया।

प्रबन्ध रिजर्व बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय सचालक मडल के हाथ मे है जिसमे 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति निम्न प्रकार होती है

1 गवर्नर
3 उप गवर्नर } केन्द्रीय सरकार

4 सचालक—प्रत्येक स्थानीय मंडल से एक मनोनीत होता है।

6 सचालक } भारत सरकार मनोनीत करती है।

1 अधिकारी } छः सचालक व्यापार, उद्योग, सहकारिता आदि क्षेत्रों

15 के विशेषज्ञ होते हैं,

कार्यकाल गवर्नर तथा उप-गवर्नर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते हैं किन्तु उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। 6 सचालकों (जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं) का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। स्थानीय मडलों द्वारा मनोनीत सचालक तब तक केन्द्रीय मडल के सदस्य बन रहते हैं जब तक वह स्थानीय मडल के सदस्य रहते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सरकार की इच्छानुसार केन्द्रीय मडल का सदस्य रह सकता है। परम्परा के अनुसार भारत सरकार का वित्त सचिव ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

वेतन रिजर्व बैंक के सचालक मण्डल में गवर्नर तथा उपगवर्नर ही वेतन भोगी अधिकारी होते हैं। शेष सचालकों में से सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सरकार से वेतन प्राप्त करता है। वास्तव में प्रथम चार के अतिरिक्त शेष 11 केवल अशकालीन (Part time) होते हैं और उन्हें केवल सभाओं में भाग लेने पर यात्रा व्यय तथा भत्ता आदि दिया जाता है।

स्थानीय मण्डल केन्द्रीय सचालक मण्डल के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में चार स्थानीय मण्डल हैं। इनमे 5-5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करती है। ये सचालक अपने अपने क्षेत्र के निवासी होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है किन्तु इन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक स्थानीय मण्डल से एक-एक सदस्य चुन कर केन्द्रीय मण्डल में भेजा जाता है।

स्थानीय मण्डल के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते हैं जो सभाओं का सचालन करता है। स्थानीय मण्डलों का काम केन्द्रीय मण्डल को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित कराना है। समय समय पर वह अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में सुझाव भी देते हैं।

रिजर्व बैंक के कार्य

(Functions of the Reserve Bank of India)

1 नोट निकालना अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक को पत्र मुद्रा (नोट) निकालने का एकाधिकार है। यह 2 5 10 50, 100, 500, 1000 5000 तथा 10 000 रुपये के मूल्य के नोट निकाल सकता है। एक रुपये का नोट भारत सरकार निकालती है क्योंकि यह नोट द्वितीय युद्ध काल मे एक रुपये के सिक्के के स्थान पर निकाला गया था। नोट निकालने की दृष्टि से रिजर्व बैंक म दो विभाग हैं निगमन विभाग तथा बैंकिंग विभाग।

देश म जब मुद्रा की माँग होती है तो व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार मागते हैं। यह माग बैंकिंग विभाग के पास आती है और बैंकिंग विभाग आवश्यक जमानत (प्रतिभूतियाँ बिल आदि) जो बैंकों से प्राप्त होती हैं नोट निगमन विभाग को दे देता है। इन प्रतिभूतियो के आधार पर निगमन विभाग द्वारा आवश्यक मात्रा म नोट व्यापारिक बैंकों को उधार दिये जाते हैं और इस प्रकार वह चलन म आ जाते हैं।

नोटों के पीछे कोष रिजर्व बैंक जितने नोट निगमन करता है उनके पीछे कुछ स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति कोष मे रखी जाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह व्यवस्था की गई थी कि यह जितने नोट निकालेगा उनका कम स कम 40 प्रतिशत स्वर्ण या विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष म रखेगा। यह व्यवस्था भी की गई थी कि स्वर्ण मात्रा 40 करोड रुपये के मूल्य से कम नहीं होगी।

इस व्यवस्था म समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान म रिजर्व बैंक "न्यूनतम कोष प्रणाली" (Minimum Reserve System) के आधार पर नोट निगमित करता है।

स्वर्ण का मूल्य 5 अक्तूबर 1956 स पूर्व रिजर्व बैंक मे जो स्वर्ण कोष रखा जाता था उसका मूल्य 21 रुपये 24 पैसे प्रति तोला के हिसाब स

लगाया जाता था जब कि सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 62 रुपये 50 पसे प्रति तोला था अत 6 अक्तूबर 1956 से रिजव बैंक के स्वण कोष का मूल्य भी 62 50 रुपये प्रति तोला के हिसाब से लगा लिया गया। इसस रिजव बैंक म जमा 40 02 करोड रुपये के स्वण का नया मूल्यल गभग 117 76 करोड रुपये हो गया। अत उसे 115 करोड रुपये के मूल्य का न्यूनतम स्वण कोष मे रखने म कोई कठिनाई नही हुई। फरवरी 1965 मे विदेशी प्रतिभूतिया की मात्रा कम होने के कारण स्वण कोष की मात्रा बढा कर 133 76 करोड रुपय के मूल्य की कर दी गई है।

2 सरकार का बकर तथा सलाहकार भारत सरकार तथा राज्य सरकारो को प्रतिवष लगभग 60 अरब रुपये का लेन देन करना पडता है। इस राशि को वसूल करना या भुगतान करना सरल काम नही है। रिजव बैंक म सरकार की सारी आय जमा होती है और उसम से वह सरकार के आदेशानुसार नियमित रूप म भुगतान करता रहता है। रिजव बैंक के कार्यालय कवल सात स्थानों पर ही हैं अत रिजव बैंक ने स्टेट बैंक को इस काय के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर दिया है।

सरकार की ओर से रकम वसूली तथा भुगतान की सवाओं के बदले रिजव बैंक सरकार से कोई शुल्क नही लेता। इसके विपरीत वह स्टेट बैंक को इस काय के लिए निर्धारित दर पर शुल्क देता है। यह बात स्मरण रखने लायक है कि भारत अथवा राज्य सरकारो की जो रकम रिजव बैंक म जमा होती है उस पर रिजव बैंक कोई ब्याज नही देता।

ऋण व्यवस्था सरकार की ओर से लेन देन करने के अतिरिक्त रिजव बैंक भारत सरकार तथा राज्य सरकारो को अल्पकालीन ऋण देता है। सरकार जितने ऋण जनता से लेती है उनकी वसूली तथा भुगतान की व्यवस्था भी रिजव बैंक द्वारा की जाती है। भारत सरकार का वतमान ऋण लगभग 77 अरब रुपये है। इससे स्पष्ट है कि ऋण व्यवस्था का काय ही एक गम्भीर काय है। रिजव बैंक को सरकारी ऋण व्यवस्था के लिए 2000 रुपय प्रति करोड की दर पर शुल्क मिलता है।

सलाहकार रिजव बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारो का आर्थिक सलाहकार है। बैंक म विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। अत सरकार को जब भी मुद्रा बैंकिंग, ग्रामीण साख, व्यापार उद्योग, मूल्य अथवा अन्य किसी भी कार्य से सम्बन्धित सलाह लेनी होती है तो रिजव बैंक उसके बारे म उचित सलाह देता है। समय समय पर रिजव बैंक के विशेषज्ञ सरकार के आदेशानुसार विभिन्न विभागो म काम करने के लिये जाते रहते हैं।

3 बैंक व्यवस्था का नियमन किसी भी देश मे व्यापारिक बैंको म प्राय जनता एव व्यापारियो की रकम जमा होती रहती है। अनेक मध्यम वर्ग के परिवार अपनी सम्पूर्ण बचत बैंको म जमा करवाते रहते हैं। अत यदि बैंक दोष पूर्ण आर्थिक नीति अपनाते हैं तो उन्हे हानि हो सकती है और परिणामस्वरूप बैंको म रकम जमा कराने वालो को हानि होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार या देश का केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको की ऋण नीति तथा अन्य क्रियाओ पर उचित नियन्त्रण रख ताकि जमा करने वालो को हानि न हो सके।

भारत का रिजव बैंक अनेक प्रकार से भारतीय बैंकों की कार्यवाही पर नियन्त्रण रखता है जिसका सक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

(क) लाईसेंस भारत म स्थापित होने वाले प्रत्येक बैंक के लिय रिजव बैंक को लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। रिजव बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक का निरीक्षण करवाता है। यदि बैंक के धन का उचित प्रयोग हो रहा है और बैंक की ऋण तथा विनियोग नीति उचित है तो रिजव बैंक लाइसेंस दे देता है अन्यथा अनुचित कार्य करने वाले बैंको को चेतावनी दे दी जाती है और यदि वह अपनी नीति म सुधार नही करते तो उन्हे लाइसेंस देने से मनाही कर दी जाती है। इस पर गलती करने वाले बैंक को अपना काम बन्द कर देना पड़ता है।

उपरोक्त दृष्टि से यह स्पष्ट है कि यदि किसी बैंक को लाइसेंस मिल गया है तो वह इस बात की गारटी है कि उसकी आर्थिक स्थिति तथा नीति ठीक है। यदि कोई लाइसेंस प्राप्त बैंक बाद म गलत नीति अपनाये तो चेतावनी देकर उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(ख) प्रबन्ध रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि किसी बैंक का व्यवस्थापक, सचालक या अन्य कोई अधिकारी बैंक के कोषो का दुरुपयोग तो नही कर रहा है। यदि ऐसा हो तो रिजर्व बैंक उस अधिकारी को अपने पद से अलग कर सकता है। उस व्यक्ति को पद से अलग करने के पूर्व रिजर्व बैंक उसे कारण सहित लिखित सूचना देता है। ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष तक किसी भी बैंक का कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता।

(ग) नकद कोष भारत के प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक म अपना खाता रखना पडता है और उस खाते मे अपनी कुल जमा रकम का कम से कम 3 प्रतिशत रखना पडता है। रिजर्व बैंक का यह अधिकार है कि यदि वह आवश्यक समझे तो जमा रकम को 3 प्रतिशत से बढा दे किन्तु यह वृद्धि 15 प्रतिशत स अधिक नही की जा सकती।

(घ) शाखा विस्तार देश म बैंको की शाखाओ का विकास उचित प्रकार से होना चाहिए ताकि कुछ थोडे से स्थानो पर ही अधिकाश बैंको की शाखाए केन्द्रित न हो जाए और अन्य स्थान बैंकिग सुविधाओ म वचित रह जाए। इस दृष्टि से यह नियम बनाया गया है कि जो भी बैंक किसी स्थान पर नई शाखा खोलना चाहता है उसे रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पडती है।

रिजर्व बैंक यह देख लेता है कि अमुक स्थान पर बैंक की शाखा की आवश्यकता है या नहीं तथा वह शाखा बैंक तथा जनता क लिए लाभदायक होगी या नही। इस प्रकार देश मे बैंकिग सुविधाओ का विस्तार उचित रूप म हो सकता है।

(ङ) निरीक्षण रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह किसी भी बैंक का चाहे जब निरीक्षण करले। तदनुसार रिजर्व बैंक के अधिकारी प्रति वर्ष बारी-बारी कुछ बैंको की जाँच करते है। जिन बैंको में ऋण विनियोग अथवा जमानतों सम्बन्धी दोष पाए जाते हैं उनकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को द दी जाती है। रिजर्व बैंक उन बैंकों को चेतावनी देता है तथा दोषो मे सुधार करने के लिए कुछ समय दे देता है।

दोष पूर्ण नीति अपनाने वाले बैंको को अपनी प्रगति के बारे मे रिजर्व

बैंक को समय समय पर सूचना भेजनी पड़ती है।

(च) व्यवसायन तथा विलीयन जो बैंक रिजर्व बैंक की चेतावनी पर भी कोई ध्यान नहीं देते रिजर्व बैंक उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उन्हें बन्द करने का आदेश प्राप्त कर सकता है। यदि रिजर्व बैंक यह समझे कि अमुक बैंक की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो रिजर्व बैंक उस बैंक को किसी बड़े बैंक से मिलाने की व्यवस्था कर सकता है। इस सम्बन्ध में विलीयन की योजना दोनों बैंक मिल कर बना लेते हैं या रिजर्व बैंक योजना बना कर दे देता है जिसका दोनों बैंक पालन करते हैं।

(छ) खाते भेजना प्रत्येक अनुसूचित (Scheduled) बैंक को अपने कार्यों का साप्ताहिक विवरण (Weekly Statement) रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार भारत में काम करने वाले प्रत्येक बैंक को अपना लाभ हानि खाता तथा आवडा (या चिटठा) 31 दिसम्बर की तिथि तक का बनाना पड़ता है और 31 मार्च तक उसकी तीन प्रतियाँ रिजर्व बैंक को भेजनी पड़ती हैं। इससे रिजर्व बैंक को देश की बैंकिंग सम्बन्धी प्रगति का ज्ञान होता रहता है।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक को देश के बैंकिंग संगठन पर नियन्त्रण रखने के व्यापक अधिकार हैं अतः यदि वह इन अधिकारों का उचित रूप में प्रयोग करे तो देश में किसी भी बैंक के बन्द होने की आशंका नहीं होगी।

4 समाशोधन व्यवस्था बैंकों के पास प्रायः एक दूसरे पर लिखे हुए चैक आते रहते हैं। प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि अपने पास आये चैक एक स्थान पर ले जाते हैं जहाँ प्राप्ति तथा देनदारी अलग लिख कर शेष निकाल लिए जाता है। एक उदाहरण से यह बात समझ में आ जायगी।

मान लीजिए एक नगर में दो बैंक क और ख हैं। क को ख से 5000 रु लेने हैं और 4000 रु देने हैं ऐसी स्थिति में क बैंक को कुल 1 000 रु लेने रहे। इस प्रकार 9 000 रुपये (5,000+4 000) का भुगतान केवल 1 000 रुपये में ही सम्भव हो सकता है। यह 1,000 रुपया भी नकद देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि रिजर्व बैंक में सब बैंकों के खाते हैं

अत रिजर्व बैंक ख बैंक के खाते मे 1,000 रुपया नाम लिखा देगा और क बैंक के खाते म उतनी ही रकम जमा कर देगा ।

रिजव बैंक भारत मे समाशोधन गृहो की व्यवस्था करता है । जहाँ रिजव बैंक की शाखाएँ नहीं है वहाँ स्टेट बैंक द्वारा इनकी व्यवस्था की जाती है । भारत म कुल 76 समाशोधन गृह हैं जिनम से 7 की व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है और शेष की व्यवस्था रिजव बैंक की ओर से स्टेट बैंक द्वारा की जाती है ।

1935 म जब रिजव बैंक की स्थापना हुई तब देश भर म केवल 4 समाशोधन गृह थे जिनकी सख्या 1964 म 76 हो गई । समाशोधन गृहों मे 1951-52 मे कुल 2 8 करोड चैकों का समाशोधन हुआ था जिनकी रकम लगभग 79 अरब रुपये थी । 1963-64 म चकों की सख्या 6 7 करोड हो गई और रकम बढकर 168 अरब रुपये हो गई । इससे समाशोधन गृहो की प्रगति का अनुमान हो सकता है ।

5 बकों का बक रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों की रकम जमा रखता है उनकी आवश्यकतानुसार उधार देता है तथा उनसे प्राप्त बिलों की कटौती करता है । रिजव बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को भी ऋण दिए जाते हैं तथा 12 मास तक के कृषि बिलों की कटौती की जाती है (इसे 15 मास तक की अवधि के कृषि बिलो की कटौती करने का अधिकार है) । इस प्रकार रिजव बैंक देश के सभी वर्गों के बैंको की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

6 विदेशी विनिमय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अनेक प्रकार की वस्तुएँ विदेश से आयात करती हैं । रिजव बैंक इनके लिए विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करता है । इसके अतिरिक्त भारत के प्राय सभी देशो म दूतावास हैं जिनके लिए रिजव बैंक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है ।

रिजव बैंक म एक अलग विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange control department) है जो भारत की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आय तथा व्यय पर नियन्त्रण रखता है यह विभाग देश की विदेशी मुद्रा

सम्बन्धी आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त रुपये की विदेशी विनिमय दर भी बनाये रखने की चेष्टा करता है।

7 साख नियन्त्रण रिजव बक एक ओर तो यह ध्यान रखता है कि देश म मुद्रा की मात्रा म आवश्यक्ता से अधिक वृद्धि न हो और दूसरी ओर वह साख की मात्रा का भी उचित रूप म नियमन करने की चेष्टा करता है। साख की मात्रा का नियमन करने के लिए वह निम्नलिखित रीतियां काम म लेता है

(1) बक दर बक दर वह दर होती है जिस पर किसी देश का केन्द्रीय बक व्यापारिक बकों को ऋण देता है अथवा उनके बिलों की पुन कटौती करता है। जब केन्द्रीय बक देखता है कि बैंक बहुत तेजी से उधार दे रहे हैं और इससे मूल्यो पर बुरा प्रभाव पडने का डर है तो वह बक दर बढा देता है। इससे बैंकों को रिजव बैंक से ऊँची दर पर उधार मिलने लगता है अत वह भी अपने ऋणो पर ब्याज की दर बढा देते हैं। इससे ऋण महगे हो जाते हैं और लोग कम उधार लेने लगते हैं। जिन लोगो ने पहले ऋण ले रखे हैं वह भी ब्याज की दर बढ जाने से ऋण का कुछ भाग लौटाने लगते हैं। इस प्रकार बैंक दर बढाने स साख की मात्रा कम हो जाती है।

जब रिजव बैंक यह देखता है कि बाजार म उधार बहुत कम लिया जा रहा है और व्यापार तथा उद्योगो को तेजी से विकसित करना आवश्यक है तो वह अपनी बैंक दर कम कर देता है। इसका अथ यह है कि व्यापारिक बैंको को रिजव बैंक से ऋण सस्ते मिलने लगते हैं। अत व्यापारिक बैंक भी अपनी उधार देने की दर गिरा देते हैं जिससे जनता व्यापारी तथा उद्योगपति अधिक रकम उधार लेने लगते हैं। अत देश म साख का प्रसार होने लगता है।

इससे स्पष्ट है कि बैंक दर बढाने से साख मे कमी तथा बैंक दर घटाने से साख की मात्रा मे वृद्धि हो जाती है।)

रिजव बक द्वारा प्रयोग भारत म रिजव बैंक ने अब तक साख नियमन के लिये बैंक दर का पाच बार प्रयोग किया है और पाचो बार ही बैंक दर मे वृद्धि की गई है जो निम्न है

15 नवम्बर 1951	3 प्रतिशत से 3 5 प्रतिशत
16 मई 1957	3 5 प्रतिशत से 4 0 प्रतिशत
3 जनवरी 1963	4 0 प्रतिशत से 4 5 प्रतिशत
25 सितम्बर 1964	4 5 प्रतिशत से 5 0 प्रतिशत
17 फरवरी 1965	5 0 प्रतिशत से 6 0 प्रतिशत

बैंक दर म इन पाचो वृद्धियो के मुख्य कारण दो रहे हैं

(1) योजनाओ के व्यय के कारण देश म मुद्रा तथा साख प्रसार होना-इसे रोकने के लिये बैंक दर बढाई गई।

(2) बाजार मे ब्याज की दरो मे अत्यधिक वृद्धि होना—बाजार तथा अधिकृत दर म निकटता लाने के लिये बैंक दर बढ़ाई गई।

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ कभी कभी रिजर्व बैंक साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करने के लिए एक और रीति का प्रयोग करता है। जब उसे साख की मात्रा म कमी करनी हो तो वह बाजार मे प्रतिभूतिया बेचना शुरू कर देता है जिन्हें बैंक खरीद लेते हैं। इससे बैंको के पास नकद राशि कम हो जाती है क्योंकि प्रतिभूतिया खरीदने पर वह रिजर्व बैंक को नकद भुगतान करते हैं। अत बैंको की साख प्रसार की शक्ति कम हो जाती है और बाजार में साख की मात्रा गिरने लग जाती है।

जब रिजर्व बैंक बाजार म साख की मात्रा म वृद्धि करना चाहता है तो वह प्रतिभूतिया खरीदना शुरू कर देता है। बैंक अपने पास से प्रतिभूतियां बेचने लगते हैं और उनके नकद कोषो म वृद्धि हो जाती है क्योंकि प्रतिभूतिया बेचने पर उन्हें धन राशि प्राप्त होती है। अत वह माहको तथा व्यापारियों आदि को अधिक ऋण देने लगते हैं। इस प्रकार साख की मात्रा मे वृद्धि होने लगती है।

भारत म रिजर्व बैंक को प्रतिभूतिया खरीदने तथा बेचने का अधिकार है और व्यापारिक बैंको को अपनी सम्पत्ति का एक भाग अनिवार्य रूप में सरकारी प्रतिभूतियो म लगाना पड़ता है। अत गत वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा खुले

बाजार की क्रियाओं का सफल प्रयोग हुआ है। रिजव बैंक स्वय हर समय लग भग 200 करोड रुपये की राशि प्रतिभूतियो म लगाये रखता है।

पिछले 2 3 वर्षों मे खुले बाजार की क्रियाए कुछ शिथिल हो गई है क्योंकि रिजव बैंक अन्य रीतियों का प्रयोग अधिक करने लगा है।

(III) परिवतनशील कोष भारत मे प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमा रकम का कम से कम तीन प्रतिशत भाग रिजव बैंक म रखना पडता है। रिजव बैंक इस अनुपात को 3 से 4 अथवा अधिक प्रतिशत बढ सकता है और यह वद्धि 15 प्रतिशत तक हो सकती है।

यदि रिजव बैंक साख की मात्रा कम करना चाहे तो वह व्यापारिक बैंको को आदेश दे सकता है कि वह अमुक तिथि से उसके पास अपने कोषो का 3 के स्थान पर 4 5 या 6 प्रतिशत जमा कराए। इस वृद्धि से बैंको को रिजव बैंक मे अधिक नकद राशि रखनी पडेगी जिससे उनके नकद कोषों म कमी हो जायगी और उनकी साख निर्माण की शक्ति भी कम हो जायगी।

इसके विपरीत यदि रिजव बैंक साख की मात्रा मे वद्धि करना चाहे तो वह परिवतनशील कोषानुपात कम (5 से 4 या 3 आदि) कर सकता है। इससे बैंकों के नकद कोषों मे अधिक राशि रहेगी और वे अधिक साख का प्रसार कर सकेंगे।

यद्यपि रिजव बैंक को व्यापारिक बैंको से अधिक नकद कोष मांगने का अधिकार है परन्तु उसने अभी तक इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

(IV) चुने हुए साख नियन्त्रण कभी कभी रिजव बैंक व्यापारिक बैंको का यह आदेश दे देता है कि वह अमुक वस्तु की जमानत पर कम उधार दें या उधार देने स बिल्कुल मना कर देता है। ऐसी स्थिति म बाजार म साख की मात्रा कम हो जाती है।

गत पन्द्रह वर्षों म रिजव बैंक ने समय समय पर खाद्यान्न चीनी, मूगफली, रूई, पटसन आदि वस्तुओ की जमानत पर उधार देने में अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये हैं जिनके कारण साख की मात्रा वद्धि पर रोक रही है।

(V) नैतिक अनुनय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा 1956, 1958, 1960 तथा गत वर्षों में कई बार भारतीय बैंकों को पत्र लिखकर इस बात की इच्छा प्रकट की गई कि वह साख की मात्रा में कम प्रसार करें। कई बार पत्रकार सम्मेलनों, बैंकों के सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में भी साख की मात्रा में कमी का अनुरोध किया गया। इन अनुरोधों का यथेष्ट अच्छा परिणाम निकला है।

(VI) प्रचार केन्द्रीय बैंक पत्र पत्रिकाओं अथवा समाचार पत्रों में प्रचार द्वारा भी बैंकों की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी केन्द्रीय बैंक के उच्च अधिकारी कुछ लेख या वक्तव्य प्रकाशित कर देते हैं जिनसे बैंकों को केन्द्रीय बैंक की नीति का पता चल जाता है। रिजर्व बैंक इस प्रकार के प्रचार के लिये एक मासिक पत्रिका (Reserve Bank of India Bulletin) निकालता है किन्तु दुर्भाग्य से उसका मूल्य बहुत ऊंचा है अतः उसका प्रचार बहुत नहीं है।

(VII) सीधी कार्यवाही रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक को कोई भी आदेश दे सकता है और उस आदेश का पालन न होने पर उस बैंक को बन्द किया जा सकता है या उस पर जमा लेने से रोक लगाई जा सकती है। रिजर्व बैंक को इस प्रकार की कार्यवाही किसी बैंक के विरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि सभी बैंक रिजर्व बैंक की साख नीति का पालन करते रहे हैं।

(VIII) साख का राशनिंग कभी कभी केन्द्रीय बैंक ऐसा नियम बना देता है कि चालू वर्ष में प्रत्येक बैंक को गत वर्ष की 60, 70 या 80 प्रतिशत रकम ही उधार मिल सकेगी। यह व्यवस्था राशनिंग व्यवस्था कहलाती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस रीति का प्रयोग 1960 के पश्चात् अनेक बार किया गया है परन्तु उसमें विशेषता यह रही है कि उसने प्रत्येक बैंक के कोटा (अभ्यंश) निर्धारित कर दिये और अपने कोटा से अधिक ऋण मांगने वाले को अधिक ब्याज देने पर बाध्य किया गया।

रिजर्व बैंक और ग्रामीण साख भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की सबसे गम्भीर समस्या यह है कि किसान को खेती में सुधार करने के

लिए समय पर उचित मात्रा म पूजी नहीं मिलती। भारत सरकार इस कठिनाई के प्रति जागरूक थी अत 1935 म जब रिजव बक की स्थापना की गई तभी से उसके द्वारा कृषि अथवा ग्रामीण अथ व्यवस्था के लिए सस्ती साख सुलभ कराने की व्यवस्था की गई थी।

रिजव बक मे एक कृषि साख विभाग है जिसका काम कृषि साख की समस्याओ का अध्ययन करना है। इस विभाग म कृषि साख के जानकार विशेषज्ञो की नियुक्ति की जाती है जो कृषि साख के बारे मे सरकार तथा अय सस्थाओ को सलाह देने का काय करते हैं। रिजव बक अनेक प्रकार से ग्रामीण साख की सुविधाएं देता है।

(1) कृषि बिल रिजव बक द्वारा कृषि के लिए समस्त साख राज्य सहकारी बको के माध्यम स दी जाती है। राज्य सहकारी बक कृषि के लिए 15 मास तक के बिलो पर उधार ले सकते हैं परन्तु व्यवहार म यह बिल 12 मास के लिए ही लिख जाते हैं। इस सुविधा के अतगत कृषि समितियो को माल बचने अथवा सवारने के लिए भी ऋण दिये जा सकत हैं। यह ऋण बक दर स आधा प्रतिशत कम पर दने की व्यवस्था है।

(2) कुटीर उद्योगों को ऋण रिजव बक अनुमोदित लघु तथा कुटीर उद्योगो को माल उत्पादन करने तथा बेचने के लिए लिखे गये बिलो की कटौती करता है। यह बिल भी 12 मास तक के हो सकते है। इस प्रकार के ऋणो का अभी तक सीमित लाभ उठाया गया है क्योकि इसके अतगत अभी तक केवल हाथकर्घा उद्योग ही ऋण देन के लिए स्वीकृत है।

(3) कृषि ऋण कोष सन् 1956 म कृषि साख की व्यवस्था के लिए रिजर्व बक द्वारा दो कोष निर्मित किय गय जो निम्नलिखित हैं

(क) राष्ट्रीय कृषि साख (दीघकालीन) कोष—इस कोष म प्रारम्भ मे 10 करोड रुपये डाले गय और बाद मे प्रति वष 5 करोड डालन की व्यवस्था की गई। इस कोष का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है।

(i) सहकारी सस्थाओ की पूजी खरीदने के लिए राज्य सरकारो को 20 वष तक की अवधि के ऋण देना।

(ii) कृषि साख के लिए राज्य सहकारी बैंकों को 15 मास से 5 वर्ष तक की अवधि के ऋण देना। इन ऋणों के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की राज्य सरकारों द्वारा गारंटी आवश्यक है।

(iii) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को 20 वर्ष तक के ऋण देना।

(iv) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्र खरीदना।

इस कोष में 26 मार्च 1965 तक 86 करोड़ रुपये जमा किये जा चुके हैं तथा उसमें से निम्नलिखित राशियां उधार दी जा चुकी हैं।

(1) राज्य सरकारों को ऋण	28 08 करोड़ रुपये
(2) राज्य सहकारी बैंक	10 43 „ „
(3) भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्र	4 16 „ „
योग	42 67

(ख) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष इस कोष में प्रारम्भ में एक करोड़ रुपये डाले गये थे। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों को संकटकाल में आर्थिक सहायता देना है। जब बाढ़ सूखा अथवा अन्य कारणों से कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सहकारी बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए ऋण वसूल नहीं हो सकते। अतः रिजर्व बैंक इस कोष में से सहकारी बैंकों को यथेष्ट राशि उधार दे देता है। इस कोष में 9 करोड़ रुपये जमा हैं किन्तु अभी तक उनका कोई प्रयोग नहीं किया गया है।

(4) ग्रामीण ऋण पत्र सन् 1948 से ही रिजर्व बैंक द्वारा भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्र खरीदे जा रहे हैं किन्तु 1957–58 में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण पत्रों की एक योजना आरम्भ की जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि बन्धक बैंक 7 वर्ष के ऋण पत्र भी निकाल सकते हैं। इन ऋण पत्रों को यदि जनता या पंचायतें खरीदें तो उनसे कुछ अधिक राशि रिजर्व बैंक खरीद लेता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ग्रामीण जनता द्वारा ग्रामीण साख में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन देता है।

कुल साख रिजव बक द्वारा कृषि साख के लिए 1963-64 तक 302 करोड रुपय उधार दिए गए थे जिनमें स वष के अत म 135 करोड रुपये की रकम शेष थी ।

औद्योगिक वित्त

परोक्ष व्यवस्था गत वर्षों म उद्योगो को ऋण देने वाली अनेक सस्थाओ की स्थापना हुई है जिनमे औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक साख एव विनियोग निगम तथा राज्य वित्त निगम प्रमुख हैं । अभी कुछ समय पूव ही औद्योगिक विकास बक की स्थापना हुई है । इन सब निगमो म रिजव बक ने लगभग 4 करोड रुपये की पूजी खरीद रखी है । औद्योगिक विकास बक मे तो प्रारम्भिक 10 करोड रुपये की पूरी पूजी ही रिजव बक द्वारा लगाई गई है । इस प्रकार बडे उद्योगो के विकास म रिजव बक अप्रत्यक्ष रूप म ही सहयोग देता है ।

लघु उद्योगों के लिए भारत की अर्थ व्यवस्था मे लघु उद्योगो का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि लघु उद्योग कम पूजी से अधिक व्यक्तियो को रोजगार दे सकते हैं । लघु उद्योगो को सस्ती पूजी सुलभ कराने के लिए एक जुलाई 1960 को रिजव बक ने एक योजना का श्रीगणेश किया जो साख गारटी योजना कहलाती है ।

इस योजना के अतगत 94 बकों तथा वित्त सस्थाओ को यह अधिकार दिया गया है कि वह लघु उद्योगो को ऋण दें । इन ऋणो की गारटी भारत सरकार की ओर से रिजव बक का गारटी सगठन करता है । इसकी व्यवस्था इस प्रकार है

जब किसी लघु इकाई को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह किसी अनुमोदित बक या वित्त सस्था को ऋण के लिए प्राथना पत्र दे देती है । बक इस प्राथना पत्र पर विचार कर अपनी सिफारिश के साथ गारटी सगठन (जो रिजव बक के आधीन काय कर रहा है) को भेज देता है । गारटी सगठन की स्वीकृति आने पर ऋण दे दिया जाता है । यदि इस ऋण पर कोई हानि

हो तो उसका आधा भाग ऋण देने वाला बैंक तथा शेष आधा भाग गारटी सगठन सहन करता है।

गारटी योजना आरम्भ मे केवल 22 जिलो मे आरम्भ की गई थी किन्तु 1961 मे 30 और जिलो में लागू कर दिया गया। एक जनवरी 1963 मे इस सारे देश म लागू कर दिया गया है। इस योजना के अन्तगत 7 वर्ष तक की अवधि के ऋण दिये जा सकते हैं।

प्रगति साख गारटी योजना के अन्तगत अब तक लगभग 16 करोड रुपये के ऋण दिये गये हैं। इन ऋणो पर सरकार को विशेष हानि नहीं उठानी पडी है।

रिजर्व बैंक के विभाग

काय सचालन की दृष्टि से रिजव बैंक का काय अनेक विभागो म बटा हुआ है जिनका कार्य भार किसी उप-गवनर के हाथ म है। इसके मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं

(1) नोट निगमन विभाग रिजर्व बैंक द्वारा जितनी राशि के नोट निकाले जाते हैं यह सब नोट निगमन विभाग द्वारा निकाले जाते हैं। इसका ब्योरा प्रति सप्ताह प्रकाशित कर दिया जाता है।

(2) बैंकिंग विभाग यह विभाग बैंकों तथा सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का समाधान करने की चेष्टा करता है। इस विभाग के बगलोर, बम्बई कलकत्ता, कानपुर मद्रास नागपुर तथा नई दिल्ली मे सात कार्यालय हैं जिनका प्रबन्ध एक एक व्यवस्थापक के अधीन है। इस विभाग के चार उपविभाग हैं जो निम्नलिखित हैं

(i) सार्वजनिक लेखा विभाग जो सरकारी लेन देन का हिसाब रखता है।

(ii) सार्वजनिक ऋण विभाग जो सरकार के ऋणो की व्यवस्था तथा बगुमी की देख रेख करता है।

(iii) जमा खाता विभाग जो रिजर्व बैंक के खातों की देख रेख करता है।

(iv) प्रतिभूति विभाग जो रिजर्व बैंक में जमा की गई प्रतिभूतियों की सम्हाल तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करता है।

(3) विनिमय नियंत्रण विभाग यह विदेशी विनिमय की आय तथा व्यय पर नियंत्रण करता है। विदेशों को भेजी जाने वाली प्रत्येक राशि की अनुमति इस विभाग से प्राप्त करना आवश्यक है। इसके कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं।

(4) बैंकिंग विकास विभाग यह विभाग देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार (शाखा आदि) धन प्रेषण, अल्प बचत योजना, प्रशिक्षण तथा बैंकों की दैनिक समस्याओं के समाधान की चेष्टा करता है।

(5) औद्योगिक वित्त विभाग यह विभाग देश की औद्योगिक वित्त सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करता है। यह राज्य वित्त निगमों तथा अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करता है तथा उन्हें सहायता करने के लिये सुझाव देता है।

(6) कृषि साख विभाग यह कृषि साख सम्बन्धी अनुसंधान करता है तथा उसके परिणाम प्रकाशित करता है। गत वर्षों से इसने कृषि तथा ग्रामोद्योगों और माल गोदामों के विकास का कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है।

(7) बैंकिंग संचालन विभाग इस विभाग का कार्य बैंकों का समय समय पर निरीक्षण करना है। निरीक्षण के द्वारा ही भारत के व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण होता है।

(8) आर्थिक विभाग यह विभाग भारत की आर्थिक समस्याओं पर शोध कार्य करता है तथा सरकार को उचित सलाह देता रहता है।

(9) शोध एवं सांख्यिकी विभाग यह विभाग मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त, बैंक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा उद्योग एवं व्यापार से सम्बन्धित

समस्याओं पर अनुसंधान करता है और उनके परिणाम रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन में प्रकाशित करता है। इन सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित विस्तृत आंकड़े भी संग्रह किये जाते हैं और बुलेटिन में प्रकाशित होते हैं।

रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्य नहीं किये जा सकते

1 जनता से रकम जमा नहीं कर सकता।

2 सरकार अथवा बैंकों से प्राप्त जमा पर ब्याज नहीं दे सकता।

3 अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता।

4 व्यापार अथवा व्यवसाय में भाग नहीं ले सकता।

5 कम्पनियों के अंश आदि नहीं खरीद सकता।

एक राष्ट्रीय संस्था होने के नाते रिजर्व बैंक का दायित्व बहुत गम्भीर है अतः यह सब बन्धन उचित एवं स्वाभाविक हैं।

रिजर्व बैंक की सफलताएं रिजर्व बैंक को निम्नलिखित दिशाओं में यथेष्ट सफलता मिली है

1 कृषि साख की सुविधाएं बहुत बढ़ाई गई हैं जिससे कृषि तथा ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों को बहुत लाभ हुआ है।

2 औद्योगिक विकास में बहुत सहायता मिली है।

3 बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ है।

4 समाशोधन गृहों की स्थापना से चैकों का प्रचार बढ़ा है।

5 गत वर्षों में बैंकिंग प्रणाली दृढ़ हुई है।

असफलताएं रिजर्व बैंक कई दिशाओं में विशेष सफल नहीं हुआ। यह दिशाएं निम्नलिखित हैं

1 रुपये के मूल्य में गिरावट को नहीं रोक सका है। गत कुछ वर्षों में रुपये की विदेशी विनिमय दर में बहुत गिरावट आई है।

2 रिजर्व बक वस्तुओं के मूल्या मे वृद्धि नहीं रोक सका है। गत 10 वर्षों मे वस्तुओ मे के मूल्या म लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हो गई है जिसस जनता को बहुत कष्ट हुआ है।

3 विदेशी विनियम का नियन्त्रण करने म रिजव बक को यथेष्ट सफलता नहा मिली है क्योंकि विदेशी मुद्रा की अत्यधिक चोरी होती है और लोग अनुचित दबाव द्वारा विदेशी मुद्रा के परमिट प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कभी कभी उचित कामा के लिए भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने म कठिनाई होती है।

उपसहार प्रस्तुत विवरण मे रिजव बक के कार्यों का महत्त्व स्पष्ट होता है। वास्तव म रिजव बक न देश की मुद्रा तथा बकिंग व्यवस्था को काफी चतुराई से सचालित किया है। अनुभव के अभाव म कुछ कमिया रह जाना स्वाभाविक है अत कुल मिलाकर यह कहना सवथा उचित है कि रिजव बक अपने काय म यथेष्ट सजग एव सफल रहा है।

अभ्यास के प्रश्न

1 रिजव बक के सगठन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिय।

2 रिजव बक के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण थ ? क्या आप उन कारणों स सहमत हैं ?

3 सही उत्तर को चिह्नाङ्कित कीजिय

(क) रिजव बक के सचालक मडल म कितन सदस्य हैं ?
16/20/15

(ख) उनमे से कितन डिप्टी गवनर हैं 2/5/3/4

(ग) गवनर का कायकाल कितना है 4 वष 5 वष

(घ) अय सचालकों का कायकाल कितना है 5 वष 3 वर्ष, 4 वष

(ङ) रिजव बक की पूजी कितनी है ? 5 करोड रु, 10 करोड रु

4 रिजर्व बक के क्या काय हैं ? उनमे से दो पर विस्तृत नोट लिखिये।

5 रिजव बक को भारतीय बक व्यवस्था पर नियन्त्रण के क्या अधिकार है तथा वह उनका किस प्रकार प्रयोग करता है ?

6 रिजर्व बैंक तथा सरकार के सम्बन्ध पर एक नोट लिखिये ।

7 रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण के लिये क्या साधन अपनाये जाते हैं, स्पष्ट विवेचन कीजिये ।

8 रिजर्व बैंक का ग्रामीण साख मे क्या योगदान है, विवेचन कीजिए ।

9 औद्योगिक संस्थाओं के लिए धन की व्यवस्था करने मे रिजर्व बैंक ने क्या किया है, स्पष्ट लिखिए ।

10 रिजर्व बैंक अपने उद्देश्यों मे कहाँ तक सफल हुआ है स्पष्ट कीजिए ।

11 उत्तर लिखिये ।

(क) बैंकों के निरीक्षण का भार रिजर्व बैंक के विभाग पर है ।

(ख) मुद्रा नोट निर्गमन के पीछे रिजर्व बैंक प्रतिभूति जमा रखता है जिसमे स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय होना आवश्यक है ।

(ग) रिजर्व बैंक केवल बैंकों को ऋण देता है ।

(घ) रिजर्व बैंक एक पत्रिका प्रकाशित करता है ।

(ङ) कृषि साख की सहायता के लिए रिजर्व बैंक मे (1) (2) नामी दो कोष बनाये गये हैं ।

अध्याय 6

भारतीय चलन का इतिहास

(History of Indian currency)

भारत म प्राचीन काल स ही स्वण मुद्रा चलन म थी किन्तु मुगलो तथा अग्रजा क शासन काल म चादी की मुद्राओ का विशेष प्रचार हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् 1835 म सारे देश म 180 ग्र न वजन (एक तोला) का चादी का रुपया प्रचारित कर दिया। 1892 ई० म चादी क रुपये की ढलाई बन्द करनी पडी क्योकि चादी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों म गिरा वट आ गई। ढलाई बन्द करने स भ्रमण रुपय की स्थिति पुन ठीक हो गई और सन् 1902 के पश्चात् चादी की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई आरम्भ कर दी गई। इस समय रुपय की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पस चल रही थी किन्तु प्रथम युद्धकाल म भारत क निर्याता म अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विनिमय दर 2 शिलिंग $10\frac{1}{2}$ पस तक पहुच गइ। फलत बॅबिंगटन स्मिथ समिति ने (1920 म) रुपय की विनिमय दर 2 शिलिंग स्वण (अर्थात् 2 शिलिंग $10\frac{1}{2}$ पस स्टर्लिंग) निश्चित करने का सुझाव दिया। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया। किन्तु ऊची दर निश्चित करने से देश के नियातो को बहुत हानि पहुची जिससे विनिमय दर गिर कर 1 शिलिंग 4 पस से भी नीचे आ गई। 1925 म इगलड ने स्वणमान अपना लिया। इन परिस्थितियो म भारत के सामने तीन मुख्य समस्याए थी

1 भारतीय रुपये की विनिमय दर क्या हो ?

2 भारत किस प्रकार का मुद्रा मान अपनाय ? तथा

3 भारत मे मुद्रा व्यवस्था का सचालन करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता है या नही।

इन सब समस्याओ के सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 1925 म एडवर्ड हिल्टन यग की अध्यक्षता मे एक आयोग नियुक्त किया।

हिल्टन यग आयोग के सुझाव

हिल्टन यग आयोग ने 1926 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी।

(1) स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard) हिल्टन आयोग के सामने यह समस्या थी कि देश मे स्वर्ण विनिमय मान, स्टर्लिङ्ग विनिमय मान स्वर्ण मुद्रा मान तथा स्वर्ण धातु मान म स कौन सी मुद्रा व्यवस्था अपनाई जाय। आयोग ने पहली तीन व्यवस्थाओ को अस्वीकार कर दिया और देश म स्वर्ण धातु मान अपनाने की सिफारिश की।

स्वर्ण विनिमय मान के दोष जहाँ तक स्वर्ण विनिमय मान और स्टर्लिङ्ग विनिमय मान का प्रश्न था, यह दोनो व्यवस्थाएँ समान थी क्योकि स्टर्लिङ्ग स्वर्ण पर आधारित था। स्वर्ण विनिमय मान सस्ता तथा लोचदार था परन्तु आयोग ने उसे निम्नलिखित कारणो म उचित नही बतलाया

(क) यह सरल नही था क्योकि इसका सचालन स्टर्लिङ्ग तथा रुपये के ड्राफ्टो द्वारा किया जाता था।

(ख) इसे चलाने के लिए दो कोष रखने पड़ते थे।

(ग) यह व्यवस्था स्वय सचालित नही थी।

(घ) इसमे जनता का विश्वास नही था क्योकि मुद्रा के बदले स्वर्ण केवल विदेशी भुगतान के लिए मिलता था।

(ङ) इसके अन्तर्गत रुपये का गठबन्धन स्टर्लिङ्ग से था अत स्टर्लिंग म होने वाले परिवर्तनो का रुपये पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था।

स्वर्ण मुद्रा मान भी अनुपयुक्त हिल्टन आयोग ने स्वर्ण मुद्रा मान को भी भारत के लिए अनुपयुक्त समझा क्योंकि

(अ) इसमें सोने के सिक्के चलन में रहते थे अतः वह बहुत खर्चीला था।

(ब) यह बहुत बेलोचदार था और मुद्रा की मात्रा आवश्यकतानुसार बढाई नहीं जा सकती थी।

उपरोक्त कारणों से आयोग ने स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard) को ही श्रेष्ठ माना। वास्तव में इङ्गलैंड ने स्वर्ण धातु मान अपनाया था अतः आयोग ने भारत के लिये भी यही मान अपनाने की सिफारिश की। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। स्वर्ण धातु मान के अन्तर्गत स्वर्ण का मूल्य 21 रु० 3 आने 10 पाई (21 24 रुपये) प्रति तोला घोषित कर दिया गया और सरकार इस मूल्य पर स्वर्ण खरीदने और बेचने के लिये बाध्य थी किन्तु शर्त यह थी कि 400 औंस (1065 तोले) से कम स्वर्ण खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। यह मात्रा भी स्वर्ण के 40-40 औंस के टुकड़ों में दी जा सकती थी।

लाभ इस प्रकार देश मे एक ऐसी मुद्रा व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें स्वर्ण मुद्रा के सब गुण किन्तु एक भी अवगुण नहीं था। यह बात स्वर्ण धातु मान की निम्नलिखित विशेषताओं से स्पष्ट हो जाती है

(i) इसमें मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील थी अतः जनता को इसमें पूरा विश्वास था।

(ii) मुद्रा प्रसार का भय नहीं था।

(iii) मुद्रा स्टर्लिंग पर निर्भर नहीं थी।

(iv) मुद्रा के मूल्य में उतार चढाव आने की आशंका नहीं थी।

(v) स्वर्ण मुद्रा चलन में नहीं रहती थी अतः स्वर्ण घिस कर नष्ट होने की आशंका नहीं थी।

(vi) स्वर्ण कोष में जमा रहता था अतः भविष्य में स्वर्ण धातु मान अपनाया जा सकता था।

व्यवहार में स्वर्ण धातु मान यद्यपि सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह जनता द्वारा मांगे जाने पर 21 रु० 3 आने 10 पाई प्रति तोला की

दर से स्वर्ण देगी परन्तु व्यवहार में वह सदा स्टर्लिंग ही देती थी अत वास्तव में स्वर्ण धातु मान के स्थान पर स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना हो गई थी।

(2) विनिमय दर आयोग के सामने दूसरी समस्या यह थी कि रुपये की विनिमय दर क्या निश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में आयोग के सदस्यो मे ही दो मत थे। एक वर्ग का यह कथन था कि रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस रखी जाय जबकि दूसरा पक्ष 1 शिलिंग 4 पेंस की दर को उचित समझता था। दोनो पक्षो ने रुपये की विनिमय दर के सम्बन्ध में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये जो निम्नलिखित थे

1 शि 6 प के पक्ष मे तर्क	1 शि 4 प के पक्ष मे तर्क
(1) स्वाभाविक यह दर 2-3 वर्ष से स्थाई हो गई थी अत यह स्वाभाविक दर है। इसी दर पर मूल्य तथा मजदूरी आदि स्थिर हो चुके हैं अत यदि इसमें परिवर्तन किया गया तो बहुत गड़बड़ होने की आशका है।	(1) 1 शि 6 प की दर स्वाभाविक नहीं है क्योंकि इसे सरकार द्वारा जोड़-तोड़ कर बनाने की चेष्टा की गई है। इसके विपरीत 16 पेंस की दर 30-40 वर्षों तक स्थिर रही है। अत स्वाभाविक दर यही है।
(2) मूल्यों में समानता इस पर वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गये हैं और इसमें परिवर्तन करने पर यह साम्यता नष्ट हो जायगी अत 18 पेंस की दर में कमी नहीं की जानी चाहिये। इसके साथ यह भय भी प्रकट किया गया कि दर में कमी करने पर देश में आयात होने वाली वस्तुओं के मूल्य 12.5 प्रतिशत बढ़ जाएंगे।	(2) 16 पेंस की दर के समर्थक सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने आकड़े देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की भारतीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो के समान नहीं आए हैं अत उनका गिरना स्वाभाविक है। इसलिए 16 पेंस की दर ही अपनाई जानी चाहिए।

(3) विदेशी विनिमय 18 पस की दर के पक्षपातियो का कथन था कि ऊंची दर रखने से भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को जो गृह शुल्क (Home charges) देती है वह रुपयों म कम देना पड़ेगा। इससे देश की विदेशी विनिमय की स्थिति मे सुधार होगा।

(3) 16 पस की दर के समर्थकों न यह मत प्रकट किया कि ऊंची दर रखने स देश के निर्याता को बहुत हानि होगी और आयात बढ़ेंगे अत विदेशी विनिमय की समस्या बहुत जटिल होने की आशका है।

(4) ठेके तथा ऋण के सौदे आयोग के अधिकतर सदस्यो का मत था कि गत 2 3 वष म माल आयात तथा ऋण के जो सौदे हुए हैं यह 18 पस की दर पर हुए हैं अत दर 16 पस कर देने से भारत के आयात करने वाला को अधिक रुपये चुकाने पड़ेंगे।

(4) 16 पस के समर्थकों का यह मत था कि 18 पस की दर पर बहुत अधिक सौदे नही हुए हैं। इसके विपरीत देश स निर्यात कम होने से भारत से स्वण निर्यात की मात्रा बढ जायगी और देश को हानि होगी।

(5) चांदी की मुद्रा की सुरक्षा 18 पस के समर्थकों का मत था कि यदि विनिमय दर 16 पस कर दी जाय तो चांदी का भाव 43 पस प्रति औंस से अधिक होते ही लोग रुपय की मुद्रा गला कर चांदी बेचने लगेंगे। इसके विपरीत विनिमय दर 18 पैस रहने से चांदी का भाव 40 पस प्रति औंस होने तक रुपया सुरक्षित रहेगा।

(5) 16 पस के समर्थकों का कहना था कि विनिमय दर को सरकारी दवाव तथा नीति द्वारा ऊँचा रखा जा रहा है अत इसम गिरावट आना स्वाभाविक है। यदि दर 16 पस ही रखी जाय तो उसमे कोई गिरावट नही आएगी और रुपय के गलाने का प्रश्न ही नही उठेगा।

सरकार ने इन तर्कों के आधार पर आयोग के बहुमत की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और रुपये की विनिमय दर 1 शि 6 पस निश्चित कर दी गई।

3 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया हिल्टन यंग आयोग की तीसरी महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारत में मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था का ठीक प्रकार संचालन करने के लिये एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिये जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाय। इस बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार मिलना चाहिये तथा इस पर बैंकों के नियमन का दायित्व भी होना चाहिये। सरकार ने इस विचार को भी स्वीकार कर लिया और भारत की विधायिका सभा में रिजर्व बैंक बिल प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य से इस बिल का भारी विरोध हुआ और यह पास नहीं हो सका। 1934 में यह बिल फिर विधायिका सभा में रखा गया और पास हो गया। इसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हो गई।

स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना यद्यपि हिल्टन-यंग आयोग ने देश में स्वर्ण धातु मान की स्थापना का सुझाव दिया था और सरकार ने उसे स्वीकार भी कर लिया था परन्तु व्यवहार में सरकार सदा स्वर्ण के स्थान पर स्टर्लिंग ही देती थी। इस प्रकार वास्तव में स्वर्ण धातु मान के स्थान पर देश में स्टर्लिंग विनिमय मान स्थापित हो गया था। जब तक इङ्गलैंड में स्वर्ण मान था स्टर्लिंग विनिमय मान तथा स्वर्ण धातु मान में कोई अन्तर नहीं था परन्तु 21 सितम्बर 1931 को इंगलैंड ने स्वर्ण धातु मान का त्याग कर दिया भारत के इंगलैंड से बहुत गहरे व्यापारिक सम्बन्ध थे अतः भारत सरकार ने रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से बनाये रखने का निश्चय किया। इस प्रकार भारत में सम्पूर्ण स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना हो गई।

सोने का निर्यात रुपये का सम्बन्ध सीधा स्टर्लिंग से जोड़ने के कुछ समय पश्चात् ही इंगलैंड में स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई अतः भारत से भारी मात्रा में सोना विदेशों को निर्यात होना आरम्भ हो गया। भारत की जनता ने सरकार से स्वर्ण निर्यात रोकने का अनुरोध किया क्योंकि स्वर्ण निर्यात से भारत को कई हानियाँ हो रही थीं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

1 स्वर्ण निर्यात से भारत में स्वर्ण मान के दोबारा स्थापित करने की आशा विहीन होती जा रही थी।

2 मुद्रा के पीछे रखने के लिये स्वर्ण निधि के रूप सोने की आवश्यकता थी।

3 स्वण के बदले स्टलिंग मिल रहा था जिसका मूल निरन्तर गिर रहा था।

सरकार ने उपरोक्त किसी तर्क को स्वीकार नही किया बल्कि स्वण निर्यात के पक्ष मे बहुत से तर्क प्रस्तुत किये जो निम्नलिखित थे।

1 स्वण प्राय आर्थिक सकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिये जमा किया जाता है अत यदि जनता आर्थिक सकट के समय उसका उपयोग करे तो यह उचित ही है।

2 स्वण निर्यात से भारत का विदेशी भुगतान सतुलित हो रहा है जिसस रुपये की विनिमय दर स्थिर रहने की आशा है।

3 व्यथ म भूमि के नीचे पडा हुआ स्वण उपयोगी कामो म लगने के लिये बाहर आ रहा है यह सवथा उचित ही है।

4 स्वण निर्यात से भारत को अपने विदेशी ऋण चुकाने मे सहायता मिल रही है।

इस प्रकार भारत से स्वण का निर्यात निरन्तर होता रहा। सन् 1931 से लेकर सन् 1938 तक लगभग 31 करोड रुपये का स्वण विदेशो को निर्यात कर दिया गया और इससे भारत म स्वण मान स्थापित होने की प्राय सभी सम्भावनाए नष्ट हो गई।

द्वितीय युद्धकाल

युद्धकाल मे प्राय लोगो का देश की पत्र मुद्रा से विश्वास हट जाता है और वह धातु मुद्रा जमा करने लगते हैं। कभी कभी लोग बको से अपनी रकम निकालने लगते हैं। सरकार को नोटो के बदले धातु मुद्रा देने के लिये भी बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार युद्धकाल म वस्तुओ का उत्पादन बहुत बढ जाता है क्योकि उनकी माग अधिक होती है अत मुद्रा की माग म भी बहुत वृद्धि हो जाती है।

भारतीय मुद्रा पर प्रभाव 3 सितम्बर 1939 को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया और भारत से विभिन्न प्रकार का उपभोक्ता माल युद्ध की

सीमाओं पर निर्यात होना आरम्भ हो गया जिससे न केवल देश के व्यापार तथा उत्पादन में वद्धि हुई बल्कि मुद्रा की माग तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसकी पूर्ति के लिये सरकार ने कई कदम उठाये। इसका फल यह हुआ कि देश मे मुद्रा स्फीति होनी आरम्भ हो गई जिस पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया। देश का निर्यात व्यापार बढ़ने से भारत इगलड से करोडो रुपये का लेनदार हो गया। इस प्रकार युद्ध का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पडा। नीचे सभी प्रभावों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा रहा है।

1 मुद्रा की मांग युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् ही जनता ने कागज के नोटो को धातु मुद्रा मे परिवर्तित करने की माग आरम्भ कर दी। सामान्यत यह माग 1 करोड रुपये प्रति सप्ताह थी परन्तु फ्रांस का पतन होने के पश्चात् मई 1940 से यह माग लगभग 4 5 करोड रुपये प्रति सप्ताह तक पहुँच गई। इस प्रकार चादी के रुपये की माग में अत्यधिक वद्धि हो गई। रेजगारी की भी बहुत अधिक कमी आगई और अनेक स्थानो पर रेजगारी के स्थान पर डाकखाने के टिकट, पोस्टकार्ड तथा लिफाफे आदि काम मे लाये जाने लगे।

सरकार ने मुद्रा की इस बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिये निम्न कार्य किये।

(क) जमा करने पर दण्ड 25 जून 1940 को सरकार ने एक अध्यादेश निकाला जिसके अनुसार एक रुपये की मुद्रा को आवश्यकता से अधिक जमा रखना अपराध घोषित कर दिया गया। इससे रुपये की मुद्रा की मांग कुछ कम हो गई।

(ख) कम चांदी की मुद्रा सरकार ने दूसरा कार्य यह किया कि 26 जुलाई 1940 तथा 23 सितम्बर 1940 के आदेशों द्वारा रुपये तथा अठन्नी की शुद्धता कम कर दी। पहले रुपये की मुद्रा में 165 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी उसकी मात्रा घटा कर 80 ग्रेन कर दी गई। इस प्रकार देश म दो प्रकार के रुपये चलन म आगये। इस परिस्थिति में सुधार करने के लिये विक्टोरिया एडवर्ड तथा जार्ज पचम तथा षष्टम की मोहर वाले रुपये तथा अठन्नियाँ वापस ले लिये गये। इन मुद्राओं में शुद्ध चांदी की मात्रा अधिक थी।

1943 के पश्चात् सरकार ने रुपये तथा अठन्नी की 50 प्रतिशत शुद्धता भी समाप्त कर दी और नये रुपये तथा अठन्नियां चालू किये गये जिनमें चांदी की मात्रा नाम मात्र को रखी गई। यह काम दो कारणों से किया गया प्रथम यह कि मुद्राएं बनाने में कम चांदी का प्रयोग हो दूसरे यह कि लोग अधिक चांदी के लोभ में सिक्कों को गलाएं नहीं।

(ग) छोटे नोटों का चलन रुपये की मुद्रा की मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार ने 1940 में एक रुपये का नोट चालू किया। फरवरी 1943 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 2 रुपये का नोट भी चालू किया गया। एक रुपये के नोट को रुपये की मुद्रा के समान ही माना गया और बड़े नोटों के बदले अब रुपये की मुद्रा के बजाय एक रुपये का नोट ही दिया जाने लगा।

(घ) नई रेजगारी का चलन रुपये तथा अठन्नी की मुद्रा के अतिरिक्त देश में छोटी रेजगारी की भी बहुत कमी आ गई और कागज के नोट बट्टे पर चलने लगे। इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने दोहरी कार्यवाही की। पहली के अनुसार रेजगारी जमा करना अपराध घोषित कर दिया गया। दूसरे, सस्ती तथा हल्की मुद्राएं निकाली गईं।

जनवरी 1942 में निकल और पीतल के मिले हुए धातु का अधन्ना निकाला गया। बम्बई की टकसाल से इकन्नी तथा दुवन्नी के नए सिक्के ढालने आरम्भ किये गये। इधर तांबे का पैसा चलन से गायब हो गया था क्योंकि लोगों ने इसे गला कर तांबे के भाव बेचना आरम्भ कर दिया। इसलिये फरवरी 1943 में तांबे का छेद वाला हल्का पैसा निकाला गया परन्तु लोगों ने इसे वाशर के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया अतः कुछ समय पश्चात् ही बिना छेद वाला छोटा पैसा निकालना पड़ा।

उपरोक्त सब उपाय रेजगारी की कमी दूर करने के लिये किये गये।

2 मुद्रा प्रसार युद्धकाल में मुद्रा की मांग बढ़ने से उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसका अनुमान इस तथ्य से लगता है कि सन् 1939 में देश में कुल 179 करोड़ रुपये की पत्र मुद्रा चलन में थी जो बढ़कर जून सन् 1945 में 1152 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

इस मुद्रा-स्फीति के कई कारण थे

क उद्योग तथा व्यापार मे विकास के कारण मुद्रा की माग मे वृद्धि हुई जिसकी पूर्ति करना आवश्यक था,

(ख) सनाम्रा को भेजने के लिये वस्त्र, अन्न तथा चीनी आदि उपभोक्ता पदार्थों को खरीदने के लिये नई मुद्रा चलन में डाली गई है।

(ग) भारत सरकार के रक्षा-व्यय मे भी वृद्धि हो गई थी जिसे नोट निकाल कर पूरा करना पडा।

(घ) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध सचालन के लिये माल उधार बचा। इस माल का भुगतान भारतीय व्यापारियों को सरकार द्वारा नोट निकाल कर किया गया अत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई।

मुद्रा प्रसार के प्रभाव मुद्रा प्रसार होने से देश मे प्राय सभी वस्तुओ के मूल्यों में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई और यह वृद्धि निरन्तर होती चली गई। इसका एक कारण तो यह था कि व्यापारियो ने आवश्यक माल संग्रह करना आरम्भ कर दिया और उसे काले बाजार में बेचकर लाभ कमाने लगे। दूसरे उपभोक्ता माल का एक निश्चित भाग सनिक आवश्यकताओं के लिये भेजा जाने लगा जिससे माल की पूर्ति म बहुत कमी आ गई।

उपचार मुद्रा प्रसार के कारण जो महगाई उत्पन्न हुई उसका प्रभाव दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचार किये गये

(क) मूल्य नियन्त्रण और राशन व्यवस्था सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाये गये और उनका राशन किया गया। इन वस्तुओं म खाद्यान्न चीनी, वस्त्र, तल सीमेंट आदि मुख्य थीं। इन वस्तुओ का वितरण करने के लिए सस्ती दुकानें खोलने की व्यवस्था की गई।

(ख) महगाई भत्ता मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव कुछ कम करने के लिए सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को महगाई भत्त देने की व्यवस्था लागू की गई।

(ग) नये कर जनता से अतिरिक्त मुद्रा राशि खचने के लिए नए कर लगाए गए ताकि उनके पास खर्च करने के लिए अधिक रकम न रहे और वस्तुओं की अधिक माग न हो।

(घ) ऋण तथा बचत योजनाएँ सरकार ने जनता से ऋण लेने भी आरम्भ कर दिये ताकि जनता की अतिरिक्त पूंजी का कुछ भाग सरकार के पास आ जाय और मुद्रा प्रसार कम हो सके। बचत योजनाओ के अंतगत राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट तथा रक्षा बचत सर्टिफिकेट निकाले गये जिनमे लगभग 850 करोड़ रुपये जमा हो गये।

(ङ) शुल्कों मे वृद्धि सरकार ने रेल के किराये, डाक तार की दरें तथा अन्य सभी प्रकार के शुल्कों मे वृद्धि कर दी।

इन सब कार्यों से मुद्रा प्रसार के प्रभाव को कम करने की चेष्टा की गई।

(च) विनिमय नियन्त्रण युद्ध आरम्भ होते ही सरकार ने भारत रक्षा नियम लागू कर दिये और उन नियमों के अन्तगत समस्त विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। रिजव बैंक ऑफ इण्डिया मे एक नया विभाग विनिमय नियन्त्रण विभाग के नाम से स्थापित किया गया। जो बैंक विदेशी मुद्राओं मे लेन देन करना चाहते थे उन्हें इस काम के लिए रिजव बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया।

व्यापार पर रोक भारत सरकार ने आयात निर्यात पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये और निर्यातों से जो भी आय होती थी वह लाइसेंस प्राप्त बैंको मे जमा करवानी आवश्यक कर दी गई।

खातों पर रोक विदेशी विनिमय का उपयोग उचित रूप मे करने के लिये भारत मे जितनी जापानी संस्थाएँ थी उनके खाते रोक लिये गये अर्थात् उनके द्वारा विदेशी भुगतान बन्द कर दिये गये। इसके अतिरिक्त जापान के अधिकार क्षेत्रों (मलाया, हांगकांग, पूर्वी द्वीप समूह आदि) के भुगतान भी बन्द करने का निश्चय किया गया।

विदेश यात्रा पर रोक विदेशी विनिमय मे बचत करने के लिये विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई और रिजव बैंक से अनुमति लिये बिना कोई व्यक्ति विदेश यात्रा को नहीं जा सकता था। इस सम्बन्ध मे ईराक अरब,

पूर्वी अफ्रीका तथा इङ्गलैंड जाने वाले व्यक्तियों को सरलतापूर्वक अनुमति मिल जाती थी।

(4) साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollor Pool) युद्धकाल में अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो युद्ध में लगे हुए देशों को विभिन्न प्रकार का माल काफी मात्रा में दे सकता था। इसलिये जो देश अमेरिका से सामान खरीदते थे उन्हें भुगतान करने के लिए डालर की आवश्यकता पड़ती थी। अतः डालर की माग बहुत बढ़ गई और डालर एक दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency) हो गई।

डालर की माग इंगलैंड में सबसे अधिक थी क्योंकि इंगलैंड को युद्ध का सामान अत्यधिक मात्रा में खरीदना था। इसलिए इंगलैंड ने ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों (भारत, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका, घाना, आदि) से यह समझौता किया कि वह अमेरिका को माल आदि बेचकर जितने डालर कमाएँगे वह सब एक सम्मिलित कोष में जमा हो जाएँगे। इस कोष का नाम साम्राज्य डालर कोष रखा गया।

कोष का प्रयोग साम्राज्य डालर कोष की रकम बैंक ऑफ इंगलैंड में रखी जाती थी और जब भी किसी देश को डालर की आवश्यकता पड़ती वह बैंक ऑफ इंगलैंड से उसके लिए प्रार्थना करता था। कोष के सब सदस्य इस बात का ध्यान रखते थे कि डालरों का प्रयोग केवल अनिवार्य आवश्यकता के समय ही किया जाय।

युद्धकाल में भारत ने डालर कोष में कुल 453 करोड़ रुपये के तुल्य विदेशी मुद्रा जमा की जिसमें लगभग 405 करोड़ रुपये के तुल्य डालर थे। इस राशि में से भारत ने लगभग 339 करोड़ रुपये की मुद्रा व्यय कर दी, शेष डालर कोष में जमा रही गई। गत वर्षों में भारत को बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता रही है। इस आवश्यकता को डालर कोष पूरा करने में समर्थ नहीं है अतः भारत को इस कोष का सदस्य बने रहने में कोई लाभ नहीं है।

(5) पौंड पावने (Sterling Balances) युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार को लड़ाई के सामान के अतिरिक्त सेना के लिए अन्न, वस्त्र, [illegible]

चीनी तथा अनेक अन्य पदार्थों की आवश्यकता थी । भारत म अंग्रेजी शासन था अत ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयत्नो म सहायता देना स्वाभाविक था। यह सहायता कई प्रकार से दी जा सकती थी परन्तु ब्रिटिश सरकार ने भारत से माल खरीदना उचित समझा। भारत सरकार यह माल अपने देश के व्यापारियो अथवा उद्योगपतियो स खरीद लेती थी और ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार भेज देती थी। इस माल का भुगतान भारतीय व्यापारियो को नोट निकाल कर तत्काल कर दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार उतनी राशि की हुडियां भारत सरकार को भेजती रहती थी। इस प्रकार युद्धकाल मे भारत इगलैंड को निरन्तर ऋण देता रहा और बदले मे हुडियाँ अथवा प्रतिभूतियाँ प्राप्त करता रहा। यह रकम पौंड पावने कहलाती है।

राशि पौंड पावनो की राशि म निम्न प्रकार वृद्धि हुई

वर्ष	पौंड पावने (करोड रुपयो मे)
1939	*64*
1940	91
1941	169
1942	211
1943	394
1944	7ᴐ5
1945	1,182

युद्ध आरम्भ होने से पूर्व भारत ब्रिटिश सरकार का लगभग 500 करोड रुपये स कर्जदार था परन्तु युद्धकाल म वह साहूकार बन गया। युद्ध समाप्त होन के पश्चात् भी पौंड पावनो की राशि म नियमित वृद्धि होती गई और 1947 म वह 1662 करोड रुपय तक पहुच गई।

भुगतान युद्ध समाप्त होते ही पौंड पावने के भुगतान की चर्चा आरम्भ हो गई। इस सम्बन्ध मे इगलैंड के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री चर्चिल ने यह विचार प्रकट किया कि पौंड पावनो की राशि मे कमी की जानी चाहिये

क्योंकि इंगलैंड ने युद्ध केवल अपने लिये ही नहीं लड़ा है। दूसरा कारण यह दिया गया कि इंगलैंड को युद्धकाल में जो माल दिया गया है ऊंचे भाव पर दिया गया है अतः उसकी रकम घटाना सर्वथा उचित है। चर्चिल महोदय के इन विचारों का भारत तथा अन्य देशों में भी अत्यधिक विरोध किया गया। इसी बीच इंगलैंड में मजदूर दल की सरकार बन गई जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की और उसके पौंड पावनों को पूर्ण रूप में चुकाने की घोषणा की।

समझौते भारतीय पौंड पावनों का चुकाने के लिये 1947 1948 1949 तथा 1951 में चार समझौते किये गये। इन समझौतों में भारत को पौंड पावनों की रकम में से प्रति वर्ष कुछ रकम निकालने की अनुमति दी गई थी।

इन सब समझौतों में सन् 1948 का समझौता सबसे अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि 1947 में भारत स्वतन्त्र हो गया था और पाकिस्तान की स्थापना भी हो गई थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारत में बहुत अधिक सैनिक सामान छोड़ा था उसका हिसाब भी करना था। भारत के स्वतन्त्र होने पर अनेक भूतपूर्व ब्रिटिश अफसरों ने भारत छोड़कर इंगलैंड में बसने का निर्णय किया अतः उनकी पेंशन आदि के सम्बन्ध में भी कुछ समझौता करना आवश्यक था। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पौंड पावनों की कुल राशि जो इस समय 1550 करोड़ रुपये के तुल्य थी निम्न प्रकार से भुगतान करने का निश्चय किया गया।

1	फौजी सामान का मूल्य	133	करोड़ रुपये
2	ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन	224	,, ,,
3	पाकिस्तान का भाग	126	,, ,,
4	भारत का शेष देना रहा	1067	,, ,,
	योग	1550	

भारत ने 1951 के पश्चात् इस राशि में से बहुत सारी रकम लेली है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत को विदेशों से मशीनें तथा अन्य सामान खरीदना पड़ा है। 5 मार्च 1965 को यह राशि लगभग 69 46 करोड़ रुपये के तुल्य रह गई थी।

पौंड पावने भारतीय जनता की कष्टों की कहानी है अत यदि उनका प्रयोग जनता के कष्ट निवारण के लिए किया गया है तो उसे अनुचित नही कहा जा सकता है। प्रारम्भिक वर्षों म इनका प्रयोग विदेशा से खाद्यान्न आयात करने के लिए किया गया था जो अत्यन्त आवश्यक था। बाद के वर्षों म भी पौंड पावनो का प्रयोग सकट की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हुआ है।

युद्धोत्तर काल

द्वितीय युद्ध के समाप्त होते ही सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था को युद्ध से पहले की स्थिति म लाने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये। युद्धकाल म देश की जनता को बहुत कष्ट उठाने पडे थ क्योकि उन्हे प्राय सभी आवश्यक वस्तुओं के उपभोग की मात्रा कम कर देनी पडी थी। इसी प्रकार मुद्रा सम्बन्धी लेन देन तथा महगाई की समस्याओ का सामना करना पडा था। इस समस्याओ को हल करने के लिए सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण काय किये।

(1) बडे नोटों को बन्द करना युद्धकाल में आवश्यकता की प्राय सभी वस्तुओ म चोर बाजार भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी बढ़ गई थी और अधिकारी लोग अनेक अनुचित रीतियों द्वारा धन कमाने लगे थे। व्यापारियो तथा उद्योगपतियो ने भी मुनाफाखोरी तथा सग्रह द्वारा अत्यधिक धन जमा कर लिया। सरकार की यह इच्छा थी कि इस प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्वो का पता लगा कर उन्हें दडित किया जाय।

सरकार का यह अनुमान था कि अनुचित धन कमाने वाले व्यक्तियो न अपनी रकम बडे नोटो म ही सुरक्षित रखी होगी अत यदि बडे नोटो का चलन बन्द कर दिया जाय तो ऐस व्यक्तियों का पता चलाना सरल होगा। अत सरकार ने यह आदेश दिया कि 13 जनवरी 1946 से 100 रुपये से ऊपर की राशि के नोटो का चलन बन्द हो जायगा। जिन व्यक्तियो के पास 100 रुपये से ऊपर की राशि के नोट थे वह उन्हे बदलवाने क लिए दस दिन के भीतर एक आवेदन दे सकते थे। इस आवेदन पत्र म यह भरना पडता था कि वह नोट कब, किस व्यक्ति से तथा किस काम के बदले प्राप्त हुए। उस बयान पर किसी अनुसूचित बक या मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी करवाने आवश्यक

थे। झूठा बयान देने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड दिये जा सकते थे।

योजना असफल बड़े नोट बन्द कर सरकार चोर बाजार करने वालो घूसखोरों तथा अनुचित कमाई करने वालों को पकड़ना चाहती थी परन्तु कुछ व्यापारियों को इस योजना का पता चल गया और उन्होंने अपने बैंको के माध्यम से सब बड़े नोट गायब कर दिए। यहाँ तक कि बहुत से व्यक्तियों ने बड़े नोट बट्टे पर खरीद कर लाभ भी कमाया। इस प्रकार बड़े नोट बन्द करन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया।

(2) रुपये का अवमूल्यन जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे किसी देश की मुद्रा की तुलना में कम कर देता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं।

द्वितीय युद्धकाल में जो मुद्रा प्रसार का क्रम आरम्भ हुआ था वह युद्ध के पश्चात् भी चालू रहा अत इगलड तथा पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों म व्यापार की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई। इगलैण्ड में मूल्य निरन्तर बढते जा रहे थ और उसका भुगतान सतुलन अत्यधिक विपक्ष मे हो गया था। अत 18 सितम्बर 1949 को इगलड ने अपन पौंड का 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि एक पौंड जो पहले 4 03 डालर के समान था अब केवल 2 80 डालर के तुल्य रह गया। इगलैड द्वारा पौंड का अवमूल्यन करते ही 29 अन्य देशा ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। इन देशो के कुल विदेशी व्यापार का लगभग 65 प्रतिशत भाग इगलैण्ड स होता था। अत इनके लिए अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था।

भारत के सामने भी यह समस्या उत्पन्न हुई कि वह रुपए का अवमूल्यन करे या उसे पहली दर पर बनाए रखे। भारत म सब बातो पर विचार कर अन्त म अवमूल्यन करने का निर्णय किया और रुपये का मूल्य 30 2250 सेंट के स्थान पर 21 सेंट (cent) के तुल्य घोषित कर दिया। इस प्रकार जो डालर पहले लगभग 3 रुपये के तुल्य था वह अब लगभग 4 76 रुपये के बराबर हो गया।

भारत द्वारा अवमूल्यन के कारण भारत द्वारा रुपये का अवमूल्यन करने के निम्नलिखित कारण थ

(क) रुपये का वर्षों से स्टर्लिङ्ग से गठबन्धन चला आ रहा था, भारत स्टर्लिङ्ग क्षेत्र का सदस्य था और भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन से था। इसलिए भारत द्वारा अवमूल्यन करना ही उचित था।

(ख) भारत को इगलैड से लगभग 1100 करोड़ रुपये के पौंड पावने वसूल करने थे। यदि भारत रुपये का अवमूल्यन नही करता तो पौंड पावनों की राशि रुपया म कम हो जाती।

(ग) भारत द्वारा अवमूल्यन नही किया जाता तो देश के निर्यातो म कमी तथा आयातो मे वृद्धि हो जाती जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड सकती थी।

अवमूल्यन के प्रभाव रुपये के अवमूल्यन का भारत पर व्यापक प्रभाव पडा। इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं

(क) भारत के निर्याता म वृद्धि हुई। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि 1949 म भारत के निर्यात 480 करोड रुपये के तुल्य थे जो बढ़कर 1950 म 611 करोड रुपय के तुल्य हो गये। यदि डालर क्षेत्र के निर्याता को अलग भी लिया जाय तो उनकी राशि भी 115 करोड रुपय से बढकर 151 करोड रु० हो गई।

(ख) भारत को अमेरिका से किये गये अन्न के आयात का बहुत अधिक मूल्य चुकाना पडा।

(ग) पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नही किया था अत भारत का पाकिस्तान से व्यापार लगभग ठप्प हो गया।

वास्तव म भारतीय रुपये का जिस मात्रा मे अवमूल्यन किया गया वह आवश्यकता से अधिक थी। अत भारत को अपने औद्योगिक विकास तथा व्यापार मे बहुत हानि उठानी पडी।

(3) हीनाय प्रबन्धन (Deficit financing) सरकार प्राय यह निश्चित कर लेती है कि उसे किसी वर्ष कुल कितनी रकम खर्च करनी है। उसके पश्चात् वह उतनी आमदनी प्राप्त करने की चेष्टा करती है। इस प्रकार कभी कभी खर्च आमदनी से अधिक हो जाता है। इस कमी की पूर्ति यदि नोट छाप कर करली जाय तो इसे हीनाय प्रबन्धन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी वर्ष भारत सरकार की कुल आमदनी 20 अरब रुपये हो और खर्च 21 अरब रुपये हो और एक अरब रुपये की कमी पूर्ति नोट छाप कर करली जाय तो इसे हीनाय प्रबन्धन कहा जायगा।

भारत सरकार योजना काल म हीनाय प्रबन्धन की नीति अपनाती रही है। प्रथम योजना काल (1951-56) म भारत सरकार द्वारा 415 करोड रुपये की राशि का हीनाय प्रबन्धन किया गया। दूसरी योजना म यह राशि 948 करोड रुपये के तुल्य थी जबकि तीसरी योजना काल मे 550 करोड रुपये की रकम नोट निकाल कर प्राप्त करने की आशा है।

प्रभाव हीनाय प्रबन्धन का एक प्रभाव यह होता है कि मुद्रा प्रसार हो जाता है। गत 13 वर्षों म मुद्रा तथा माल की मात्रा म लगभग 2000 करोड रुपये की वृद्धि हुई है। यह राशि हीनाय प्रबन्धन की राशि से कुछ अधिक है।

गत वर्षों में भारत मे मुद्रा प्रसार के कारण वस्तुओं के मूल्यों म वृद्धि हो रही है जिससे सामान्य जनता को बहुत कष्ट उठाना पड रहा है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए मुद्रा स्फीति को रोकना आवश्यक है। अत भारत म हीनाय प्रबन्धन की नीति अपनाना उचित नहीं है। इसीलिए सरकार ने चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल म हीनाय प्रबन्धन न करने का निश्चय किया है।

(4) विदेशी विनिमय संकट जब किसी देश के निर्यात कम और आयात अधिक होते हैं तो उसे विदेशी भुगतान करने म बहुत कठिनाई होती है। जब यह स्थिति बहुत कठिन हो जाती है अर्थात् विदेशी भुगतान का उत्तर दायित्व बहुत बढ़ जाता है तो इसे विदेशी विनिमय संकट की स्थिति कहते हैं।

भारत में भी दाशमलव मुद्रा अपनाने से हमारी मुद्रा का इन देशों की मुद्रा से अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया है और एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मे निकालने मे कोई कठिनाई नहीं होती ।

(iii) नाप तोल मे सरलता भारत में अनेक प्रकार के नाप तोल प्रचलित रहे हैं । यहाँ तक कि देश के किसी भाग म 40 तोले का सेर तो कहीं 100 तोले तथा कुछ भागो मे 120 तोले तक का सेर माना जाता था । इससे किसानो को बहुत हानि उठानी पडती थी । अत सारे देश मे नाप तोल के एक सरीखे उपकरण चालू करने आवश्यक थे । किन्तु दाशमिक मुद्रा के बिना मीटर, लिटर या किलोग्राम के मूल्य निकालने म अधिक कठिनाई का सामना करना पडता । अब यह कठिनाई समाप्त हो गई है ।

वास्तव म दाशमिक मुद्रा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है । न्यूजीलैंड ने इस प्रणाली को अपनाने का कानून पास कर दिया है तथा इगलैंड ने यह प्रणाली लागू करना निश्चित कर लिया है । आशा है कि शीघ्र ही ससार के शेष देश भी दाशमलव मुद्रा प्रणाली अपना लेंगे ।

पत्र मुद्रा प्रणाली भारत म सन् 1860 तक तीन प्रेसीडेंसी बैंक नोट निकालने का काम करते थे परन्तु उसके बाद यह काय भारत सरकार ने सम्भाल लिया । सरकार द्वारा नोट निकालने का काय 31 मार्च 1935 तक किया गया परन्तु 1 अप्रैल 1935 से पत्र मुद्रा निकालने का भार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया ।

नोटों का स्वरूप भारत म 1 2 5 10 50 100 500 1000, 5000 तथा 10 000 रुपये के नोट निकाले जा सकते हैं । इनम से 50, 500 तथा 5000 रु० के नोट प्रचलित नहीं हैं शेष नोट चलन म हैं । इन नोटो मे भी एक रुपये का नोट भारत सरकार निकालती है । वास्तव म यह नोट द्वितीय युद्धकाल मे एक रुपये के सिक्के की कमी की पूर्ति के लिए लागू किया गया था । आज भी 1 रुपये के नोट का हिसाब 1 रुपये के सिक्के के साथ ही लिखा जाता है और वैधानिक दृष्टि से इसका 1 रुपये के सिक्के के समान ही दर्जा है ।

1 रुपये के नोट के अतिरिक्त शेष नोट रिजर्व बैंक द्वारा निकाले जाते हैं और उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के सब नोट रिजर्व बैंक के आदेश पर भारत सरकार के नासिक स्थित प्रेस में छापे जाते हैं।

नोटों के पीछे कोष रिजर्व बैंक जितने नोट निकालता है उनके पीछे कुछ कोष रखा जाता है। 5 अक्टूबर 1956 तक यह नियम था कि रिजर्व बैंक जितने नोट निकाले उनका कम से कम 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में कोष में रखे। इसमें भी कम से कम 40 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण होना आवश्यक था। उस समय स्वर्ण का मूल्य 21 24 रुपये प्रति तोला आका जाता था।

1956 का वर्ष प्रथम योजना का अन्तिम वर्ष था जबकि देश में व्यापार तथा उद्योगों की उन्नति के कारण मुद्रा की माग की पूर्ति करने में 40 प्रतिशत कोष रखना कठिन था अतः 6 अक्टूबर 1956 से नोटों के पीछे कोष रखने सम्बन्धी नियम बदल दिया गया। इसके अनुसार नोटों के पीछे रखे जाने वाले कोष की कुल मात्रा 115 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण तथा 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ निश्चित की गई। इतना कोष रखकर किसी भी मात्रा में नोट निकाले जा सकते थे और विशेष परिस्थितियों में प्रतिभूतियों की मात्रा 300 करोड़ रुपये तक गिरने दी जा सकती थी। इसे न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Deposit System) कहते हैं।

31 अक्तूबर 1957 के परिवर्तन के पश्चात् अब कुल पत्र मुद्रा के पीछे कम से कम 200 करोड़ रुपये के मूल्य के कोष रखने अनिवार्य हैं। किसी भी समय इस कोष में कम से कम 115 करोड़ रुपये का सोना या सोने के सिक्के होना आवश्यक है। इस प्रकार इस कोष में अधिक से अधिक 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ (Securities) हो सकती हैं। भारत सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों को सर्वथा समाप्त भी कर सकता है। फरवरी मास में जब विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा 85 करोड़ से गिरनी आरम्भ हुई तो भारत सरकार ने तीन बार में रिजर्व बैंक को 16 करोड़ रुपए का सोना बेचा। इस प्रकार 5 मार्च 1965 को कोष में विदेशी

प्रतिभूतियो की मात्रा 69 46 करोड रुपये और स्वण कोष की मात्रा 133 76 करोड रुपये थी ।

न्यूनतम कोष प्रणाली ऊपर दिये गये ब्यौरे से स्पष्ट है कि भारत में नोट निकालने की न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलित है । इसे न्यूनतम कोष प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक निश्चित मात्रा म कोष रख कर कितनी ही राशि के नोट निकाले जा सकते हैं ।

भारतीय मुद्रा प्रणाली के गुण दोष

गुण (1) यह प्रणाली सस्ती और सरल है ।

(2) यह लोचदार है क्योंकि अतिरिक्त नोट इच्छानुसार निकाले जा सकते हैं ।

(3) *यह भारत की विकास योजनाओ के लिये बहुत उपयोगी है ।*

दोष इस प्रणाली में मुद्रा प्रसार का भय है ।

उपसहार भारत की मुद्रा तथा चलन के इतिहास से यह स्पष्ट है कि देश मे मुद्रा का विकास देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार हो रहा है । यह सम्भव है कि आने वाले युग मे मुद्रा व्यवस्था को अधिक लोचदार अथवा सरल बनाना पडे ताकि देश की आवश्यकतानुसार मुद्रा निकालने म लेशमात्र भी बाधा न हो । समय की माग पूरी करने मे उदार नीति का प्रयोग कभी हानिकारक नहीं हो सकता यह सर्वमान्य सत्य है ।

वर्तमान भारतीय मुद्रामान भारत उन 120 देशों म से एक है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं । मुद्राकोष के सब सदस्यो की मुद्राए डालर पर आधारित हैं अर्थात् उनकी विनिमय दरें डालर म निश्चित की गई हैं किन्तु इन सब देशो की मुद्राए एक दूसरे पर भी आधारित हैं । इस प्रकार येन (जापान), लिरा (इटली) मार्क (जर्मनी) पैसो (फिलिपीन) पौंड (इगलड, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दक्षिणी अफ्रीका तथा सयुक्त अरब गणराज्य) व अन्य मुद्राओं की समता दरें (parity rates) निश्चित हैं अर्थात् यह

एक दूसरे म निश्चित दरा पर परिवर्तित की जा सकती हैं। सक्षेप म कहा जा सकता है कि

(क) भारतीय रुपया डालर पर आधारित है,

(ख) भारतीय रुपया 101 अन्य देशों की मुद्राओ पर आधारित है।

(ग) भारतीय रुपये की दर मुद्रा कोष के सदस्य देशो की मुद्राओ म निश्चित है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुद्राकोष के अन्य सदस्य देशो की भांति ही भारतीय रुपये का मूल्य स्वण म भी निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रुपया 0 186621 ग्राम शुद्ध स्वण के तुल्य है अर्थात् एक औंस स्वण का मूल्य 166 667 रुपये (डालरों मे 35 डालर प्रतिऔंस) है। मुद्रा कोष म सभी सदस्य देशो के स्वण कोष मौजूद हैं। अत वैधानिक रूप में सदस्य देशो की मुद्राओ के मूल्य स्वण म निश्चित हैं तथा उनके पीछे मुद्रा कोष म स्वर्ण कोष भी रखा हुआ है। अत इस व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्वण विनिमय मान (International Gold Exchange Stan dard) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय मान (International Foreign Exchange Standard), अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समता मान (International Parity Standard) कहा जाता है।

इस दृष्टि से वतमान भारतीय मुद्रामान को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्वण विनिमय मान विदेशी विनिमय मान या समता मान कहा जा सकता है। यह मान स्वणमान (जिसम अपने देश म स्वण कोष म रखना पडता है) स कई दृष्टिकोणा से श्रेष्ठ है

(क) यह सस्ता है क्योंकि भारत को अलग स्वर्णकोष में रखने की आवश्यकता नहीं है (भारत स्वेच्छा से कोष रखता है यह अलग बात है)

(ख) यह सरल है क्योंकि आवश्यकता पडने पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष म कोई भी विदेशी मुद्रा उधार ली जा सकती है। पुराने स्वर्ण मान म यह काय स्वण म भुगतान कर सम्पन्न किया जाता था।

(ग) यह सही अथ मे अन्तर्राष्ट्रीय है क्याकि भारतीय रुपये का ससार के 101 महत्त्वपूण देशा से मौद्रिक सम्बध है।

उपयुक्त तथ्यो से ग ट स्पष्ट हाता है कि वतमान भारतीय मुद्रामान म स्वणमान की सब विशषताए मौजूद हैं और उसके दोष नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त सतोषजनक कही जा सकती है।

अभ्यास के प्रश्न

1 भारतीय चलन के विकास पर प्रकाश डालिये। हिल्टन यग आयोग की नियुक्ति से पूव रुपये म कितनी शुद्ध चाँदी थी तथा रुपये की विनिमय दर क्या थी ?

2 हिल्टन यग आयोग ने विनिमय दर तथा मान अपनाने का सुझाव दिया।

3 हिल्टन यग आयोग की मुख्य सिफारिशो पर सक्षेप मे टिप्पणी लिखिये।

4 रुपये की 18 पस दर अपनाना कहाँ तक उचित था उदाहरण सहित लिखिये।

5 स्वण धातु मान का क्या अथ है भारत सरकार ने जो स्वण धातु मान अपनाया उसम क्या कमियाँ थी ?

6 भारत से स्वण निर्यात (1930-38) के कारणो पर प्रकाश डालिए।

7 द्वितीय युद्धकाल का भारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिये।

8 द्वितीय युद्ध काल मे मुद्रा की कमी दूर करने के लिये सरकार ने जो उपाय किए उनका सक्षिप्त विवेचन कीजिये।

9 खाली स्थाना की पूर्ति कीजिये

(क) द्वितीय युद्ध काल मे भारत के कारण कजदार से हो गया।

(ख) भारत ने अपनी सम्पूण डालर आय कोष म जमा करवाई।

(ग) युद्धकाल म तेजी से मुद्रा हुआ।

(घ) युद्ध काल म तथा पर नियन्त्रण लगाये गये।

10 द्वितीय युद्धकाल म मुद्रा प्रसार के क्या कारण थे तथा उसका प्रभाव कम करने के लिए क्या कार्यवाहियाँ की गईं।

11 भारतीय पौंड पावनों पर एक टिप्पणी लिखिये।

12 भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्या किया गया ? उसके परिणामो पर प्रकाश डालिये।

13 भारत की वतमान मुद्रा प्रणाली का विवचन कीजिय।

14 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये

विदेशी विनिमय सकट, हीनाथ प्रबन्धन विनिमय नियन्त्रण, तथा दशमलव मुद्रा प्रणाली।

15 योजना काल म भारतीय मुद्रा की समस्याओ पर प्रकाश डालिये।